BSW – 123

सामुदायिक संगठन और संचार

समकालीन विधियां 2

''शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।''

– इन्दिरा गाँधी

''स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण'' की चेयर के अन्तर्गत विकसित कार्यक्रम

"Education is a liberating force, and in our age it is also a democratising force, cutting across the barriers of caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances."

- Indira Gandhi

खंड

2

समकालीन विधियां

इकाई 1

वकालत

इकाई 2

नेटवर्किंग

इकाई 3

संसाधन एकत्रण/गतिशीलता

इकाई 4

समाज कार्य में शक्ति/सशक्तता आधारित अभ्यास

इकाई 5

जनहित याचिका (पीआईएल)

इकाई 6

जागरुकता अभियान

विशेषज्ञ समिति

प्रो. सुषमा बत्रा
समाज कार्य विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

डॉ. आर.आर. पाटिल
समाज कार्य विभाग,
जामिया मिलिया, नई
दिल्ली।

डॉ. बीना एन्थेनी रेजी
अदिति महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

डॉ. संगीता शर्मा धोर
डॉ. भीम राव
अम्बेडकर कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

प्रो. ग्रेशियस थॉमस,
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली।

प्रो. रोज़ नेम्बियाकिम
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली।

डॉ. सौम्या
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली।

डॉ. जी. महेश
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली।

डॉ. सायन्तनी गुइन
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली।

पाठ्यक्रम निर्माण दल

इकाई लेखक

इकाई 1,2 व 3 डॉ. मालाथी अदुसुमाली एवं डॉ. नमिता जैनर

इकाई 4 डॉ. मिनिमोल के. जोस

इकाई 5 डॉ. एन. राम्या

इकाई 6 डॉ. अर्चना कौशिक

विषय संपादक

डॉ. प्रशांत कुमार
घोष
समाज कार्य विभाग,
विश्व भारती।

खंड संपादक

डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली।

भाषा संपादक

डॉ. नीतू
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली।

कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संयोजक

डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली।

मुद्रण निर्माण

....., 2021

© इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, 2021

ISBN -81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से ..... द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर कम्पोजिंगः

खण्ड परिचय

"सामुदायिक संगठन और संचार" पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड में आपका स्वागत है। यह खंड "समाज कार्य की समकालीन विधियाँ" के विषय में है। यह वह अभ्यास पद्धतियाँ हैं, जो एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य के भावी उपक्रमों को निर्धारित करेंगी। छह प्रमुख विधियों के अतिरिक्त, ये छह समकालीन विधियाँ व्यवसायगत अभ्यास को अधुनातन करने में सहायता करेगी।

अतः "**वकालत**" पर केन्द्रित प्रथम इकाई प्रथम इकाई आपको समाज कार्य की प्राथमिक विधि के बारे में वकालत से परिचित कराएगी और साथ ही यह भी बताएगी कि इसे हाशिए पर रह रहे लोगों, जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, की ओर से समाज कार्यकत्ताओं द्वारा कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। यह इकाई आगे वकालत के उद्देश्य, प्रकारों, दक्षताओं और सिद्धांतों पर कार्य करेगी।

द्वितीय इकाई "**नेटवर्किंग**" आपको समाज कार्य में नेटवर्किंग के महत्त्व, प्रकारों, उपकरणों, कार्यनीतियों तथा प्रभावी नेटवर्किंग के आवश्यक तत्त्वों से परिचित कराएगी। तृतीय इकाई "**संसाधन गतिशीलता**" के विषय में है। यह इकाई संसाधन गतिशीलता के साँचे, प्रकारों, प्रक्रिया, आवश्यक तत्त्वों इत्यादि का वर्णन करती है।

चतुर्थ इकाई "**शक्ति आधारित अभ्यास**" आपको शक्ति आधारित अभ्यास के इतिहास, मूल मान्यताओं, उद्देश्यों, प्रमुख प्रवृत्तियों तथा मुख्य अवधारणाओं से परिचित कराएगी। समाज कार्य में शक्ति आधारित अभ्यास आपके मुवक्किलों की क्षमताओं तथा प्राकृतिक योग्यताओं को देखने में आपकी सहायता करेगा।

पाँचवी इकाई "**जनहित याचिका (पी.आई.एल.)**" के विषय में है। यह इकाई जनहित के अनुपालन हेतु न्यायाल में कानूनी कार्यवाही आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ करने का वर्णन करती है। इस खंड की छठी तथा अंतिम इकाई

"**जागरूकता अभियान**" जागरूकता अभियान से सम्बन्धित दृष्टिकोणों, प्रतिदर्शों, उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट करेगी।

इस खण्ड की छह इकाईयाँ समाज कार्य की समकालीन विधियों को समझने में आपकी सहायता करेगी।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 वकालत*

*डॉ. मालाथी अदुसुमाली
एवं डॉ. नमिता जैनर

रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 वकालत की परिभाषा

1.3 समाज कार्य की समकालीन पद्धति के रूप में वकालत

1.4 वकालत के उद्देश्य

1.5 वकालत के प्रकार

1.6 समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए वकालत के महत्त्वपूर्ण उपकरण

1.7 वकालत के सिद्धांत

1.8 वकालत के कौशल

1.9 वकालत चक्र

1.10 सारांश

1.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

* डॉ. मालाथी अदुसुमाली एवं डॉ. नमिता जैनर, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगेः

- वकालत को परिभाषित करने में;
- वकालत के उद्देश्य तथा प्रकारों की व्याख्या करने में;
- समाज कार्यकत्ताओं हेतु आवश्यक, वकालत के सिद्धांतों एवं दक्षताओं को सीखने में;
- वकालत चक्र को समझने में; और
- एक विधि के रूप में वकालत के अर्थ को समझने में।

1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी है, जिसके तहत् सभी व्यक्तियों के आत्म–सम्मान और असहनीय अधिकारों को मान्यता दी गई है। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी सामाजिक नैतिक अथवा आर्थिक सीमाओं के कारण अपने अधिकारों से अनजान होते हैं या उनके अज्ञान के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। बहुत से संगठन एवं समूह सीमांत अथवा हाशिए पर रहे लोगों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की वकालत करने की इस प्रक्रिया को ही वकालत के रूप में जाना जाता है।

समाज कार्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को सामाजिक न्याय के समर्थन की कार्रवाई के साथ संरेखित करना चाहिए इसलिए सैकड़ों मजदूरों की वकालत में लोगों के हाशिए वाले समूहों की ओर से और उन लोगों की ओर से जुड़ा हुआ है, जिनके अधिकारों का खंडन या उल्लंघन किया गया है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए

समाज कार्य एक महत्त्वपूर्ण समकालीन विधि है। 'मुवक्किल' शब्द परंपरागत रूप से समाज कार्य साहित्य में उपयोग किया गया है। इस इकाई में वकालत की भावना को ध्यान में रखते हुए, अब इसे न्याय चाहने वालों के नाम से बदला जा रहा है।

1.2 वकालत की परिभाषा

'वकालत' शब्द लैटिन शब्द 'एडवोकेअर' से बना है, जिसका अर्थ है किसी की मदद के लिए बोलना या किसी की ओर से बोलना। ऐतिहासिक रूप से यह कानून के साथ संबद्ध है। समाज कार्य अभ्यास में, न्यायिक प्रणाली के भीतर वकीलों के साथ मिलकर न्याय माग समाज कार्य की वकालत के पहलुओं में जैसे सार्वजनिक चुनौतियों में असमानता और वंचित रहने वाली नीतियों में सुधार, और उनका प्रभावी क्रियान्वयन आदि में अपना समर्थन देना शामिल है। वकालत की अवधारणा की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना चाहिएः

टोरपैक और लियू (2001) ने वकालत की परिभाषा देते हुए कहा है कि "गतिविधि, एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, परामर्शदाता, अथवा एक मनोवैज्ञानिक जो मुवक्किल तथा मुवक्किल समूहों की सहायता करने में चिकित्सीय तथ्यों को, मुवक्किलों की पारिस्थितिक स्थितियों में सहभागिता के माध्यम से पूर्ण करता है।" यह वकालत के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म प्रणाली की समझ पर केंद्रित है। वकालत कार्य के लिए यह समाज कार्य एक बहुत ही सीमित समझ है क्योंकि इस तरह की वकालत का दृढ़ निश्चय और परिणाम केवल उन लोगों की भावनाओं को बढ़ाने के लिए है, जो उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, अधिक मुखर बनने और बढ़ते हुए विकल्पों को हासिल करने में मदद करते हैं। यहाँ वकालत को उन भूमिकाओं के रूप में देखा जा सकता है जो न्याय चाहने वालों के हित में पेशेवर अपनाते हैं। इस परिभाषा में लोगों के अंतनिर्हित प्रभावशाली मामलों को दबाने की धारणा को प्रस्तुत किया है।

हफर (2006) समाज कार्य वकालत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि, 'समाज कार्य अभ्यास का वह हिस्सा है जहाँ समाज कार्यकर्त्ता व्यक्तिगत, समूह में एक या एक से अधिक लोगों की रक्षा करने, प्रतिनिधित्व करने या अन्य रूपों में प्रस्तुत करने के लिए एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्रवाई करता है'। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक या सामुदायिक स्तर पर यह परिभाषा व्यक्ति के सूक्ष्म प्रणाली से हट कर समाज कार्य वकालत की समझ को व्यापक करती है। इसी तरह श्नाइडर और लेस्टर (2001) समाज कार्य वकालत को, 'लोगों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व या किसी अनुचित या अनुत्तरित प्रणाली में निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रभाव डालने का प्रयास करने वाले किसी मंच में एक कारण' को परिभाषित करते हैं। इस परिभाषा में व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक रूप और उनके तत्काल वातावरण से परे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले संरचनातमक कारकों पर व्यापक विचार करने के लिए प्रणालीगत प्रभाव के विचारों के लिए समाज कार्य के समर्थन को स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। समाज कार्य वकालत की यह समझ निम्न तथ्यों के साथ स्वतंत्र समाज कार्य और परिवर्तनकारी परिप्रेक्ष्य के बहुत करीब है:

1. यह समानता, सामाजिक न्याय और सामाजिक समावेशन के सिद्धांतों पर जोर देती है, जो समाज कार्य को आगे बढ़ाती है।

2. यह अन्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, संस्थानों और संरचनाओं को बदलने का प्रयास करता है।

3. संगठित कार्यों के रूप में इसका प्रयास किया जाता है।

4. इसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों, सामाजिक आचरणों और समाजशास्त्रीय राजनैतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना है।

5. इससे वंचित लोगों को अपने अधिकारों को पूरा करने और सभी भेदभाव और अभावों को समाप्त करने के लिए स्वयं के लिए बोलने में सक्षम बनाता है।

1.3 समाज कार्य की समकालीन पद्धति के रूप में वकालत

सामाजिक न्याय जिस पर समाज कार्य व्यवसाय आधारित है, प्रमुख मूल्यों में से एक है। वकालत एक अच्छी तरह से स्थापित रणनीति है और न्याय प्राप्त करने के सामाजिक दायित्व है (डेलरिम्पल एंड बॉयलन, 2013) यहाँ तक कि विश्वभर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय स्तर पर पेशेवर समाज कार्य निकाय जैसे समाज कार्यकर्त्ताओं के सामाजिक संघ, राष्ट्रीय एसोसिएशन के समाज कार्यकर्त्ता, राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने बार–बार पेशेवर कार्यकर्त्ताओं को वकालत में नैतिकता नियमावली पर समाज कार्य अभ्यास के लिए जोर दिया है।

1.4 वकालत के उद्देश्य

एक वकील होने के नाते लोगों के अधिकारों के लिए समाज कार्यकर्त्ता की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। वकालत उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जो वंचित, शक्तिहीन तथा भेदभाव के शिकार हैं। ऐसे व्यक्तियों और समूहों के कल्याण को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे समाज में हर कोई अपने अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध स्रोतों के बारे में जागरूक नहीं रहता है। हमारे समाज में अभी भी पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं, जो असक्षम तथा लाभ विहीन हैं, तथा जिनकी सूचनाओं, सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। लार्ड तथा ग्रे (2007) द्वारा बताए गए मानव अधिकार वकालत के उद्देश्यों को भारतीय सामाजिक सन्दर्भ में समाज कार्य वकालत के लिए अपनाया गया है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. स्वयं और दूसरों को, एक मुद्दे या समस्या के बारे में, शिक्षित करना चाहिए जिसे सुलझाने की जरूरत है।
2. मनोवृत्तियों को बदलना और सामाजिक समस्याओं के बारे में विशिष्ट मिथकों और गलत धारणाओं को लक्षित करते हुए समाज में जागरूकता फैलाना।
3. वंचितों और शोषितों के मुद्दों के बारे में नौकरशाहों, कानून निर्माताओं और बड़े समुदायों को संवेदनशील बनाना और प्रभावित करना।
4. नए कानूनों के लिए विविध तथा सामाजिक परिवर्तन हेतु, प्रवर्तन करने तथा विद्यमान कानूनों को लागू कराने के लिए प्रयास करना।
5. सांझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए गठबंधन और नेटवर्क का विकास करना।
6. वंचितों के समसामयिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मीडिया को प्रभावित करना।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः (अ) उत्तर हेतु दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

(आ) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

(1) वकालत को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 वकालत के प्रकार

कभी–कभी वकालत में शामिल लोग परियोजना को विशेष शैली का एक नाम देते हैं। अभ्यास में प्रत्येक परियोजना अद्वितीय है और जरूरी नहीं कि वह केवल एक नाम के द्वारा संबोधित हों, वे स्थानीय परिस्थितियों तथा जिनकी सहायता की जा रही है, उनकी परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप बदली जा सकती है। वकालत अभ्यास प्रत्येक स्थिति के लिए अलग है। हर समस्या का एक अलग दृष्टिकोण होता है। इन दृष्टिकोणों को मौटे तौर पर निम्न मॉडलों में वगीकृत किया जा सकता है।

1) स्वयं वकालत

स्वयं वकालत का अर्थ होता है स्वयं के हित में बोलना। यह अपनी जरूरतों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है। स्वयं वकालत इस अर्थ में वकालत के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक है कि वह जागरूकता, शक्ति और कौशल निर्माण के लिए स्वयं के लिए वकालत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।

2) सहकर्मी वकालत

सहकर्मी वकालत तब होती है जब सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति के माध्यम से, या एक समान अनुभव से व्यक्ति गुजर रहा हो। यह 'समर्थक वकालत' के रूप में भी जानी जाती है और अक्सर समर्थन समूहों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यह विश्वास और सहानुभूति पर आधारित है क्योंकि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति समान अनुभव को ग्रहण करते हैं।

इसका उद्देश्य जागरुकता, विश्वास और दृढ़ता को बढ़ाने के लिए है ताकि व्यक्ति स्वयं के लिए बोल सके।

3) व्यावसायिक वकालत

व्यावसायिक वकालत वह है, जिसे हम आमतौर पर पेशे की वकालत से समझते हैं। पेशेवर योग्य और प्रशिक्षित श्रमिकों को एक विशिष्ट अल्पावधि समस्या को हल करने के लिए नियोजित किया जाता है। इसे कभी–कभी 'संकट वकालत' के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पर वैधानिक रूप में कार्य करता है हालांकि, यह हमेशा परिकल्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें पेशेवर शुल्क का भुगतान भी शामिल है, जिसे हर व्यक्ति वहन नहीं कर सकता।

4) नागरिक समर्थन

नागरिकों की वकालत प्रशिक्षित और चयनित स्वयं सेवकों की प्रेरक और सहायक गतिविधियों पर होती है, जो आमतौर पर अवैतनिक होते हैं। वे उन लोगों की ओर से कार्य करते हैं जो नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों का बचाव नहीं कर सकते। वे सामान्य नागरिकों को वंचित लोगों के कल्याण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 'नर्मदा बचाओ' आंदोलन जैसे अधिकांश सामाजिक आंदोलन ऐसे नागरिक समर्थन के उदाहरण है।

5) वैधानिक वकालत

यह एक प्रकार की कल्याणकारी संरक्षक वकालत है जहाँ किसी व्यक्ति को कल्याणकारी संरक्षक जैसे किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी के साथ नियुक्त किया जाता है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज एथोरिटी ऐसी ही एक वैधानिक वकालत का उदाहरण है।

6) सार्वजनिक नीति वकालत/प्रणाली समर्थन

यह वकालत मुख्य रूप से प्रणाली (कानून, नीति और प्रथाओं) को प्रभावित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यह एक दीर्घकालिक ढांचे में एक सतत् प्रक्रिया है। विशिष्ट नीतियों और क्षेत्रों पर केंद्रित संगठनों द्वारा सार्वजनिक नीति वकालत की जाती है। यह बड़े पैमाने पर जनता द्वारा केंद्रित होती है और इसका बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव होता है उदाहरण के लिए, 'बचपन बचाओ' आंदोलन।

1.6 समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए वकालत के महत्त्वपूर्ण उपकरण

वकालत रणनीति सामाजिक अन्याय को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। समाज कार्यकर्त्ताओं के द्वारा कुछ वकालत नियोजित रणनीतियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

जनहित याचिका

हाल ही में, लोक–विवाद के मामले (पीआईएल) की सख्त कानूनी वकालत के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है। विशेषरूप से उस समय जब राज्य एजेंसियों के खिलाफ राहत मांगी गई थी, तब जनहित याचिका का सहारा लिया गया। भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत, कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति (अनुच्छेद 32) या उच्चतम न्यायालय के (अनुच्छेद 226) के तहत् सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।

1979 में, एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पटना और मुजफ्फरपुर जेलों में विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील कपिला हिंगोरानी ने कैदियों की ओर से बब्स कॉर्पस की एक रिट दायर की उस समय, लोकस स्टैंडिंग, अर्थात् न्यायालय में पेश होने के लिए

कार्रवाई करने की क्षमता के नियम कठोर थे। एक व्यक्ति ही खुद ही या केवल रिश्तेदार द्वारा कार्रवाई कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया और अंत में कैद की सजा सुनाई गई। ऐतिहासिक मामला हुसैनारा खाटून मामला (हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य 1959) भारत में पहला जनहित याचिकाकर्त्ता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद, कपिला हिंगोरानी को, 'पी.आई. एल. की जननी' के रूप में जाना जाने लगा (इंडियन एक्सप्रेस, 2014)।

जनहित याचिका की प्रभावशीलता का कारण न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका है। यही न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका ने अपने नियम दायरों से आगे बढ़कर कार्य किया। हमारे लोकतांत्रिक समाज की कठोर वास्तविकताओं को महसूस करते हुए, जहाँ यद्यपि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार और उन्हें लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन निरक्षरता, गरीबी, अनभिज्ञता, उन सभी अधिकारों को अर्थहीन करते रहते हैं, न्यायपालिका ने स्वयं इसके लिए कदम उठाए हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य पूरे हो जाएं। न्यायिक सक्रियता का शाब्दिक अर्थ है, 'न्याय को बढ़ावा देने हेतु न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका'।

न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती, जिन्होंने भारत में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की, उन्होंने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया (1983) में बताया है कि "...जनहित याचिका, जैसा कि हम इसे समझते हैं, अनिवार्य रूप से याचिकाकर्त्ता, राज्य अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से, समुदाय के वंचित तबकों को दिए गए संवैधानिक अथवा विधिक अधिकारों, लाभों तथा विशेषाधिकारों का निरीक्षण करने तथा उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने का एक सहकारी अथवा सहयोगी प्रयास है। जिस राज्य अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के विरूद्ध जनहित याचिका दायर की जाती है, उसे भी उनके, जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित अवस्था में हैं, मूल मानव अधिकारों, संवैधानिक अथवा

कानूनी की रक्षा करने में उतनी ही संलग्नता दिखानी चाहिए, जितनी संलग्नता एक याचिकाकर्त्ता दिखाता है। वास्तव में, एक राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण को, जिसे जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें गलत को सही करने अथवा समुदाय के गरीब तथा कमजोर तबकों के प्रति किए गए अन्याय को सही करने का एक अवसर प्रदान करता है, जिनका कल्याण, राज्य तथा सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रमुख चिंता का विषय है।

सार्वजनिक हित के लिए पी.आई.एल. के कुछ उदाहरण हैं:

1) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में, ओल्गा टेलिस, एक पत्रकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष झुग्गी निवासियों और फुटपाथ के निवासियों की तरफ से एक याचिका दायर की। बॉम्बे नगर निगम द्वारा झुग्गी निवासियों और फुटपाथ पर रहने वालों को बेदखल करने के आदेश को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर झुग्गीवासियों और फुटपाथ पर रहने वालों को वहाँ से हटाया गया, तो उन्हें वैकल्पिक आश्रय मिलना चाहिए।

2) जनहित याचिका दायर किए जाने के परिणामस्वरूप (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997), कार्यस्थल के स्थान पर कार्यरत महिला यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संपूर्ण दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए थे। सभी प्रतिष्ठानों, सरकार और गैर–सरकारी संगठन से संबंधित उद्योगों के लिए दिशानिर्देश को लोकप्रिय रूप से लागू किया जाता है। इन दिशा–निर्देशों को विशाखा दिशा–निर्देश के नाम से जाना जाता है।

पीआईएल ने समाज के निम्न वर्ग और वंचित वर्ग को राहत प्रदान करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वकालत के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है जिससे हमारे समाज के एक बड़े खंड को राहत प्रदान की जाती है। इसने न

केवल उचित उपाय प्रदान किए हैं, बल्कि संविधान में निहित हमारे मूलभूत अधिकारों का दायरा भी बढ़ाया है।

2) कानूनी सहायता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए यह स्पष्ट करता है कि राज्य कानूनी प्रणाली के संचालन को सुरक्षित करेगा जो समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से उपयुक्त कानून सहायता, योजनाओं या अन्य तरीकों से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक को, जो आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य विकलांगता के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं, वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 ए के मुताबिक, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 समस्त देश में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लिए एक समान एक वैधानिक आधार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। अंत में, 9 नवंबर 1995 में यह अधिनियम लागू किया गया था। इसमें महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/औद्योगिक श्रमिक, बड़े पैमाने पर आपदा पीड़ितों जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा, विकलांग व्यक्तियों, जेलो में पड़े व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/– से अधिक नहीं है, अदालत शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और अन्य सभी प्रकार शुल्क जो किसी भी कानूनी कार्रवाई के संबंध में दिए गए हैं, कानूनी कार्रवाई में अधिवक्ता प्रदान करते हैं, प्राप्त करने और आदेशों की प्रमाणित प्रतियों और कानूनी दस्तावेजों की आपूर्ति कार्रवाई आदि भी देय किए गए हैं। इन सेवाओं से भी लाभ उठाया जा सकता हैः

क) सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति

ख) राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

ग) उच्च न्यायालय की कानूनी सेवाओं की समिति, उच्च न्यायालय के सभी उच्च न्यायालयों में स्थित हैं।

घ) हर जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण।

3) सामाजिक मीडिया

आज विश्व भर में तकनीकी क्रांति आ चुकी है, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सोशल मीडिया एक गोंद की तरह है, जिसने लोगों को एक साथ जोड़ रखा है। सोशल मीडिया एडवोकेसी के बढ़ते प्रयासों से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच और अधिक जगहों की सूचना इंटरनेट पर तेजी से स्थांतारित की जाती हैं, इसलिए इसकी व्यापक पहुंच है। किसी भी आंदोलन तक पहुंच कर सोशल माडिया उसे एक प्रमुख मुद्दा बना देती है। सोशल मीडिया पर, नेटवर्किंग वेबसाइट के द्वारा लोग विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, मीडिया लिंक, वीडियो और अन्य जानकारी को सांझा कर दूसरों का जानकारी दे सकते हैं।

सामाजिक वकालत उपकरणों में सबसे लोकप्रिय वेबसाइटों में, ब्लॉग, फेसबुक, ट्वीटर, ईमेल आदि शामिल है, चूंकि इन वेबसाइटों में से अधिकांश निःशुल्क हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। वास्तव में, वर्तमान में सोशल मीडिया के बिना कोई भी वकालत आंदोलन अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर सकता है।

सामाजिक मीडिया की सक्रिय भूमिका का स्पष्ट रूप से एक उदाहरण हैः दिसंबर 2012 में दिल्ली फिजियोथेरेपी की छात्रा निर्भया गैंग–बलात्कार

रिपोर्ट, जिसमें सामाजिक मीडिया द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को देखा जा सकता है। जिससे सरकार को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे को संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक तत्काल अध्यादेश, केंद्र स्तर पर जारी किया गया था, जो बाद में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 1973 में यौन अपराध से संबंधित कानूनों पर संशोधन करने के बाद में आपराधिक कानून (संशोधन) 2013 बन गया।

4) वकालत/दबाव समूह

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गैर–सरकारी संगठनों और फोरमों के रूप में वकालत समूह, उनके बहुविध गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय जनता के समर्थन से मुद्दों को संबोधित करते हैं। वे सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, कानून की प्रक्रिया में सहयोग देते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं, शोध को संचालित करते हैं, सार्वजनिक सुनवाई करते हैं, उपस्थित धारकों को जनादेश के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए दबाव डालते हैं, एवं अन्य लोगों को सामुदायिक सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सक्रिय समर्थन के द्वारा विकलांग और न्याय से वंचित लोगों का उत्थान करने में इन्होने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वकालत प्रयासों के कुछ निम्नलिखित उदाहरण, जिन्होंने लगातार प्रयासों द्वारा समाज पर भारी प्रभाव डाला है।

क) **एमनेस्टी इंटरनेशनलः** एक विश्वव्यापी अभियान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों को सभी के लिए बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह सभी मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्य के संदर्भ में शारीरिक और मानसिक अखंडता, विवेक और अभिव्यक्ति

की स्वंतत्रता और भेदभाव से स्वतंत्रता के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने और समाप्त करने पर अनुसंधान और कार्रवाई पर केंद्रित है।

ख) **अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार कार्रवाई (आई.डब्ल्यू.आर.ए.डब्ल्यू.)** महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सी.डी.ए.डब्ल्यू. कन्वेंशन) पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तहत् महिलाओं के मानवाधिकारों की मान्यता को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना के बाद से आई.डब्ल्यू.आर.ए.डब्ल्यू. के कार्यक्रम ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत् वकालत में महिलाओं के मानवाधिकारों को शामिल किया है।

ग) **अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (आई.सी.आर.सी.)** एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र संगठन है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से मानवतावादी मिशन सशस्त्र संघर्ष और हिंसा की अन्य स्थितियों की शिकार महिलाओं और अन्य लोगों की जान जा सम्मान की रक्षा करना है और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह राज्य दलों द्वारा 194 के चार जिनेवा कन्वेशनों और इसके अतिरिक्त 1977 और 2005 के अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष, के शिकार लोगों की रक्षा के लिए जनादेश को सौंपा गया था।

घ) **सार्वजनिक हित के मामलों में जनहित याचिका** के लिए केंद्र उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का पालन कर मुकद्मेंबाजी कर सकता है।

ङ) **नीति अनुसंधान और नीति अनुसंधान, नई दिल्ली** में बजट और गवर्नेंस जवाबदेही केंद्र (सी.बी.ए.जी.) पर आधारित वकालत संस्था है। यह भारत में सार्वजनिक नीतियों और सरकारी वित्त का विश्लेषण करती है, और अधिवक्ताओं को बजट प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी प्रदान करती है।

च) **झुग्गी जगत (स्लम बस्तियां)** एक गैर–लाभकारी मासिक पत्रिका है, जो पूर्ण रूप से बंगलौर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के हितो को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह शहरी गरीबों द्वारा बसे हुए और उपेक्षित जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हैं, पर केंद्रित है। इनका उद्देश्य झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं के लिए लड़ने के लिए आंदोलनों के द्वारा प्रेरित करना है।

1.7 वकालत के सिद्धांत

वकालत के अभ्यास में, समकालीन समाज कार्य की विधि के रूप में समाज कार्यकर्त्ताओं को नैतिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की कठिनाईयों को दूर करने के लिए बाटामैन (2000) ने छः नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है। ये नैतिक सिद्धांत भारत में समाज कार्य करने के लिए अनुकूलित एवं संशोधित किए गए हैं:

1) **सर्वोत्तम हितों में कार्य करना:** वकालत के अभ्यास में समाज कार्यकत्ताओं का विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों से सामना होता है। अतः यह आवश्यक है कि समाज कार्यकर्त्ता न्याय माँगने वाले के सर्वोत्तम हितों में कार्य करे। इसके अतिरिक्त, वकालत प्रयासों को समाजिक न्याय तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने पर, केन्द्रित होना चाहिए।

2) **स्वनिर्णय के अधिकार का सम्मान:** न्यायकर्त्ता की ओर से समाज कार्यकर्त्ता द्वारा वकालत की कार्रवाई की जाती है, इसलिए न्याय चाहने वालों की इच्छाओं का संज्ञान लेना महत्त्वपूर्ण है।

3) **जानकारियों को सांझा करना:** वकालत की धुरी सूचना है, यह महत्त्वपूर्ण है कि समाज कार्यकर्त्ता समय–समय पर उन्हें सूचित करके न्याय चाहने वालों को सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा न्याय मांगने वालों से प्राप्त जानकारी

उनकी पहचान और उनके हितों की रक्षा करने वाले दस्तावेजों को गोपनीय रखा जाए।

4) **तैयारी करना:** सूचना ज्ञान कौशल महत्त्वपूर्ण दक्षताएं हैं, जो कि मामले की वकालत करने के लिए समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए आवश्यक है। समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए यह महत्त्वपूर्ण होता है कि शोध के द्वारा विषय को आवश्यक दक्षता के साथ तैयार और विकसित किया जाए।

1.8 वकालत के कौशल

निम्नलिखित सूची को समाज कार्यों में वकालत के कौशलों को विल्क्स (2012) से अपनाया गया है।

1) **अनुसंधान:** वकालत हेतु कार्य की महत्त्वपूर्ण जानकारी, विश्लेषण और उसकी जानकारी का मूल्यांकन करने में यह कौशल समाज कार्यकत्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है।

2) **बातचीत कौशल और मुखरता:** सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए वकालत में व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत कौशल एवं मुखरता एक महत्त्वपूर्ण तत्व है।

3) **किसी मामले अथवा मुद्दे को पेश करने की कौशलता:** यह कौशलता बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मामले अथवा मुद्दे की प्रस्तुति समाज कार्यकर्त्ता के प्रयासों के नतीजे को निर्धारित करता है। समाज कार्यकर्त्ता के लाभ और प्रभाव को अधिक करने के लिए वकालत प्रयासों में रचनात्मक होना चाहिए।

4) **समूहों/टीमों के साथ काम करने में कौशलता:** वकालत केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। वकालत की सफलता लोगों के साथ

सहभागिता स्थापित करने में समाज कार्यकत्ताओं की क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, बातचीत और मुखरता के प्रयासों की आवश्यकता है।

1.9 वकालत चक्र

वकालत एक रैखिक अथवा क्रमिक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। कई बार सफल वकालत अवसरों पर आधिपत्य के रूप में स्पष्ट होती है। लेकिन वकालत के लिए नियोजन का महत्त्व नहीं हो जाता। चित्र 1 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत चक्र को दर्शाया गया है जो कि सावा द चिल्ड्रन सलांयस (2007) के वकालत चक्र नियोजन का एक सुझावा ढांचा है।

1) **वकालत के मुद्दों की पहचान करनाः** यह पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। इसमें मुद्दों के बारे में मजबूत और स्पष्ट साक्ष्यों को, अनुसंधान कौशल के द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह समस्याओं को देखने और उसमें निहित कारणों की पहचान करने, जो कि अन्याय और असमानता के लिए उत्तरदायी हैं, को स्पष्ट करता है।

2) **वकालत के स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करनाः** इस चरण में समाज कार्यकर्त्ता, आवश्यक परिवर्तनों और समाधानों के बारे में स्पष्ट लक्ष्यों को करना। पहचानता है और निर्धारित करता है कि किसे अपनाया जाना चाहिए।

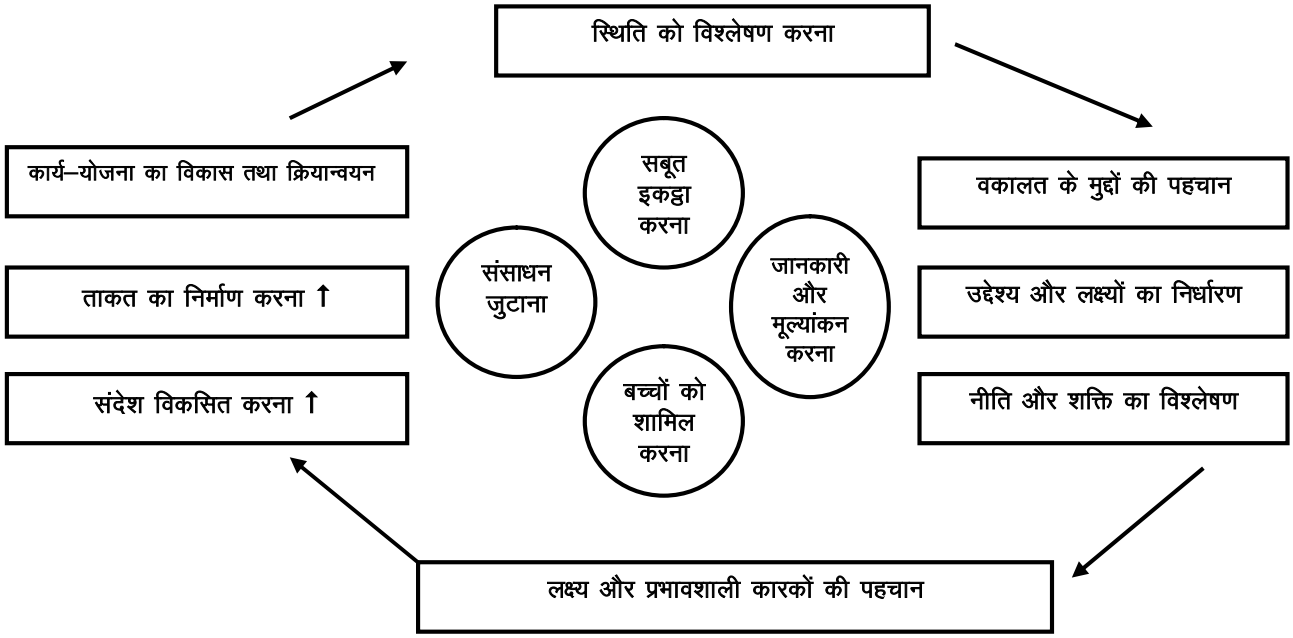

चित्र 1: वकालत चक्र द्वारा इंटरनेशनल सावा द चिल्ड्रन सलांइस (2007)

3) **नीति और शक्ति का विश्लेषणः** इस चरण में समाज कार्यकर्त्ता इन नीतियों और शक्ति केंद्रों की पहचान करते हैं। आवश्यकता है के कारण मामलों को दबाए जाने की कोशिश की जाती है। जिनकी मुद्दों तथा मामलों की वकालत करते समय आवश्यकता हाती है।

4) **वकालत के लक्ष्यों और प्रभावों को पहचाननाः** यह कदम उन वकालत लक्ष्यों की पहचान करने के बारे में है, जिनके पास परिवर्तन करने की क्षमता और शक्ति है।

5) **संदेशों को विकसित करना, कार्य योजना को विकसित करना और कार्यान्वित करनाः** यह कदम संदेश और उसमें निहित परिवर्तन को प्रेषित करने हेतु योजना निर्माण को दर्शाता है।

6) **अतिरिक्त शक्ति का निर्माणः** इस चरण में समाज कार्यकर्त्ता अपने कौशल का उपयोग समर्थन को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं और इस मुद्दे पर लोगों को जुटाने के लिए करते हैं।

7) **कार्य योजना को विकसित और कार्यान्वित करनाः** सामाजित कार्यकर्त्ता अब समूहों की मदद से कार्य योजना तैयार करते हैं।

8) **निगरानी और मूल्यांकनः** वकालत प्रयासों की प्रभावशीलता पर निगरानी, मूल्यांकन और परावर्तन न्याय करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। यह भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करता है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः (अ) उत्तर हेतु दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

(आ) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

(1) वकालत कार्य के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(2) वकालत की दक्षताओं को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.10 सारांश

तार्किकता से एक आंदोलन तक, वकालत ने एक लंबा सफर तय किया है और समाज कार्य अभ्यास के लिए दक्षता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। सामाजिक परिवर्तन, नीति तैयार करने और कार्यान्वयन आदि अपने सभी रूपों में, वकालत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वकालत के दायरे के विस्तार के लिए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

1) असमान शक्ति संबंधों (जैसे पितृसत्ता) का, प्रत्येक स्तर पर चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक, का विरोध करने में अपना योगदान दिया है।

2) यह हाशिए पर रहने वालों को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन के संस्थानों को निर्देशित करता है।

3) यह प्रणाली के भीतर 'रिक्त स्थान' का उपयोग इसे बनाने तथा बदलने के लिए करता है।

4) इसमें सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए ज्ञान, कौशल और अवसरों के उपयोग हेतु उपयुक्त रणनीतियां बनाना शमिल है।

5) यह सूक्ष्म स्तर की सक्रियता और बड़े स्तर की नीतिगत पहल को जोड़ रहा है।

1.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. बैटीमैन, एन. (2000), एडवोकेसी स्किल्स फॉर हैल्थ एंड सोशल केयर प्रोफेशनल्स, लंदनः जेसिका किंग्सले।
2. डालरेमपल, जे एंड बोयलेन, जे. (2013). इफेक्टिव एडवोकेसी इन सोशल वर्क न्यू डेल्हीः सेज पब्लिकेशन।
3. होयुर, आर. (2006). एडवोकेसी प्रैक्टिस फॉर सोशल जस्टिस. लायसियुम बुक इंक।
4. इंडियन एक्सप्रेस फरवरी 2, 2014, इन पब्लिक इंट्रेस्ट (डब्लू डब्लू डब्लू. इंडियनएक्सप्रेस.कॉम/आर्टिकल/इंडिया/इंडिया–अदर्स इन पब्लिक इंट्रेस्ट)।
5. लार्ड, जे एण्ड ग्रे, एम. (सितम्बर, 2007) ह्यूमन राइटस एडवोकेसी (http;//www.american.edu/cgp/ihrc/upload/human-rights-advocacy.pdf)।
6. सेव द चिल्ड्रन (2007). एडवोकेसी मैटर्सः हैल्पिंग चिल्ड्रन चेंज देयर वर्ल्डः पार्टिसिपेन्टस मैनुअल. लंदनः एन इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रन एलायन्स (http://www.unicef.organization/adolance/cypguide/files/advocacymattersparticipatesmanual.pdf)।
7. श्रांइडर, आर.एंड लेस्टर, एल. (2001) सोशल वर्क एडवोकेसीः ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, बेलमॉण्ट सीएःबुक्स कोले।
8. टोपोरैक, आर.एल.एंड लियु.डब्लू.एम. (2001). एडवोकेसी इन काउंसिलिंगः ऐड्रेसिंग रेस, क्लास एंड जेंडर ऑप्रैसन, इन.डी.बी.पॉय–डेविस एंड एच.एल. के.कॉलेमन (इडीएस द इंटरसैक्शन ऑफ रेस, कलास एंड जेंडर इन मल्टीकल्चरल काउंशिलिंगः न्यू डेल्हीः सेज पब्लिकेशंस)।

9. विल्कस. टी. (2012) एडवोकेसी एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस मैडनहैडः ओपन यूनिवर्सिटी प्रैस।

1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

- टोरपैक और लियू (2001) ने वकालत की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक "गतिविधि, एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, परामर्शदाता, अथवा एक मनोवैज्ञानिक जो मुवक्किल तथा मुवक्किल समूहों की सहायता करने में चिकित्सीय लक्ष्यों को, मुवक्किलों की पारिस्थितिक स्थितियों में सहभागिता के माध्यम से पूर्ण करता है।"

बोध प्रश्न II

1) ये सिद्धांत भारत में समाज कार्य करने के लिए अनुकूलित एवं संशोधित किए गए हैंः—

- **सर्वोत्तम हितों में कार्य करनाः** वकालत के अभ्यास में समाज कार्यकर्त्ताओं का विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों से सामना होता है। अतः यह आवश्यक है कि समाज कार्यकर्त्ता न्याय मांगने वाले के सवोत्तम हित में कार्य करे।
- **स्वनिर्णय के अधिकार का सम्मानः** न्यायकर्त्ता की ओर से समाज कार्यकर्त्ता द्वारा वकालत की कार्रवाई की जाती है, इसलिए न्याय चाहने वाले की इच्छाओं का संज्ञान लेना महत्त्वपूर्ण है।

- **जानकारियों को सांझाा करनाः** वकालत की धुरी सूचना है। यह महत्त्वपूर्ण है कि समाज कार्यकर्त्ता न्याय चाहने वालों को समय–समय पर सूचित करके उन्हें सशक्त बनाते हैं।
- **तैयारी करनाः** सूचना, ज्ञान और कौशल महत्त्वपूर्ण दक्षताएँ हैं जो कि एक मामले अथवा एक अभियान की वकालत करने के लिए समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए आवश्यक है।

2. समाज कार्य में वकालत के लिए निम्नलिखित सूची को विल्कस (2012) से अपनाया गया हैः

- **अनुसंधानः** मामले की वकालत करने हेतु जानकारी एकत्र करने में, विश्लेषण करने में तथा मूल्यांकन करने में, यह कौशल समाज कार्यकत्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **बातचीत कौशल और मुखरताः** सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए वकालत में व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक बातचीत कौशल एवं मुखरता एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
- **किसी मामले या मुद्दे को पेश करने का कौशलः** यह कौशल बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा मामले अथवा मुद्दे की प्रस्तुति, वकालत प्रयासों के परिणाम को निर्धारित करती है।
- **समूह/टीमों के साथ कार्य करने को कौशलः** वकालत केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। वकालत की सफलता लोगों के साथ सहभागिता स्थापित करने में समाज कार्यकर्त्ताओं की क्षमता पर निर्भर करती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 2 नेटवर्किंग*

*डॉ. मालाथी अदुसुमाली
एवं डॉ. नमिता जैनर

रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 नेटवर्क और नेटवर्किंग की परिभाषा

2.3 समाज कार्य में नेटवर्किंग का महत्त्व

2.4 प्रभावी नेटवर्किंग के आवश्यक तत्त्व

2.5 नेटवर्क के विभिन्न प्रकार

2.6 नेटवर्किंग के साधन और कार्यनीतियाँ

2.7 सारांश

2.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगेः

* डॉ. मालाथी अदुसुमाली एवं डॉ. नमिता जैनर, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली।

- नेटवर्क और नेटवर्किंग की अवधारणा को समझना;
- समाज कार्य में नेटवर्किंग के महत्व को समझना;
- नेटवर्किंग के प्रकारों, उपकरणों और रणनीतियों को समझना; और
- प्रभावी नेटवर्किंग के आवश्यक तत्त्वों को समझना।

2.1 प्रस्तावना

समाज कार्य अभ्यास सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सामाजिक समबद्धता और जनता के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है (आई.एफ.एस.डब्ल्यू. 2014)। व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता गौण और उत्पीड़ित समूहों के साथ अपनी प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया/अभ्यास का सबसे अधिक प्रसिद्ध चयन केस कार्य/वाद–प्रतिवेदन कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक कार्य है। वैश्वीकरण के इस परिवर्तनीय सामाजिक वातावरण में केवल एक अकेले व्यक्ति के लिए समाज कार्य अभ्यास चुनौतीपूर्ण होता चला गया अर्थात् समाज कार्य अभ्यास केवल एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं रही।

समाज कार्यकर्त्ताओं को अनिवार्य रूप से प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए नेटवर्कों का विकास करने और सहायक प्रणालियों की आवश्यकता है। समकालीन समय में नेटवर्किंग को समाज कार्य अभ्यास का महत्त्वपूर्ण तरीका माना गया है, क्योंकि इसकी प्रभावशीलता के कारण संसाधनों के दोहन में, ज्ञान प्राप्त करने में, नीतियों को प्रभावित सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए वकालत में सहायता मिलती है।

2.2 नेटवर्क और नेटवर्किंग की परिभाषा

अभिरुचियों को साझा करना सभी नेटवर्किंग प्रयत्नों का आधार है और यह व्यक्तियों के बीच सूचना, योजनाओं और संसाधनों का आदान–प्रदान करने के विषय में है। सहायक नेटवर्कों को बनाना नेटवर्किंग कार्य की आधारशिला है। क्रिस्ट–अशमान और हुल (2006) नेटवर्क को इस प्रकार प्रभावित करते हैं, 'बहुत

से व्यक्ति और संस्थाएं जिनका एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपस में सहसंबंध है वे प्रत्येक इसे लाभप्रद अनुभव करते हैं'। वे एक विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अनौपचारिक सम्बन्धों की तदर्थ व्यवस्था भी हो सकती है।

गिलक्रिस्ट (2004) सुझाव देते हैं कि नेटवर्क में, 'अस्तित्व और संयोजन के स्थायित्व का निर्धारण व्यक्तिगत रुचियों, परिस्थितियों या कभी–कभी विशुद्ध समान घटनाओं द्वारा होता है। सदस्यों के बीच सहकारिता इकरारनामें या बल प्रयोग के बजाय विनिमय और दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती हैः नेटवर्क का सबसे महत्त्वपूर्ण और लाभदायक पहलू इसके संबंधों का प्रतिरूप है, जो प्रायः आधारभूत मूल्य, सांझी रुचि या केवल अतिव्यापी जीवन के भूगोल से प्रतिबिम्बित होती है'।

नेटवर्क के सहजीवी संबंधों इस ज्ञान पर आधारित समझ के साथ, फोलगरेटर (2004) नेटवर्किंग को इस प्रकार परिभाषित करता है, 'एक या अनेक समाज कार्यकर्त्ताओं के द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य जो जनता के नेटवर्क के साथ संयुक्त कार्रवाई, कार्यों में संबंधों का रूप ले लेते हैं, जैसे–अन्य पूर्व विद्यमान या अन्तर्निहित संबंधों के साथ'। इस कार्रवाई का उद्देश्य न्याय चाहने वालों को समर्थन देना और विशेषज्ञ और नेटवर्क दोनों की कार्रवाई के लिए गुणवत्ता और क्षमता में सुधार करना है।

इस प्रकार, नेटवर्किंग ने समाज कार्य अभ्यास में निम्नलिखित महत्त्व पर जोर दिया हैः

1) इसमें अन्य व्यवसायियों के साथ संबंधों का बनाना सम्मिलित है, जो इन पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने के लिए अभिरुचियों, सुअवसरों और लक्ष्यों को सांझा करते हैं।

2) यह संसाधनों को जुटाने के लिए समुदायों, संगठनों और समाजों के बीच तथा भीतर लाभदायक संयोजनों, संबंधों को उत्पन्न करने के विषय में है

और व्यवसायी समाज कार्यकर्त्ताओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में है।

3) यह सांझा लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए पारस्परिक समर्थन, सहायता और नियुक्तियों के लिए नेटवर्क में सभी भागीदारों के साथ दीर्घकालिक सहजीवी संबंध बनाने की मांग करता है।

2.3 समाज कार्य में नेटवर्किंग का महत्त्व

एक प्रभावी समाज कार्य अभ्यास के लिए समाज कार्यकर्त्ताओं को अन्य व्यक्ति और संगठनों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग देने की आवश्यकता है। नेटवर्क का मूल्य गरीबी के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिक्रिया को गतिशील बनाने के लिए इसकी क्षमता द्वारा आंका जाता है। नेटवर्किंग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर सशक्तिकरण की योजना/नीति है। समाज कार्यकर्त्ताओं को नेटवर्क और नेटवर्किंग की अनिवार्यता को आश्रितों और अपनी प्रभावशीलता दोनों के लिए सहायकों और बदलाव की इकाई के रूप में भी आवश्यक समझना चाहिए। समाज कार्य अभ्यास की प्रणाली के रूप में नेटवर्किंग के लाभ निम्नलिखित हैं:

1) **सामाजिक पूंजी:** नेटवर्क थेरेपी/निदान और नेटवर्किंग में सामाजिक कार्यों के पुनः स्थापन और समस्या को सुलझाने के लिए संपत्तियों के रूप में रिश्तों का उपयोग किया जाता है। लोगों के बीच रिश्तें दिन–प्रतिदिन समाज कार्य करने के लिए सामाजिक पूंजी का हिस्सा बनाते हैं। मानवीय पूंजी की तरह, सामाजिक पूंजी एक संपत्ति है जो व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा, भावात्मक सहारा प्रदान करते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, एक दम्पत्ति के वैवाहिक संबंधों में विवाद की स्थिति में, परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार विवाद में दम्पत्ति की सहायता करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क व्यक्तियों को व्यक्तिगत कठिनाईयों से बचने

के लिए अपनी योग्यता के प्रति और अधिक आत्मविश्वास का अनुभव कराने में सहायता करते हैं और तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। नेटवर्किंग औपचारिक और अनौपचारिक रूप से देखभाल करने वालों को एक साथ लाने में सहायता करती है। प्रभावपूर्ण समस्याओं को हल करने और तनाव को कम करने के लिए सहायक व्यवस्थाएं होती हैं। सहायक समूह उन समूहों के अधीन आता है, जो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं, यह जनता के लिए सामाजिक पूंजी का अनिवार्य भाग बन जाता है।

2) **व्यवसाय के भीतर और बाहर संसाधनों की विभिन्नता के लिए सुविधाएं/खुले दरवाजेः** सर्वप्रथम मुख्यतः नेटवर्क संसाधनों यथा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों को बढ़ाता है। नेटवर्किंग इस धारणा पर आधारित है कि जो लोग अपने हितों में वृद्धि करने की अधिक क्षमता/योग्यता रखते हैं वे अपने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। यह बढ़े हुए संप्रेषण के लिए संसाधनों को बांटने और सुअवसर प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो रचनात्मक सोच और नए समाधानों का नेतृत्व कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई संगठन महिलाओं पर बड़े पैमाने पर एसिड हमलों से संबधित नए कानून के लिए आग्रह करना चाहता है तो नए शोध करने के बजाय, यह पहले ही से एसिड हमले के शिकार लोगों के साथ कार्य कर रहे एक संगठन द्वारा किए गए अध्ययन का उपयोग कर सकते हैं।

3) **समर्थन को विस्तारित और एकता को प्रोत्साहित करनाः** नेटवर्किंग के द्वारा गठित संबंध अनुसंधान और सामाजिक अभियान पर आधारित जानकारी और नए संसाधनों को उत्पन्न करने और उनके प्रयासों के लिए समर्थन में विस्तार करने में लाभदायक हो सकते हैं। नेटवर्किंग प्रयासों के दोहराव को भी रोकता है और एक मुद्दे के लिए सामूहिक और ठोस प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तरों को एकजुट करने में

सहायता करता है। यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच बातचीत की सुविधाएं प्रदान करता है और उन्हें अपनी भिन्नताओं और अपनी समानताओं को पहचानने की सक्षमता प्रदान करता है। यह संगठनों और व्यक्तियों के लिए एकात्मकता से एक साथ लाने का साधन भी है और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय उद्देश्यों के लिए समूहों पर दबाव डालने का कार्य करता है। समाज कार्य के लक्ष्यों के लिए संयुक्त प्रयास, वकालत का अनिवार्य भाग है क्योंकि गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और संघटन में वृद्धि करने के लिए सहयोग अनिवार्य है। यहाँ तक कि समाज कार्यकर्त्ता स्वयं व्यैक्तिक तनाव को सांझा करने के लिए और मार्गदर्शन में लाभ के लिए साथी खोजते हैं। हाल ही में, समाज कार्यकर्त्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने भारत को एक सदस्य का दर्जा दिया है, जो एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था कि एक देश से केवल एक संगठन को सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। 2015 में छः संगठन, जिनके नाम हैं– व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की राष्ट्रीय संस्था, स्थापना 2014, व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की कर्नाटक संस्था, स्थापना 1977 में, व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की केरल संस्था, स्थापना 2013 में, व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ता संस्था, स्थापना 2004 में, और प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्ताओं की मुम्बई संस्था, स्थापना 1989 में, को एक साथ मिलाकर एक संस्था बनायी गयी– व्यवसायिक समाज कार्य संस्था का , भारतीय नेटवर्क (आई.एन.पी.एस.डब्ल्यू.ए. जिससे भारत आई. एफ.एस.डब्ल्यू. के सदस्य का दर्जा प्राप्त कर सका।

4) **समाज कार्य अभ्यास के प्रयासों में सहायता:** नेटवर्किंग सामाजिक प्रणाली द्वारा कार्रवाई की गति बढ़ाने में सहायता करती है। यह संगठित तथा गतिशील होने में सहायता करती है, सिविल सोसाइटी समूहों को सशक्त बनाती है, और नीति–निर्माण की प्रक्रियाओं में, निर्धन तथा शक्तिहीन तबके को आवाज उठाने योग्य बनाती है। उदाहरण के लिए, पट–कथा संस्था

दिल्ली में यौन कार्यकर्त्ताओं के बच्चों के साथ कार्य कर रही है। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण रणनीतियों में से एक, बच्चों को शिक्षित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमताओं के निर्माण के स्थान पर, शिक्षा के क्षेत्र में पहले से कार्यरत अन्य संगठनों जैसे अंकुर और प्रथम के साथ सहयोग/समन्वय करना अधिक लाभप्रद होगा जिससे कि इन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके।

5) **चुनौतियों का सामना करने में सहायता:** नेटवर्क का एक अन्य मौलिक लाभ यह है कि वे संगठनों को उनके औपचारिक संरचना को विस्तारित किए बिना, बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देते हैं। अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क होने के कारण व्यक्तिगत कमजोरी को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, झोंपड़ी/झुग्गीदार निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग (सड़क विक्रेताओं का गठजोड़) उनके लाभ के लिए समूहों की अभिरुचियों को प्रोत्साहित करते हैं।

6) **मानव अधिकारों की निगरानी:** समाज कार्य अभ्यास के तहत् नेटवर्किंग को मानव अधिकारों की निगरानी को एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकारी और गैर–सरकारी कलाकारों के परामर्श और जवाबदेही के साथ सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मानव अधिकार भागीदारों और स्थानीय अभिनेताओं के बीच जानकारी और सहयोग के सक्रिय रूप से सांझीकरण द्वारा होता है, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की निगरानी की जा सकती है। समकालीन समय में सिकुड़ते कल्याणकारी राज्य के कारण यह भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दलित एकता, नेटवर्क के माध्यम से ऐसे मानव अधिकारों की निगरानी का एक उदाहरण है।

7) **अनुसंधान तथा शिक्षा:** नेटवर्किंग अनुसंधान, शिक्षा तथा छात्रवृति के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों और संस्थाओं के बीच में सहकारिता

और संपर्क, उन लोगों को, जो स्नातकोतर और व्यवसायिक समुदायों में होते हैं, उन्हें विकास के विषय में मौजूदा ज्ञान कार्य सांझा करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, क्षेत्र में विकासात्मक व्यवसायिक कार्य अभ्यास में व्यवसाय की समकालीन वास्तविकताओं के विषय में शिक्षा देने के लिए शिक्षात्मक संस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं। समान रूप से, शिक्षात्मक संस्थाएं कार्य और अभ्यास के लिए संगठनों के लिए प्रशिक्षित व्यवसायिक संघ प्रदान करते हैं। संस्थाओं द्वारा किए अनुसंधान समाज इसके महत्त्व तथा अनुसंधान केन्द्र के साथ समकालीन चुनौतियों को समझने के एक प्रति, संगठनों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बीऑण्ड कोपेनहगन क्लेक्टिव, संगठनों का सहमिलन है और नेटवर्क पर्यावरणीय और जलवायु न्याय और प्रोत्साहित विकास पर कार्य करता है।

2.4 प्रभावी नेटवर्किंग के आवश्यक तत्त्व

नेटवर्किंग बहुत ही योजित और गहन प्रक्रिया है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि प्रभावी नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग के निम्नलिखित घटक उपयोग में लाए जाएं:

1) **आंकड़ों को आधार बनाना:** सभी सहयोगियों के लिए संसाधनों और सूचना के आंकड़ों को आधार बनाने की रचना अनिवार्य है और नेटवर्क में यह महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना सूचना देने और सम्प्रेषण में अंतर/दूरी आ जाएगी जो अप्रभावी नेटवर्किंग का नेतृत्व करेगी/कारण बनेगा।

2) **कायम रहने वाले (संपोषणीय) संबंधों का निर्माण:** यह महत्त्वपूर्ण है कि नेटवर्किंग संबंध समान अभिरुचियों और आपसी लक्ष्यों द्वारा, सहजीवी और पथ प्रदर्शित होते हैं क्योंकि केवल इन्ही आधारों पर संप्रेषणीय नेटवर्क को सुरक्षित/सुनिश्चित रखा जा सकता है। पारस्परिक लक्ष्य नेटवर्क में सभी सहभागियों के पारस्परिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं। आपसी परस्पर

निर्भरता सुनिश्चित करती हैं कि नेटवर्क में सहभागी एक दूसरे के साथ लम्बे समय तक सहकारिता रखने योग्य होते हैं।

3) **संप्रेषणः** सूचना सहभाजन प्रभावी नेटवर्किंग की कुंजी है। यदि नेटवर्किंग में सहभागी निरंतर समान रुचि की सूचना को बांटने का कार्य नहीं करता तो वह नेटवर्किंग सहभागियों के बीच अविश्वास का कारण बनेगा। सूचना के सुचारु प्रवाह के बिना भी नेटवर्क में सहभागी संसाधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से विभाग करने के योग्य नहीं होंगे। अप्रभावी संप्रेषण नेटवर्किंग के लिए सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि यह प्रायोजन नेटवर्क का गठन करने में विफल हो जाता है।

4) **गोपनीयता को सहभाजित करनाः** नेटवर्क में विश्वास और गोपनीयता सभी सहभागियों के बीच सुचारु संप्रेषण और संबंध को बढ़ावा देती है। यद्यपि सूचना का सहभाजन सहभागियों के बीच नेटवर्क के सदस्यों के लिए खुली है परंतु रेखांकित नियम बने हुए हैं कि सूचना सहभाजन का किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और नेटवर्क की सीमाओं के भीतर सुनिश्चित रूप से सुरक्षित रखनी चाहिए।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) नेटवर्क तथा नेटवर्किंग को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्रभावी नेटवर्किंग के आवश्यक तत्त्व क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 नेटवर्क के विभिन्न प्रकार

नेटवर्क का क्षेत्र परिवार की तरह लघु से लेकर राष्ट्रीय न्यायालयों और संबंधों की तरह विशाल व्यवस्था तक है। पारस्परिक सहायता और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रकार के नेटवर्क तैयार किए गए हैं।

1) **अनौपचारिक नेटवर्क:** अनौपचारिक नेटवर्क में परिवार, पड़ोसी और मित्र जैसे व्यैक्तिक संबंध सम्मिलित होते हैं, जिस पर कोई सहायता के लिए भरोसा कर सकता है। ये नैसर्गिक नेटवर्क के रूप में भी जाने जाते हैं। यह समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा योजना और हस्तक्षेप के लिए अपनाया जाने वाला प्रथम नेटवर्क है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि

नकारात्मक या दुष–क्रियात्मक संबंध नेटवर्क के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अनौपचारिक समूह मुख्य सहायक समूह भी होते हैं जिसे समाज कार्यकर्त्ता द्वारा किसी समस्या को सुलझाने तथा सामाजिक सहायता का निर्माण करने के लिए अपनाने की आवश्यकता होती है।

2) **औपचारिक नेटवर्क** : यह अपने सदस्यों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए व्यवसायिक समूह को संदर्भित करता है, उन्हें योजनाबद्ध और संरक्षित सहायक समूहों के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे एक स्वयं सहायता समूह औपचारिक नेटवर्क का उदाहरण है। इस प्रकार के नेटवर्क के सदस्यों का समान लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की रुचि समान होती है। यह नेटवर्क प्रमुख व्यक्तिगत संबंधों के समूह से बाहर सहायक समूह होता है जो परिवार और मित्रों से बाहर होते हैं।

3) **आंतरिक/स्वदेशी नेटवर्क** : यह नेटवर्क कार्य स्थल से संबंधित होता है। व्यवसायिक संबंध और संघ समाज कार्यकर्त्ता के स्वदेशी नेटवर्क से कार्य स्थल में विकसित होते हैं। समान संस्था के विभिन्न विभागों में नेटवर्किंग इस आंतरिक नेटवर्क के उदाहरण हैं, एक गैर सरकारी संगठन में कार्यालय में प्रशासन एक इकाई का निर्माण करती है जबकि समुदाय में कार्य क्षेत्र कर्मचारी एक दूसरी अन्य इकाई का निर्माण करते हैं। कार्य की रूपरेखा में अंतर होने के बावजूद, संगठन में ये दोनों भिन्न इकाईयों के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे संगठन के कार्यों के सुचारु संचालन के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

4) **बाहरी/विदेशी नेटवर्क** : व्यवसायिक संबंध और सहयोग व्यवसाय से संबंधित होते हैं परंतु कार्य स्थल के बाहर बाहरी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे– दूसरे संगठन के साथ संगठन में समाज कार्यकर्त्ता के संबंध दूसरे संगठन के साथ उसके बाहरी नेटवर्क का हिस्सा है। यौन

कार्यकर्त्ताओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे पुलिस अधिकारियों के साथ बचाव कार्य को पूरा करने के लिए संघ का निर्माण करते हैं और यौन कार्यकर्त्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों के साथ संघ का निर्माण करते हैं। बाहरी नेटवर्क महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी संगठन या व्यक्ति आत्म–निर्भर नहीं होता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं से कल्याण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दूसरों से सहायता और संसाधन संगठित करने की आवश्यकता होती है।

5) **परिचालन/क्रियाशील नेटवर्क :** लोगों का नेटवर्क, जो कार्य के फलस्वरुप एक दूसरे को सहयोग देते हैं, परिचालन नेटवर्क का रूप धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी कल्याण विभाग में कुशल अधिकारी प्रत्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता या (ए.एस.एच.ए.) आशा कार्यकर्त्ता (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियतावादी) की तरह उनके अधीन निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ सहयोग से कार्य करते हैं। कुशल अधिकारी लोगों को कल्याण सेवाओं के प्रावधान के लिए जूनियर कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और जांच करते हैं। कल्याण अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य को प्राप्त करता है और इस प्रकार वे कल्याण अधिकारी के क्रियाशील नेटवर्क का अनिवार्य भाग बनते हैं।

6) **व्यक्तिगत नेटवर्क :** इसे अनौपचारिक नेटवर्क के साथ न जोड़े क्योंकि यह परिवार के बाहर गठबंधन से पहचाना जाता है। इसमें ऐसे समूह सम्मिलित हैं, जैसे व्यवसायिक संस्थाएं, समान विचारों वाले पूर्व छात्र और समानता के समूह। वास्तव में ये उन लोगों का महत्त्वपूर्ण नेटवर्क है जो समाज कार्यकर्त्ता की या संगठनों की पहुंच को बढ़ाता है और स्थानीय से लेकर सार्वभौमिक तक संसाधनों को प्राप्त करता है।

7) **रणनीतिक नेटवर्क :** यह एक महत्त्वपूर्ण नेटवर्क है और इसमें एक व्यवसायिक क्षेत्र में, साथियों और वरिष्ठ लोगों के साथ गठबंधन बनाए रखना सम्मिलित है। यह नेटवर्क व्यवसायिक विकास के लिए सर्वोत्तम तरीकों के बारे में विचारों को सांझा करके, नए दृष्टिकोणों को सीखने और व्यवसायिक मोर्चे पर नए विकास के साथ अपने आप को अद्यतन रखने के द्वारा, व्यवसायिक विकास के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, समाज कार्यकर्त्ता कार्य के अतिरिक्त स्वयं को राष्ट्रीय समुदाय और संस्थाओं जैसे यू.एस.ए. में समाज कार्यकर्त्ताओं की राष्ट्रीय संस्था के साथ पंजीकृत करते हैं। भारत में, समाज कार्य अभी भी प्रमाणित व्यवसाय नहीं है। परंतु कुछ व्यवसायिक समुदाय जैसे भारत के व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की राष्ट्रीय संस्था (एन.ए.पी.एस.डब्ल्यू.आई.) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थल खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार के समुदाय समाज कार्य व्यवसायिकों के लिए संसाधनों विचारों को साझा करने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण रणनीतिक नेटवर्क बनाते हैं और क्षेत्र के समकालीन विकास से संयुक्त रहकर स्वयं की सहायता करते हैं।

8) **सामाजिक नेटवर्क :** सोशल मीडिया एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग ऑनलाइन टेकनीक के लिए किया जाता है जो लोगों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रोतागण के साथ संपर्क बनाने और शीघ्र सूचना तथा संसाधनों को बांटने के योग्य बनाते हैं। समकालीन समय में, सामाजिक नेटवर्किंग महत्त्वपूर्ण साधन भी बन गई हैं इससे ट्वीटर, फेसबुक आदि स्थानों के साथ नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मीडिया के शीघ्र/तत्काल प्रगति दूरसंचार और कंप्यूटर तकनीक ने विविध सभ्य समाज के पक्षधारियों के बीच सूचना को सुविस्तृत बांटने में सरल बनाया है। यह नेटवर्क दो मुख्य कारणों से महत्त्वपूर्ण है– कम कीमत और श्रोताओं के साथ शीघ्र बांटना। यह समाज कार्यकर्त्ताओं और सभ्य सामाजिक संस्थाओं के लिए

समाज कार्यों और मुद्दों पर प्रतिस्पर्धाएं, संगठन या आंदोलनों का प्रबंध करने के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। सामाजिक मीडिया ने अभूतपूर्व रूप से जानकारी पहुँचाने को संभव बना दियाहै।

9) **नागरिक कार्य :** इसका संबंध स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सभ्य समाज, संगठनों और सरकारों के बीच परस्पर क्रिया से है। यह रचनात्मक संबंधों को बनाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पास किया गया अधिनियम जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 बहुत सी महिलाओं की संस्थाओं का कार्य का एक उदाहरण है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए सरकारी संगठन पर जोर देकर स्वीकार कराती है और सरकारी मशीनरी से बातचीत करके उन्हें महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध करती है और हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भी कार्य करती है।

नेटवर्क के ये सभी प्रकार पड़ोस, समुदाय, व्यवसायिक समूहों या समाज के सभी सदस्यों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व और आदान–प्रदान करते हैं। ये सभी सामाजिक पूंजी के संघ के भाग का रूप है। सामाजिक पूंजी मानवीय पूंजी के उद्देश्य से संबंधित है और व्यक्तिगत संबंधो की योग्यता, सामाजिक सहायता, साधन सम्पन्नता, कौशलताओं के ज्ञान की व्याख्या और समुदाय से संबधित है।

2.6 नेटवर्किंग के साधन और कार्यनीतियाँ

नेटवर्किंग अनिवार्य रूप से रचनात्मक नेटवर्क की कौशलताओं पर निर्भर करती है, जो यह ज्ञान प्रदान करती हे कि नए नेटवर्कों का निर्माण कैसे करना है। समान रूप से यह भी महत्त्वपूर्ण है कि व्यवसाय के लक्ष्यों की मांगों और आवश्यकताओं के अनुसार उपस्थिति नेटवर्कों में परिवर्तन करने की या बनाए रखने की आवश्यकता है। नेटवर्कों को संगठित करने के लिए सभ्य सामाजिक संगठनों और

समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित साधन बहुत लाभदायक है और समाज कार्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए उनकी पहुंच में वृद्धि करते हैं।

1) **सामाजिक मीडिया (माध्यम)** : सोशल मीडिया/माध्यम लोगों को सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के साथ तीव्र सूचना और संसाधनों को बांटने और संपर्क रखने के योग्य बनाता है। यह कम कीमत पर अधिक से अधिक श्रोता प्रदान करता है और यह संप्रेषण के अन्य प्रकारों की तुलना में विस्तारपूर्वक फैला हुआ है। सामाजिक मीडिया का प्रयोग करने वालों के लिए सबसे अधिक साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर और गूगल हैं।

2) **व्यवसायिक सदस्यता** : व्यवसायिक वृद्धि और श्रोताओं में वृद्धि दोनों के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सामाजिक न्याय मामलों पर कार्य करने के लिए व्यवसायिक सदस्यता बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत में, हमारे पास समाज कार्य व्यवसायिक समुदाय जैसे भारत में व्यवसायिक समाज कार्यकर्त्ताओं की राष्ट्रीय संस्था (एन.ए.पी.एस.डब्ल्यू.आई.) है, जो भारत में समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए नेटवर्किंग के सुअवसर प्रस्तुत करती है।

3) **भूतपूर्व छात्र समूह** : विस्तृत संस्थाएं जैसे भूतपूर्व छात्र संस्थाएं, समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए नेटवर्किंग के प्रचुर सुअवसर प्रस्तुत करती है। इससे संबंधित समूहों की बैठकों में उपस्थित होना सामाजिक लक्ष्यों की सहायता के लिए लाभदायक और लंबे समय तक चलने वाले नेटवर्क के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं।

4) **परिसंवाद/सम्मेलन/कार्य–शिविर/बैठक** : व्यवसायिक स्पर्धाएं जैसे परिसंवाद, सम्मेलन और बैठकें, व्यवसाय में सुदृढ़ संबंधों की स्थापना करने के लिए प्रभावशाली रास्ते हैं। यह नेटवर्किंग प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं और विचारों, योजनाओं के आदान–प्रदान के लिए क्षेत्र प्रदान करते हैं।

5) **जनसभा आधारित साधारण मामला :** जनसभा आधारित मामले और समूहों के साथ किसी का सम्मिलित होना, नेटवर्किंग की प्रक्रिया में नवीनतम जानकारी को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण नीति है। ये संबंध मामले का समर्थन करने के लिए ही केवल महत्त्वपूर्ण नहीं है वास्तव में इस तरह की भागीदारी हस्तक्षेपों में परिवर्तन के लिए बड़े स्तर की नीति में भाग लेने के लिए सुअवसर प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, कच्छ नव निर्माण अभियान स्थानीय स्तर पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का एक सामूहिक समूह है। यह 1998 में कच्छ में विनाशकारी तूफान की प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित किया गया था। नेटवर्क बनाने और समर्थन करने के लिए आवश्यक रणनीतियों का एक उदाहरण मैक्यूर (1991) द्वारा दिया गया है, जो ऐसी गतिविधियों का सुझाव देता है कि समाज कार्यकर्त्ता स्वयं सहायता समूहों से नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। ये इस प्रकार हैं:

1) मिलने के लिए स्थान प्रदान करना।

2) कोष के लिए प्रबंध करना और योगदान देना।

3) सदस्यों को जानकारी प्रदान करना।

4) नेताओं के रूप में सदस्यों को प्रशिक्षण देना।

5) लोगों को समूह से जोड़ना।

6) सामूहिक गतिविधियों का प्रचार करना।

7) समूह से परामर्श स्वीकार करना।

8) बड़े समुदाय में विश्वसनीयता प्रदान करना।

9) व्यवसायिक समुदाय में विश्वसनीयता प्रदान करना।

10) समूह और अन्य संगठनों के बीच प्रतिरोधक की तरह कार्य करना।

11) समूह नेताओं के लिए सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।

12) समूह नेताओं के साथ परामर्श करना।

समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए नेटवर्किंग की योजना करने के लिए यह सूची उचित है। इनमें से कुछ गतिविधियां दूसरे प्रकार की नेटवर्किंग के लिए भी लाभदायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, सभी नेटवर्क के लिए एक स्थान या यंत्रकला की मांग होती है जिनकी व्यक्तिगत बैठकों, अभियानों रैलियो आदि में आवश्यकता होती है परंतु वास्तविक नेटवर्कों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) अनौपचारिक तथा औपचारिक नेटवर्क को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नेटवर्किंग की कार्यनीतियों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 सारांश

नेटवर्किंग समाज कार्य के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण समकालीन प्रणाली के रूप में विकसित हो रहा है। यह जानकारी संसाधनों, समान अभिरुचियों और सुअवसरों को सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बांटने के लिए महत्त्वपूर्ण है जो कि सभी समाज कार्य प्रयासों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। समाज कार्यकर्त्ता बहुत से विभिन्न कोणों और विभिन्न स्तरों–सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के साथ नेटवर्किंग में सम्मिलित हो सकते हैं। नेटवर्किंग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वंचितों को आवश्यक सहायता प्राप्त

हो सके। नेटवर्किंग के माध्यम से समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका का प्रयोग वैश्विक मुद्दों से लेकर सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समुदाय में वृहत्तर समस्याओं को सुलझाने में भी नेटवर्क उपयोगी है।

2.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कुल्शेड, वी एण्ड ओरमी, जे (2006). सोशल वर्क प्रैक्टिसः एन इंट्रोडक्शन. बेसिनगस्टॉकः पेलग्रेव मेकेमिलन।
2. फॉलगराइट. एफ. (2004) रिलेशनल सोशल वर्कः टुर्वाड नेटवर्किंग एण्ड सोसाइटल प्रैक्टिसिज. लंदनः जेसिका किंग्सले पब्लिशर्स लिमिटेड।
3. गिलक्रिस्ट, ए (2004) द वैल क्लेकटिड कम्युनिटी ब्रिस्टलः पॉलिटी प्रैस।
4. क्रिस्ट–एशमैन. के.के. एंड हुल, जी.एच (2006) जर्नलिस्ट प्रैक्टिस विद ऑर्गेनाइजेशनस एंड कम्युनिटीस वेलमॉण्टः बुक्स/कोले।
5. मैग्युर, एल. (1991) सोशल सपोर्ट सिस्टम इन प्रैक्टिस सिल्वर स्प्रिंग्स. एम. डी. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स प्रैस।

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) गिलक्रिस्ट (2004) सुझाव देते हैं कि नेटवर्क में, अस्तित्व और संयोजन के स्थायित्व का निर्धारिण व्यक्तिगत रूचियों, परिस्थितियों, समान घटनाओं या कभी–कभी विशुद्ध समानता द्वारा होता है। सदस्यों के बीच सहभागिता इकरारनामे या बल प्रयोग के बजाय विनिमय और दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है... नेटवर्क का सबसे महत्त्वपूर्ण और लाभदायक पहलू इसके सम्बन्धों का प्रतिरूप है, जो प्रायः आधारभूत मूल्य, सांझी रूचि या केवल अतिव्यापी जीवन के भूगोल से प्रतिबिम्बित होती है।

2) नेटवर्किंग बहुत ही नियोजित एवं गहन है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि प्रभावी नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्वों को उपयोग में लाया जाए।

- **आंकड़ों को आधार बनानाः** सभी सहयोगियों के लिए संसाधनों और सूचना के आंकों को आधार बनाने की रचना अनिवार्य है और नेटवर्क में यह महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना सूचना देने और सम्प्रेषण में दूरी आ जाएगी जो अप्रभावी नेतृत्व का कारण बनेगी।
- **कायम रहने वाले सम्बन्धों का निर्माणः** यह महत्त्वपूर्ण है कि नेटवर्किंग सम्बन्ध, समान अभिरूचियों और आपसी लक्ष्यों द्वारा सहजीवी और पथ–प्रदर्शित होते हैं क्योंकि केवल इन्हीं आधारों पर संप्रेषणीय नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- **संप्रेषणः** सूचना सहभाजन अप्रभावी नेटवर्किंग की कुंजी है। यदि नेटवर्किंग में सहभागी निरंतर समान रूचि को सूची को बांटने का कार्य नहीं करता, तो वह नेटवर्किंग सहभागियों के बीच अविश्वास का कारण बनेगा।
- **गोपनीयता को सहभाजित करनाः** नेटवर्क में विश्वास और गोपनीयता सभी सहभागियों के बीच सुचारू संप्रेषण और सम्बन्ध को बढ़ावा देती है।

बोध प्रश्न II

1) अनौपचारिक तथा औपचारिक नेटवर्क

- **अनौपचारिक नेटवर्क :** अनौपचारिक नेटवर्क में परिवार, पड़ोसी और मित्र जैसे व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्मिलित होते हैं, जिस पर कोई सहायता के लिए भरोसा कर सकता है। ये नैसर्गिक नेटवर्क के रूप में भी जाने जाते हैं। यह समाज कार्यकत्ताओं के लिए योजना और अन्तःक्षेप के लिए अपनाया जाने वाला प्रथम नेटवर्क है।

- **औपचारिक नेटवर्क :** यह अपने सदस्यों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए व्यवसायिक समूह को संदर्भित करता है। उन्हें योजनाबद्ध और संरक्षित सहायक समूहों के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2) मैक्यूर (1991) द्वारा नेटवर्क बनाने और समर्थन करने के लिए आवश्यक कार्यनीतियों का एक उदाहरण दिया गया है, जो ऐसी गतिविधियों का सुझाव देता है, जो समाज कार्यकर्त्ता स्वयं सहायता समूहों से नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। ये इस प्रकार हैं:

- मिलने के लिए स्थान प्रदान करना।
- कोष के लिए प्रबंध करना और योगदान देना।
- सदस्यों के रूप में सदस्यों को प्रशिक्षण देना।
- लोगों को समूह से जोड़ना
- सामूहिक गतिविधियों का प्रचार करना।
- समूह से परामर्श स्वीकार करना।
- बड़े समुदाय में विश्वसनीयता प्रदान करना।
- व्यवसायिक समुदाय में विश्वसनीयता प्रदान करना।
- समूह और अन्य सदस्यों के बीच प्रतिरोधक की तरह कार्य करना।
- समूह नेताओं के लिए सामाजिक और भावानात्मक समर्थन प्रदान करना।
- समूह नेताओं के साथ परामर्श करना।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 3 संसाधन एकत्रण/गतिशीलता*

*डॉ. मालाथी अदुसुमाली
एवं डॉ. नमिता जैनर

रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 संसाधन एकत्रण की परिभाषा

3.3 समाज कार्य की विधि के रूप में संसाधन एकत्रण

3.4 संसाधन एकत्रण की रूपरेखा

3.5 संसाधनों के प्रकार

3.6 संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया

3.7 संसाधन एकत्रण के अनिवार्य तत्त्व

3.8 संसाधन एकत्रण के स्रोत

3.9 संसाधन एकत्रण की चुनौतियां

3.10 सारांश

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

* डॉ मालाथी अदुसुमाली एवं डॉ. नमिता जैनर, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे:

- संसाधन एकत्रण को परिभाषित करने में;
- संसाधन एकत्रण की संरचना और प्रक्रिया की व्याख्या करने में;
- संसाधन एकत्रण के प्रकारों, स्रोतों और आवश्यक तत्त्वों को समझने में; और
- संसाधन एकत्रण की चुनौतियों को रेखांकित करने में।

3.1 प्रस्तावना

सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के सिद्धांत सभी समाज कार्य अभ्यास के लिए मार्ग दर्शक तत्व है। न्याय अधिकारियों को उनके अधिकारों की देखरेख में समाज कार्य व्यावसायिकों द्वारा सहायता की जाती है। समाज कार्यकर्त्ता और अन्य न्यायकर्त्ता स्वयं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अन्य एजेंसियों और व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। आवश्यक संसाधनों को जुटाने की प्रक्रिया और सहायता को संसाधन जुटाना कहा जाता है। सामाजिक न्याय के प्रमुख पहलुओं में से एक संसाधन को समान पहुंच प्रदान करना है। इस प्रकार, संसाधन एकत्रण एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है और निसंदेह समाज कार्य की एक महत्त्वपूर्ण विधि है।

3.2 संसाधन एकत्रण की परिभाषा

लोगों के साथ कार्य करते समय समाज कार्यकर्त्ताओं को अक्सर आवश्यक संसाधनों तक पहुंच पाने में लोगों की सहायता करने के लिए कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सा समाज कार्यकर्त्ता विकलांग व्यक्तियों को, पहिए वाली कुर्सी जैसी जरुरतें उन तक पहुंचाने में, सहायता करते हैं। समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा आवश्यक संसाधनों को खोजने और आबंटित करने के लिए

अपनायी गयी इस पद्धति और लोगों को उनके साथ जोड़ने को संसाधन एकत्रण कहा जाता है।

नोरटॅन (2003) परिभाषित करते हैं, 'संसाधन एकत्रण एक ऐसे संगठन के बारे में है, जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जरुरी है, जिसकी योजना तैयार की गयी है। संसाधन जुटाना केवल फंड जुटाने से कहीं अधिक है। यह कई विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, संसाधन प्रदाताओं (या दाताओं) की एक विस्तृत श्रृंखला से, विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करने के बारे में है।

बहुत बार, 'संसाधन एकत्रण' शब्द केवल धन एकत्रण मान लिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि धन या धन एकत्रण, संसाधन एकत्रण का मात्र एक अंश है; वास्तव में, संसाधन वित्तीय और गैर वित्तीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संसाधन निर्माण में, लोगों द्वारा धन, कौशल, समय का योगदान और व्यक्ति के माध्यम से उपकरणों और सामग्रियों की सेवाओं के हितों, समर्थन, इनका योगदान मूल्यवान संपर्क और नेटवर्क बनाना आदि विषय सम्मिलित हो सकते हैं।

3.3 समाज कार्य की विधि के रूप में संसाधन एकत्रण

संसाधन एकत्रण को समाज कार्य का सबसे पुराना तरीका माना जा सकता है। संसाधनों तक वंचितों की पहुंच तथा उपलब्धता सुनिश्चित करना समाज कार्य अभ्यास का एक लक्ष्य है। समाज कार्य व्यवसाय की शुरुआत औद्योगिकीकरण के साथ की गई थी और इसमें अमानवीय परिस्थितियों में रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं जैसे संसाधनों की उपलब्धता का प्रावधान कराना समाहित है। समाज कार्य की अन्य सभी विधियाँ जैसे मामलों पर कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक कार्य भी संसाधनों को एकत्र करने पर निर्भर है ताकि मुवक्किलों की समस्याओं का प्रभावी रूप से निदान करने में उनकी सहायता की जा सके। उदाहरण के लिए; संयुक्त राज्य और कनाडा में सामुदायिक पेटी में धन एकत्रित करने वाले संगठन थे, जो स्थानीय व्यवसायों

और कर्मचारियों से धन एकत्र करते थे और इसे सामुदायिक परियोजनाओं में वितरित करते थे।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि संसाधन एकत्रण समाज कार्य अभ्यास के कई अन्य अध्येताओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, 'जमीनी कार्य' वास्तव में नीचे से संसाधन एकत्र करना है, 'सामाजिक नियोजन' उच्च शिखर से संसाधन एकत्र करना है और 'सामाजिक प्रबंधन' सामाजिक एजेंसियों द्वारा आंतरिक और बाह्य संसाधन वितरण के पक्ष में है। इस प्रकार, संसाधन की पहचान, एकत्रण और प्रबंधन सभी समाज कार्य गतिविधियों और सेवाओं के अंतर्निमित घटक हैं।

कमजोर श्रेणी के लोगों के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक क्षेत्र/विकास एजेंसियों ने संसाधन एकत्रण का कार्य आरंभ किया था और सशक्तिकरण और आत्म–स्थिरता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए फंड को विकास किया। किसी भी समाज कार्य अभ्यास के लिए यह निम्न कारणों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है:

1) यह न्याय के लिए संसाधनों और सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करता है।

2) यह संसाधनों की चर्चा और चिंताओं का समाधान करता है और विकास के अवसर उत्पन्न करता है।

3) यह समाज कार्यकर्त्ताओं और उनके कार्य और मिशन में सामाजिक कल्याण संगठनों को निरंतरता, स्थिरता और संरक्षण प्रदान करता है (चित्र 1)।

4) इस तरह के संसाधन, संसाधन प्रदाताओं और संसाधन चाहने वालों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करते हैं।

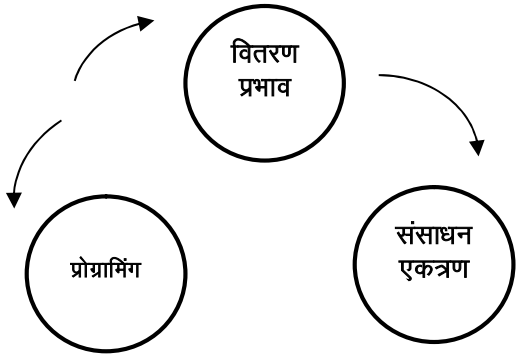

चित्र 1:

(स्रोत : खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.क्यू., 2012)

3.4 संसाधन एकत्रण की रूपरेखा/संरचना

संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटक सम्मिलित हैं: संसाधन, संसाधन प्रदाता और संसाधन एकत्रण तंत्र (चित्र–2) समाज कार्य व्यवसायिक इन तीनों के मध्य एक आवश्यक सम्बद्धता स्थापित करते हैं।

1) **तंत्र** – इसमें अनुदान प्रस्ताव, विशेष कार्यक्रम, लघु व्यवसाय और दान के लिए आवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित है।

2) **संसाधनों के माध्यम** – इसमें नकद, तकनीकी सहायता, मानव संसाधन, सब्सिडी ऋऋऋवाली सेवाएं और सुविधाएं, उपकरण, सूचना और सामान सम्मिलित है।

3) **संसाधन प्रदाता** – इसमें अंर्तराष्ट्रीय एन.जी.ओ. द्विपक्षीय और बहपक्षीय एजेंसियां, सहकारी समितियां, सरकार और एक दूसरे के बीच कारोबार सम्मिलित हो सकते हैं।

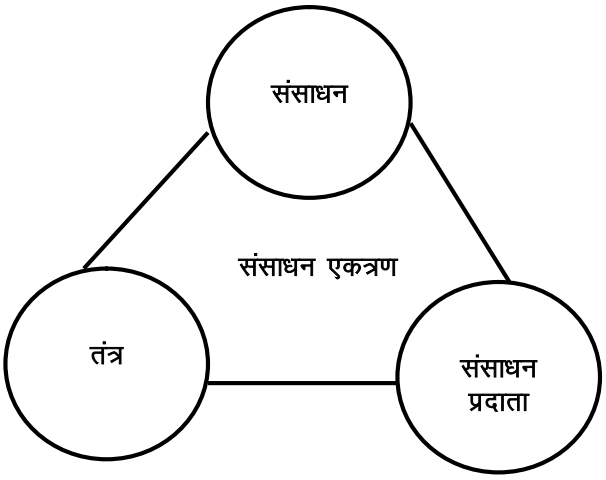

चित्र 2:

स्रोत : नोरटोन (2003)

संसाधनों की कमी, संकट के कारणों में से एक है। संसाधनों की अनुपलब्धता, से से वंचितता को प्रोत्साहन मिलता है तथा इससे अवसरों और विकास का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। वंचितता जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करने में संसाधन एकत्रण एक प्रभावी उपकरण/साधन हैं। इस प्रकार संसाधन एकत्रण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें उन लोगों के साथ संबंधों को पहचानना, निर्माण करना और प्रबंध करना शामिल है, जो समान मूल्यों और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की चिंताओं का केन्द्र/लक्ष्य है।

3.5 संसाधनों के प्रकार

एडवर्ड एवं मैकार्थी (2004) ने संसाधन जुटाने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की सूची तैयार की है। उनकी सूची को संसाधनों के विभिन्न प्रकारों की सूची के अनुरूप संशोधित तथा अनुकूलित किया गया है। जिन्हें समाज

कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रभावी अभ्यास के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। यह निम्नलिखित हैं:

1) **नैतिक संसाधन** में एकता और सहानुभूति जैसे संसाधन सम्मिलित हैं। आमतौर पर व्यक्ति का परिवार, मित्रगण और रिश्तेदार, जरुरत पड़ने पर संकट के समय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, घर में बुजुर्ग, परिवार के अन्य सदस्यों तथा पड़ोसियों को भी, स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने पर मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करते हैं।

2) **मानव संसाधनः** मानव संसाधन अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक हैं और इनमें अनुभव, कौशल, विशेषज्ञता, विचार और नेतृत्व जैसे संसाधन सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, आपदा आ पड़ने की स्थिति में, बुजुर्ग अपने कौशल और ज्ञान, दोनों के द्वारा उचित सलाह प्रदान करते हैं। इसमें संभावित शिक्षार्थी, स्वयंसेवक, जनसुविधाकर्त्ता, स्थानीय प्रशासनिक निकायों के चुने हुए नेता, प्रभावशाली हस्तियाँ, धार्मिक नेता, अभिभावक इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एच.आई.वी.–एड्स के नियंत्रण तथा पुनर्वास में सहकर्मियों से अधिगम (सीखने) को प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

3) **सामाजिक या राजनीतिक संसाधन** में भागीदारी, उचित इच्छा, प्रतिष्ठा और अनुकूल नीतियां सम्मिलित हैं। समकालीन समय में सामाजिक नेटवर्क और सोशल नेटवर्किंग अभियान, संदेशों को प्रसारित करने और एकत्रण के लिए है महत्त्वपूर्ण संसाधनों के रूप में विकसित हुए हैं। कभी–कभी ऐसे संसाधनों का उपयोग समुदाय द्वारा भी विकसित किया जाता है जैसे जाति आधारित नेटवर्क के मामले में खाप पंचापतें।

4) **वित्तीय (नकद या प्राकृतिक)** संसाधन क्रेडिट तक पहुंच से संबंधित हैं और इसमें व्यक्तियों या समूह द्वारा किए गए मौद्रिक योगदान सम्मिलित हो

सकते हैं। इसमें स्थानीय प्राधिकरणों या अन्य सामुदायिक संगठन से प्राप्त अनुदान, विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी के लिए उपयोगकर्त्ता शुल्क, सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली सदस्यता देय राशि, धन एकत्रण वाले कार्यक्रम और प्रयोजन आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान की अवधारणा लोकप्रिय है, जिससे विभिन्न समुदाय कार्यों जैसे कि तालाब की सफाई और मंदिर के रख–रखाव जैसे गुरुद्वारों, समुदाय रसोई (लंगर) गरीबों की सेवा के लिए नियमित रूप से चलाए जाते हैं। हिमाचल में विशेषतः धान की कटाई में कृषि कार्य को मिलकर करने का सामुदायिक अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है, जिससे लागत और समय दोनों को बचाया जाता है।

5) **ढांचागत संसाधन** : स्वयं सेवकों या लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए खेल के मैदानों या युवा कार्यक्रमों में, भोजन और पेय की योजना, खेल और मनोरंजक उपकरणों के लिए आवश्यक अंतरिक्ष कार्यालय की आपूर्ति सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में महिला मंगल दल में बड़े पैमाने पर तम्बू, कुर्सियां आदि जैसे विवाह समारोह के लिए आवश्यक उपकरण हैं, जो समुदाय के सदस्यों के द्वारा विवाह के लिए उधार दिए जाते हैं।

3.6 संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया

संसाधन एकत्रण एक आसान कार्य नहीं है। यह संसाधन प्रदाता के साथ संबंधों के विस्तार से संसाधन प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक दृष्टिकोण और तंत्र की मांग करता है; संसाधनों का सही उपयोग; संसाधनों के एकत्रण के लिए ज्ञान और कौशल आवश्यक है। संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं:

1) **वर्तमान स्थिति का आंकलन :** सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण कदम वर्तमान स्थिति का आंकलन करना है। यह चरण लक्ष्यों और गतिविधियों को परिभाषित करता है, जो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक शहरी समुदाय में किशोरावस्था की लड़कियों के साथ काम कर रहे एक संगठन द्वारा यह पाया जा सकता है कि लड़कियों को कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करने में रुचि है। इसलिए वे लड़कियों के लिए कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम खोलने की योजना बनाते हैं। गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए और विधि विशेष रूप से योजनाबद्ध होना चाहिए। अपेक्षित उबारने योग्य क्षेत्र के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन व्यापक संदर्भ में परियोजना को रखता है। परियोजना कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे के विकास दोनों के लिए तत्काल आवश्यकता और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता भी है।

2) **आवश्यक संसाधनों की पहचान :** वर्तमान परिदृश्य के मूल्यांकन और लक्ष्यों को परिभाषित करने के बाद, अगले तार्किक कदम संसाधनों की पहचान है। उदाहरण के लिए, एक कंप्यूटर साक्षात्कार पाठ्यक्रम खोलने के लिए और सिखाने के लिए, संगठन को कंप्यूटर जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। परियोजना के लिए, आवश्यक सभी संसाधनों और एकत्रण के संभावित स्रोत को प्राप्त करने की आवश्यकता है। पहले से मौजूद संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने और अल्पावधि हस्तक्षेप और दीर्घकालिक आवश्यकता के लिए संसाधनों पर विचार करना आवश्यक है। इसमें मानव शक्ति, वित्त, कानूनी खर्च, बुनियादी ढांचा, परिवहन, उपकरण, कच्चा माल आदि सम्मिलित हैं। समाज कार्य कौशल और व्यक्तियों की क्षमताओं को पहचानने और किसी भी कार्यक्रम के उचित आचरण या किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नेटवर्किंग के माध्यम से आवश्यक संसाधनों की स्थापना के लिए उपलब्ध

संसाधनों और अंतर के साथ ग्राहक/समूह/समुदाय की आवश्यकताओं की तुलना करना अनिवार्य है।

3) **क्या जरुरत है और क्या उपलब्ध है, इसके अंतराल की तुलना करें:** संसाधनों की पहचान करने की प्रक्रिया में, पहले से मौजूद संसाधनों का आंकलन करना महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें बाह्य स्रोतों से जुड़ा होना चाहिए। यह अंतराल को निर्धारित करने और अनुपलब्ध संसाधनों की पहचान करना है, जो गतिविधियों और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए आवश्यक है।

4) **आवश्यक संसाधनों के संभावित स्रोतों की पहचान करना :** यह संसाधन एकत्रित करना प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसमें संभावित प्रदाताओं और भागीदारों की पहचान सम्मिलित है, जो समाज कार्यकर्त्ता या समाज कार्य संगठनों के साथ लक्ष्यों में योगदान करने और समाज कार्य के मिशन के उद्देश्य से भागीदारी करने में योगदान देते हैं। प्रदाताओं की प्रेरणा और जवाबदेही को किसी भी संसाधन एकत्रण की रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए। यह चरण गहन पर्यावरण खोज और संसाधन एकत्रित करने के लिए दाता मानचित्रण की मांग करता है।

5) **हितधारकों (दाताओं और भागीदारों) के लिए सर्वोत्तम रणनीतियां बनाना:** संसाधनों के लिए दाताओं और भागीदारों के सम्मुख आना एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक योजना है। यह एक समय की गतिविधि नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में अंतर्निहित पारस्परिक हितों के आधार पर संबंध बनाने के पक्ष में है। इस चरण के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया उपकरण 'प्रस्ताव' है। यह संगठन की पहचान है या दाताओं और भागीदारों के लिए परियोजना है। 'प्रस्ताव' व्यापक और स्पष्ट दृष्टिकोण युक्त होना चाहिए। यह उपकरणों के एक विविध पोर्टफोलियो के साथ बाहर निकलना चाहिए जो प्रत्यक्ष योगदान और अभिनव वित्त रणनीतियां दोनों हैं। दाताओं तक पहुंचने के दौरान एक प्रणाली का पालन किया

जाना चाहिए। सहयोगियों को लक्षित करने के प्रारंभिक चरण के रूप में, अनौपचारिक अनुरोध फोन, ई–मेल, दोपहर का भोजन, चाय आदि के समय पर बैठकें की जा सकती है। एक औपचारिक वातावरण में, प्रारंभिक संपर्क के लिए दाता के साथ मिलने का समय निर्धारित करना हमेशा उचित होता है। दाता को संगठन शुरु करने के लिए, संगठन के विवरण और उसके उद्देश्यों के साथ एक परिचयात्मक पत्र भेजने के लिए उपयुक्त है। एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार करना और निर्धारित प्रारूप में दाता को जमा भेजना सफलता की बेहतर संभावनाएं सुनिश्चित करता है। इन सभी प्रयासों को उचित रूप से समन्वित और क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है। आमतौर पर संगठन ऐसी कार्रवाई निपटाने के लिए समाज कार्य पृष्ठभूमि वाले संपर्क अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक को नियुक्त करता है।

6) **सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण :** संसाधनों को जुटाने से संबंधित सभी गतिविधियों को सभी चरणों में उच्च गति से अभिलिखित किया जाना चाहिए। प्रत्येक चरण में मैट्रिक को सम्मिलित करना महत्त्वपूर्ण है और अपेक्षित पहुंचाने को प्रत्येक गतिविधि के लिए संकेत दिया जाना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण है कि समाज कार्यकर्त्ताओं और समाज कार्य संगठनों द्वारा सभी गतिविधियों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी देखरेख और समीक्षा के लिए यह चरण महत्त्वपूर्ण है। निगरानी प्रदर्शन को मापने के लिए तथ्य एकत्रित और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। यह परियोजना की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सूचनाओं के नियमित संग्रह पर ध्यान केंद्रित करता है और यह जांच करता है कि क्या गतिविधयों की योजनानुसार पूर्ण हुई है।

हालांकि संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में इन चरणों को शामिल किया जाता है लेकिन यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि संसाधन एकत्रण एक अनुक्रमिक या

रैखिक प्रक्रिया नहीं है। परन्तु संसाधन एकत्रण के कार्य को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए सभी चरणों तथा उनके महत्त्व की जानकारी आवश्यक है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) संसाधन गतिशीलता को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) संसाधन गतिशीलता की संरचना का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 संसाधन एकत्रण के लिए अनिवार्य तत्त्व

संसाधन एकत्रण एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है और संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया में निम्न आवश्यक मानकों पर विचार कर सकते हैं:

1) **संसाधन एकत्रण एक महत्त्वपूर्ण स्थितिजन्य विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए :** यह महत्त्वपूर्ण है कि दाता या भागीदार एजेंसियों को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव स्थिति संबंधी विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। रणनीतिक योजना के महत्त्वपूर्ण घटकों में एक, योजना की लागत का निर्धारण करना है। इस प्रकार एक उचित योजना संसाधनों के निर्धारण हेतु औचित्य प्रदान करती है। आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किसी भी मुद्दे के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, स्थितिपरक विश्लेषण को वर्तमान में परियोजना के समर्थन या कार्यान्वयन में सम्मिलित विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के विषय में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए। समाज कार्य अन्तःक्षेप की आवश्यकता पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। सबसे प्रचलित उदाहरणों में से एक है राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम है, जिसमें सरकार सहित बहत सारे लोग और एजेंसियाँ कार्यरत है।

2) **संसाधन एकत्रण गतिविधियों को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए:** संसाधन एकत्रण कार्यनीतियों में, नियोजन एक आधारभूत घटक है। इससे एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करने में सहायता मिलती है और मिशन पूरा करने में समर्पण की भावना प्रदर्शित होती है। संसाधनों को प्राथमिकता देने, योजनाओं और परियोजनाओं का प्रस्ताव देने के लिए

योजना बनाना महत्त्वपूर्ण है, जो परियोजना को परिणाम तक पहुंचाएगा। वित्त पोषण एजेंसी की समय सीमा के बारे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए व्यवसायिकों के लिए एक संसाधन एकत्रित योजना को पहले से अच्छी तरह से बना लेना चाहिए ताकि एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त करना निश्चित हो। यह अलग–अलग एजेंसियों पर लागू करने के लिए भी उपयुक्त है ताकि यदि गैर–सरकारी संगठनों के लिए इसलिए एक एजेंसी प्रस्तावित प्रस्ताव के रूप में सहायता प्रदान करने में असमर्थ हो, फिर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए अन्य दाताओं के साथ आगे प्रगति कर सकते हैं।

3) **अच्छे रिश्ते, प्रभावी संसाधन एकत्रण की नींव हैः** निर्माण संबंध एकत्रण में धन जुटाना महत्त्वपूर्ण है। लोग कारणों के लिए पैसे नहीं देते; वे कारणों के साथ लोगों को पैसा देते हैं। इसलिए संसाधन एकत्रीकरण न केवल फंड जुटाना है, बल्कि मित्र बनाना भी है। एक विशेष क्षेत्र के भीतर सभी कलाकारों के सहयोग से संसाधन एकत्रण गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। इस क्षेत्र के भीतर समन्वय, वित्त पोषण के अनुरोधों में प्रतिरोधों को कम करने में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अनुरोध क्षेत्र की योजना निधियों के उद्देश्य से सक्षम है या नहीं। अन्य हितधारकों, विशेषकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय, यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि नकल से बचे। यह दाताओं के साथ सहयोग के लिए आवश्यक है। उचित रूप में ज्ञात उदाहरणों में से एक है, 'हैल्प एज इंडिया' के अभियान, विशेष रूप से पूरे देश के स्कूलों में स्थानीय निधि अभियान चला रहा है।

4) **पारदर्शिता और जवाबदेही संसाधन एकत्रित करने के लिए विश्वसनीयता प्रदान करती हैः** सुशासन के दो केन्द्रीय स्तम्भ हैं–पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता तीन उद्देश्यों में कार्य करती हैः यह मानदंडों का

उल्लंघन करता है; यह कार्यकर्त्ताओं को आश्वस्त करता है कि अन्य संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है; और यह मौजूदा शासन के साथ समस्याओं का भी खुलासा कर सकता है, जो कार्यकत्ताओं ने पहले नहीं पहचाना है। पारदर्शिता की कार्यान्वयनकर्त्ताओं द्वारा गतिविधियों की सुसंगत, समय पर सटीक और व्यापक रिपोर्टिंग द्वारा बढ़ावा दिया गया है। समाज कार्य के कुछ मूल्य, जो संसाधन एकत्रण से संबंधित मामलों में स्पष्ट पारदर्शिता बनाते हैं, उनमें जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता, व्यवसाय के प्रतिनिष्ठा, मध्यस्थता, सेवा और कड़ी मेहनत सम्मिलित है। चुने हुए संसाधनों की सुरक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम की देखरेख, समय पर लेखा परीक्षण, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना और समग्र कार्यक्रम के प्रदर्शन के प्रबंधन में हितधारकों के विश्वास को सुनिश्चित करने का प्रयास महत्त्वपूर्ण है। सुशासन से अच्छी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, और संसाधन जुटाने के प्रयासों में एक सकारात्मक छवि और सहायता सुनिश्चित करने में प्रोत्साहन मिलता है।

5) **नियमित संचार** : सभी हितधारकों के बीच संचार नियमित बैठक और सूचना के आदान–प्रदान के माध्यम से आवश्यक है। इसमें स्थानीय सरकार, व्यवसाय, संस्था, अन्य गैरसरकारी संगठनों, मीडिया और अन्य सामाजिक नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी विनिमय सम्मिलित है, जो कि गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में सूचित करता है। इन हितधारकों को नियमित अद्यतन (जानकारी) भेजना और उन्हें अपने कार्यालय, परियोजना स्थल, घटनाओं और वेबसाइट पर जाकर काम करने के प्रभाव को देखने के लिए आमंत्रित करना, महत्त्वपूर्ण है। कार्य और गतिविधियों के साथ इस परिचित से आपके संगठन को आर्थिक समर्थन सदभावना मिलेगी, ऐसी संभावना है।

6) **संसाधन एकत्रण के लिए सफलता का प्रचार महत्त्वपूर्ण है :** भविष्य की परियोजनाओं और प्रयासों के लिए संसाधनों को बढ़ाने में पिछली उपलब्धियों का प्रमाण महत्त्वपूर्ण साधन है। यह नई संसाधनों को आकर्षित करने, बनाने और बनाए रखने की क्षमता में सहायक है। विश्लेषण करना और सफलताओं के बारे में दूसरों का बताना भी महत्त्वपूर्ण है। दाता के योगदान के प्रचार की उदारता द्वारा अच्छी खबरों और सफलता की कहानियों की पैकेजिंग (प्रस्तुतीकरण) महत्त्वपूर्ण है। दाताओं को पहचान देना तथा प्रशंसा करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। अखंडता, सामाजिक न्याय और सेवा के मूल्य स्वयं द्वारा अपनाकर संगठन की सफलता की कहानियों को प्रकाशित करके एक संगठन को पारदर्शी बनाने में सक्षम बनाता है। इस अभ्यास से पेशे के ज्ञान के आधार में भी योगदान होगा और अन्य एजेंसियों और यह पेशेवरों को इसी तरह की गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

7) **संसाधन एकत्रण में विविधीकरण :** उच्च प्रतिस्पर्धी वातावरण में, संगठनों के लिए लेखन प्रस्तावों से परे अपने दृष्टिकोण में विविधता लाने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, धन एकत्रण आयोजन, सेवा के लिए अन्य संगठन के साथ नेटवर्किंग आदि।

8) **मीडिया कवरेज :** यह संगठन में सार्वजनिक जागरुकता का विकास करने और उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावी प्रक्रिया में से एक है। विभिन्न आयोजनों और कार्यों के प्रति वित्तीय संसाधनों का एकत्रण करना चाहिए और विकास और जनहित के लिए परियोजना गतिविधियों के द्वारा विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए; एक ऐसे गायक के संगीत कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं जो आपके कार्य में रूचि रखता हो, इससे भी आप एक निधि संचित कर सकते हैं। टिकट बिक्री द्वारा फंड में विस्तार कर सकते हैं और इस आयोजन का उपयोग,

कार्यक्रम के दर्शकों को उसक मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए भी किया जा सकता है।

3.8 संसाधन एकत्रण के स्रोत

सभी कल्याणकारी संगठन परियोजनाओं, संचालन, वेतन और अन्य लागत संबंधित धन प्राप्ति के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर होते हैं। एन.जी.ओ. के अस्तित्व संसाधन एकत्रण लक्ष्यों की उपलब्धि और इसके मिशन की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है। संसाधन एकत्रण के निम्नलिखित् महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं:

1) **अनुदान देने वाले संगठन :** एक पारंपरिक दाता एजेंसी को प्रस्ताव देकर समर्थन पाना सबसे पारंपरिक चरण है। कई गैर सरकारी संगठन सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, द्वि–पार्श्व, बहु–अक्षरी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी स्रोतों और ग्रांट गिविंग फाउन्डेशन या ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त मात्रा में फंड को पाते हैं। इस संभावित स्रोत के प्रति दाता की रुचि को ध्यान में रखा जाता है और फिर उनके प्रति उचित प्रतिक्रिया की जाती है। भारत में अनुदान दे रहे संगठन के उदाहरणों में से एक है– सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। विभिन्न सरकारी विभाग भी अलग–अलग माध्यम से अनुदान देकर सहायता प्रदान करते हैं।

2) **कॉर्पोरेट गठबंधन :** विभिन्न कॉर्पोरेट भागीदारी और गठजोड़ गैर लाभ संगठनों गावत के लिए धन एकत्रण की संभावित एजेंसियां है। धारा 135 के तहत् कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) की गतिविधियों पर अपने पिछले तीन वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करने के लिए समग्र गतिविधियों में सक्रियता के लिए प्रोत्साहित करता है।

3) **व्यक्तिगत दान :** व्यक्तिगत निजी दाता में गैर लाभ संगठनों के लिए समर्थन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। संसाधन एकत्रण का यह चरण आपदा प्रभावित

क्षेत्रों के लिए तुरंत संसाधनों का उपयोग करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है।

4) **अन्य :** संसाधन एकत्रण के कुछ अन्य स्रोतों में, धन संग्रहण वाले आयोजनों का आयोजन करना, जहाँ मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और संगठन के लिए दान का अनुरोध करते हैं, दान बॉक्स के माध्यम से जनता से छोटी राशि का अनुरोध एकत्रित कपड़े, फर्नीचर, किताबें, वाहन या इमारतों जैसे तरह–तरह के योगदान को इकट्ठा करने के लिए अपना समय और संसाधन देने के लिए स्वयं सेवक जुटाना, सम्मिलित है।

3.9 संसाधन एकत्रण की चुनौतियां

व्यक्तियों और संसाधनों, कॉर्पोरेट उद्यमों और लोगों के आंदोलन के लिए संसाधनों की समान आवश्यकता है। यह एक उच्च संसाधन प्रतिस्पर्धी परिवेश की रचना करता है और संसाधन एकत्रण के प्रति कई चुनौतियों को उत्पन्न करती हैं। बाली (2014) संसाधन एकत्रण के दौरान बार–बार आने वाली चुनौतियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध करता है:

1) **संगठनों में क्षमता सीमा :** उचित धन एकत्रण करने के लिए मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की कमी, एक आंतरिक चुनौती है, जो कई संगठनों के सामने आती हैं। यह समस्या विशेष रूप से स्थानीय संगठनों या नए उद्यमों से संबंधित है।

2) **एक ही क्षेत्र में संगठनों के बीच प्रतियोगिता:** कई बार एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही सेवा प्रदान करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों को आप देख सकते हैं। गतिविधियों में सहयोग और साझेदारी द्वारा, संसाधनो के ऐसे दोहराव से बचा जा सकता है। ऐसे में, नेटवर्किंग से संगठनों को सहायता मिल सकती है, ताकि वे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी करने के स्थान पर समान हितों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करें। वर्तमान में,

बहुत से दाता अनुदान देने के लिए ऐसे संगठनों को खोजते हैं, जो नेटवर्किंग से अथवा मिलकर कार्य करते हैं।

3) **उपलब्ध अवसरों के बारे में अपर्याप्त जागरुकता :** कई संगठन जानकारी और जागरुकता की कमी के कारण उपलब्ध संसाधनों से लाभांवित होने में असमर्थ हैं। कभी–कभी संगठन, धन के संभावित स्रोतों के प्रति जागरुकता होने के बावजूद फंड के उपयोग के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की तकनीकि के कारण, धन का लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं।

4) **प्रशासन :** सरकारी अनुदानों तथा संसाधनों तक पहुँच बनाने तथा आवेदन करने के लिए बने नियम व कानून, संगठनों द्वारा अनुदान/संसाधन एकत्रीकरण करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अप्रभावी प्रशासनिक ढाँचे/संरचना, संसाधनों एकत्रीकरण हेतु नीतिगत नेतृत्व प्रदान करने में असफल हो जाते हैं। प्रशासन संबंधी संस्थान जैसे संस्था, नीतियों और दिशा–निर्देश संसाधन एकत्रण में सहायता करते हैं। ऐसे प्रशासन संरचनाओं के बिना, संगठन स्व कार्य और उपलब्धियों के बारे में प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थ हैं। संप्रेषण में असमर्थ से तात्पर्य का अर्थ है कि संगठन सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा। वह सबके सम्मुख अपनी योजना नहीं रख पा रहा है। इससे संसाधनों के एकत्रण की क्षमता को प्रभावित होती है।

5) **दाता/सहयोगी प्राथमिकता :** दाता की प्राथमिकताएं परिवर्तनशील रहती हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए धन के लिए आवेदन करते समय संगठनों के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। कई संगठन जिनसे दाता अवगत नही हैं उन चुनौतियों का सामना करते हैं और दाता उन्हें धन प्रदान नहीं करते क्योंकि वे संगठन की दक्षता या ट्रैक रिकॉर्ड से अवगत नहीं होते।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) नैतिक संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) संसाधन गतिशीलता की चुनौतियों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.10 सारांश

संसाधन एकत्रण प्रक्रिया समाज कार्य की सभी विधियों का अभिन्न अंग हैं। संसाधन वह पूँजी है, जो किसी कार्यक्रम की गतिविधियों में उपयोगी होता हैं। संसाधन एकत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रम आयोजन के माध्यम द्वारा संसाधन जुटाए जाते हैं और दान दाताओं और भागीदारों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। यह अत्यंत नीतिगत प्रयास है और समुदाय में संसाधनों को पहचानना और एकत्रित करना अत्यंत कौशल और ज्ञान पर आधारित कार्य है। संसाधन एकत्रण की प्रक्रिया को वर्तमान में स्थितिपरक विश्लेषण के अंर्तगत कुछ चरणों का अनुसरण करना चाहिए। संसाधनों को एकत्रित करने वाली रणनीतियां और प्रक्रियाएं कुछ माप दंडों पर विफल हो सकती है इसलिए सहयोगी द्वारा स्थापित नियमों के तहत् कार्यक्रम की स्थापना और घोषणा पत्र में दर्ज करवाया जा सकता है और कानूनी दस्तावेजों की शुरुआत की जा सकती है। संसाधन एकत्रण से संबधित कुछ सफल तत्व हो सकते हैं, स्पष्ट मिशन और उद्देश्य द्वारा एक उत्कृष्ट नामदेह रिकार्ड और सफल कार्यक्रम और विश्वसनीयता को रखना, जिसे संभावित योगदानकर्त्ताओं के समक्ष सांझा किया जा सकता है।

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. बाट्टी, आर. सी. (2014) चैलेंजिज फेसिंग लोकल एन.जी.ओ. इन रिसोर्स मोबीलाइजेशन ह्यूमैनिटिस एंड सोशल सांइस , 2 (3), 75–64।
2. एडवर्ड, बी., एंड मैक कैर्थी, जे.डी. (2004) रिसैस एंड सोशल मूवमेंट मोबीलाइजेशन. इन सनी, डी.ए., सोल, एस.ए. एंड क्रिस, एच. (इड्स.), दी ब्लैकवैल कंपेनियन टू सोशल मूवमेंट. ब्लैकवैल, मैलडन, एमए, पी.पी. 116–152।
3. एफएओ (2012) ए गाइड टू रिसोर्स मोबीलाइजेशनः प्रोमोटिंग पाटर्नरशिप विद एफएओ. रिटरिव http://www.fao. org/ docrep/ 01612699e/ i2699e00. pdf।

4. नॉरटॉन, एम. (2003) गैटिंग स्टारटिड इन कॉम्यूनिकेशनः ए प्रेक्टिकल गाइड फॉर एक्टिविटस एंड ऑरगेनाइजेशन. यूकेः सेज पब्लीकेशन।
5. सेकाजिंगो, एल.एम. (2007). लोकल रिसोर्स मोबीलाइजेशन फॉर ससटेनबिलिटी ऑफ लोकल कम्यूनिटी डेवलपमेंट ऑरगेनाइजेशनस, आरुशा मुयनिसपल, रिट्रिण्ड फ्रॉम http://academicarchive. snhu.edu/ bitstream/handle/10474/392/ sced2007sekajingo.pdf/sequence।

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) नोरटॉन (2003) परिभाषित करते हैं कि संसाधन गतिशीलता/एकत्रण एक ऐसे संगठन के बारे में हैं, जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, जिसकी योजना तैयार की गयी है। संसाधन जुटाना केवल फंड जुटाने से कहीं अधिक है। यह कई विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, संसाधन प्रदाताओं (या दाताओं) की एक विस्तृत श्रृंखला से, विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करने के बारे में है।'

2) संसाधन गतिशीलता/एकत्रण की प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटक सम्मिलित हैंः संसाधन, संसाधन प्रदाता और संसाधन एकत्रण तंत्र। समाज कार्य व्यवसायिक इन तीनों के मध्य एक आवश्यक सम्बद्धता स्थापित करते है।

- तंत्र : इसमें अनुदान प्रस्ताव, विशेष कार्यक्रम, लघु व्यवसाय और दान के लिए आवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित है।
- संसाधनों के माध्यम : इसमें नकद, तकनीकी सहायता, मानव संसाधन, सब्सिडी वाली सेवाएँ और सुविधाएँ उपकरण, सूचना और सामान सम्मिलित है।

- संसाधन प्रदाताः इसमें अर्न्तराष्ट्रीय एज.जी.ओ., द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियाँ, सहकारी समितियाँ, सरकार और एक दूसरे के बीच कारोबार सम्मिलित हो सकते हैं।

बोध प्रश्न II

1) नैतिक संसाधन में एकता और सहानुभूति जैसे संसाधन सम्मिलित हैं। आमतौर पर व्यक्ति को परिवार, मित्रगण और रिश्तेदार जरूरत पड़ने पर संकट के समय व्यक्ति को नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, घर के बुजुर्ग, परिवार के अन्य सदस्यों तथा पड़ोसियों को भी, स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने पर मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करते हैं।

2) बाली (2004) ने संसाधन एकत्रण के समय बार–बार आने वाली चुनौतियों को निम्नवत् सूचीबद्ध किया हैः

- संगठनों में क्षमता सीमा
- एक ही क्षेत्र में संगठनों के बीच प्रतियोगिता
- उपलब्ध अवसरों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता
- प्रशासन
- दाता/सहयोगी प्राथमिकता

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 समाज कार्य में शक्ति/सशक्तता आधारित अभ्यास*

*डॉ. मिनिमोल के. जोस

रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 परिभाषाएं

4.3 इतिहास

4.4 शक्ति आधारित अभ्यास की मूल अवधारणाएं

4.5 शक्ति आधारित अभ्यास के सिद्धांत

4.6 शक्ति आधारित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं

4.7 शक्ति आधारित दृष्टिकोण की मुख्य अवधारणाएं

4.8 शक्ति का आंकलन

4.9 शक्ति आधारित अभ्यास– मुवक्किल में अपेक्षित परिणाम

4.10 सारांश

4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

* डॉ मिनिमोल के. जोस, विमला कॉलेज, त्रिसूर।

4.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझने में सक्षम होंगेः

- शक्ति और शक्ति आधारित अभ्यास की अवधारणाओं को समझने;
- शक्ति आधारित सिद्धांत और मूल अवधारणाओं को समझने;
- मुवक्किल का शक्तिपरक तथ्य तक पहुंचने की योजनाओ को जानना; और
- समाज कार्य में शक्ति आधारित दृष्टिकोण के लाभ।

4.1 प्रस्तावना

सहायता प्रदान करने वाले व्यवसायों में, अभाव, व्याधि, रोग, आदि पदबंध/शब्द अत्यधिक गहनतापूर्वक स्थापित होते जा रहे हैं। आंकलन का लक्ष्य/फोकस एक या दूसरी प्रकार से, पैथालॉजिक/नैदानिक दशाओं की पहचान करना तथा उपचार करना, होता जा रहा है। अब तक स्थिति यह है कि धीरे–धीरे समाज कार्य शिक्षकों एवं अभ्यासकर्त्ताओं में, शक्ति/सशक्तता को समाज कार्य अभ्यास के केन्द्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त होती जा रही है। शक्ति आधारित अभ्यास, अब समाज कार्य सिद्धान्त तथा व्यवहार/अभ्यास दोनों में सर्वाधिक प्रभावशाली दृष्टिकोणों में से एक होता जा रहा है। मौलिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य अभ्यास की अवधारणा के रूप में विकसित शक्ति दृष्टिकोण को, (ओ हेनलन एंड रॉवन, 2003) समाज कार्य अभ्यास संदर्भों की व्यापक श्रेणी के लिए भी अपना लिया गया है।

4.2 परिभाषाएं

शक्ति आधारित अभ्यास की परिभाषा ऐलेन (2010) द्वारा प्रस्तुत की गई। उनके अनुसार, शक्ति आधारित अभ्यास के परिचालन से तात्पर्य है कि, 'आप सहायक के रूप में जो भी करते हो वह अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने के आधार पर होगा और नए तथ्य जोड़ना, गणना करना और मुवक्किल द्वारा उपयोग व्यवहार और

साधन में उनके लक्ष्य की प्राप्ति और उनके सपनों का अहसास दिलाने में उपयोगी सेवा प्रदान करेगा (पृ. 1) इसके साथ–साथ, शक्ति आधारित अभ्यास की मूलभूत मान्यता है कि मुवक्किल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक सफल होते हैं।

शक्ति आधारित अभ्यास, मुवक्किल की उन शक्तियों तथा संसाधनों की पहचान तथा उपयोग करने में सहायता करता है, जिन्हें वे स्वयं नहीं पहचान पाते, इस प्रकार मुवक्किल को उनके जीवन पर नियंत्रण करने में सहायता करता है (ग्रीने, ली तथा हॉफपॉर, 2005) मुवक्किल की प्राकृतिक क्षमताओं तथा संभावनाओं के विकास की खोज में शक्ति आधारित अभ्यास, व्यक्तियों, परिवारों तथा संभावनाओं का विश्लेषण करते समय एक भिन्न दृष्टिकोण की माँग करता है (सेलेवे, 1996)। यह इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि सहायता प्राप्त करने के लिए आने वाला मुवक्किल पहले से ही विभिन्न क्षमताओं तथा संसाधनों से युक्त है, जिनकी केवल पहचान की जानी है ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो।

सेलेवे (2002) के मतानुसार शक्ति आधारित दृष्टिकोण इस आधारभूत मान्यता में विश्वास रखता है कि मनुष्य में परिवर्तन लाने की क्षमता है, इसलि यह मुवक्किल के सशक्तिकरण पर बल देता है। संक्षेप में, शक्ति आधारित दृष्टिकोण, अन्तःक्षेप का फोकस (अभिमुख)– क्या गलत घट गया, से हटाकर, स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है, पर केन्द्रित करता है और परिवार की क्षमताओं तथा संसाधनों पर कार्य करता है ताकि सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित किया जा सके, जिससे वे जीवन की चुनौतियों पर नियंत्रण कर सके।

संक्षेप में, शक्ति आधारित दृष्टिकोण इस पर जोर देता है, कि कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है और यह परिवार के गुणों और संसाधनों पर आधारित होता है कि वह जीवन की चुनौतियों को निपुणता से सक्षम करें और सभी परिवार के सदस्य के लिए स्वस्थ विकास करें (साउसा ई.टी.एल. 2006 पी.

पी.190–191) व्यवहार में शक्तियों का परिप्रेक्ष्य समाज कार्य मूल्यों के अनुरूप है (बोगो, 2006) क्योंकि मनुष्य में गुणात्मक निर्माण करने का विचार अत्यंत निपुणतापूर्वक लाना समाज कार्य में स्वतः ही सिद्ध हो गया है (सेलेवे, 2006) गुणात्मक आधारित रूपरेखा उभरने में, सशक्तिकरण और प्रत्येक व्यक्ति, समूहों और समुदायों के बीच आशा उत्पन्न करता है। प्रेरक साक्षात्कार, समाधान केंद्रित संक्षिप्त उपचार आदि अनेक गुणात्मक आधारित विशिष्ट तकनीकी के उदाहरण हैं। इसका उपयोग समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुवक्किल और उनके सामाजिक परिवेश में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है।

तुलना–पारंपरिकता और शक्ति आधारित दृष्टिकोण

पारंपरिकता	शक्ति आधारित
व्यक्ति को एक अद्वितीय प्रतिभा रूप में परिभाषित किया गया है, संसाधन से क्षमता में वृद्धि होती है।	व्यक्ति को एक अद्वितीय प्रतिभा रूप में परिभाषित किया गया है; संसाधन से शक्ति में वृद्धि होती है।
उपचार समस्या पर केन्द्रित है।	उपचार संभावना पर केन्द्रित है।
श्रेणी/वर्गीकरण पर जोर	मुवक्किल के इच्छित परिणाम पर जोर
समस्या को सुलझाने के लिए समाधान पर जोर देना	पिछली सफलताओं द्वारा अपवादों पर जोर
विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्त्ता	विशेषज्ञ के रूप में मुवक्किल
कार्यकर्त्ता का ज्ञान तथा दक्षता, कार्य हेतु आवश्यक संसाधन है	मुवक्किल की क्षमता तथा दक्षता, कार्य हेतु आवश्यक संसाधन है।

अच्छा / बुरा, काला / सफेद	विविध विकल्प
अन्तःक्षेप	सहयोग
प्रश्नः समस्या क्या है?	प्रश्नः मुवक्किल किस स्थिति में है?

4.3 इतिहास

समाज कार्य सिद्धांत में, शक्ति आधारित दृष्टिकोण का हाल ही में विकास हुआ है। समाज कार्यकलापों विकास से संबंधित होते हैं। समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में ताकत परिप्रेक्ष्य का उद्देश्यपूर्ण प्रारंभ प्रारंभिक 1980 में कानसास विश्वविद्यालय के सामाजिक कल्याण विद्यालय (सेलेवे, 2008) में शुरुआत हुई थी। 1989 में वेक, रैप, मुलिवन, और कषारद ने इस शब्द को, 'शक्ति के परिप्रेक्ष्य से संबोधित किया कि यह एक प्रणाली है, जिसमें विशेषतः चिकित्सक मान्यता देते हैं कि एक मुवक्किल की सत्ता और कुशलता को बनाए रखने का अधिकार निहित है, मुवक्किल अपनी जीवनपरक कहानी में संदर्भ के लिए कोई भी पृष्ठभूमि बना सकता है। शक्ति आधारित दृष्टिकोण एक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक नजरिया था जिसे निदान, घाटा, लेबलिंग और समस्याएं, प्रबंधन मामले में तत्काल सुधार लागू, समाज कार्य के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना और व्यवसाय में मदद करना को अत्याधिक केन्द्रित किया गया है। नए मॉडल में, गुणात्मक आधारित मामलों का प्रबंध समझौते में विकसित किया जा चुका है, समाज कार्य अभ्यास में मुख्य समस्याओं का सामना किया जब पारंपरिक हानि–केन्द्रित परिप्रेक्ष्य को लागू करते समय का दृष्टिकोण है। इसका उपयोग विद्यालय, सुधारक उपकरण, बाल संरक्षण और किशोरों, दंपति, परिवारों और बुजुर्गों सहित अनेक प्रकार के मुवक्किलों सहित विभिन्न संदर्भो में किया गया है।

4.4 शक्ति आधारित अभ्यास की मूल अवधारणाएं (रोप, गोस्या, 2006, अतवर्ड एवं ग्रेडोस 2005)

- सभी व्यक्तियों में शक्ति और क्षमता होती है।
- व्यक्ति बदल सकता है।
- स्पष्ट परिस्थितियों और संसाधनों को देखते हुए, सीखने और विकसित करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता को पोषित और महसूस किया जा सकता है।
- व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता के माध्यम से परिवर्तित और उन्नति करता है।
- समस्या ही समस्या है, व्यक्ति नहीं।
- समस्या के कारण व्यक्ति, अर्थपूर्ण सुधार के लिए आवश्यक अपनी शक्ति तथा क्षमता को देख नहीं पाता।
- सभी व्यक्ति स्वयं के लिए अच्छी वस्तुएं चाहते हैं और अच्छे इरादे रखते हैं।
- व्यक्ति सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, वे अपने अनुभवों को वर्तमान में उजागर कर दोहरा सकता है।
- बदलने की क्षमता हमारे अंदर व्याप्त है – यह हमारी कहानी है।

4.5 शक्ति आधारित अभ्यास के सिद्धांत

सिद्धांत निम्नांकित है जो मार्गदर्शन के लिए मान्य है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य की समझ को विनियमित करते हैं:

1) प्रत्येक व्यक्ति, समूह, परिवार और समुदाय में शक्ति होती है।

यहाँ यह जानना जरुरी है कि सभी व्यक्तिगत ग्राहक, समूह या समुदाय जो समाज कार्यकर्त्ता द्वारा सहायता चाहते हैं, उनके पास संपत्ति, संसाधन,

बुद्धि और ज्ञान है। गुणात्मक परिप्रेक्ष्य की विचारशीलता से तात्पर्य है, जो उन संसाधनों और उनके संबंधों द्वारा अपने दुर्भाग्य को बदलने, बीमारियों का सामना करने, दर्द को कम करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमता को साकार करने से है। समाज कार्यकर्त्ता को वास्तव में मुवक्किल की शक्ति को पहचानने के लिए उसकी कहानियों के प्रति सम्मान, आख्यान और अनुभवों के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए।

2) **आघात, दुर्व्यवहार, रोग और संघर्ष हानिकारक हो सकता है लेकिन वे चुनौती और अवसरों के स्रोत भी हो सकते हैं।**

शक्ति आधारित मॉडल 'क्षति मॉडल' है जो साहसहीनता, निराशावादिता पीड़ित मनः स्थिति का नेतृत्व करने के लिए सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार व्यक्ति, जो विशेष रूप से बचपन में शिकार हुए हों, को हमेशा के लिए शोषित मान लिया जाता है अथवा उसे इस प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है जिससे सुधार करने अथवा घाव को भरने की उस क्षमता की संभावनाओं अथवा शक्तियों को आघात पहुँचाता है। जो दुष्कर्म या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाओं को अपने उच्चाधिकार से रद्द कर देता है। लोग सिर्फ सफलताओं से नहीं सीखते हैं, बल्कि उनकी कठिनाइयों और निराशाओं से भी सीखते हैं। नकारात्मक अनुभवों के कारण लोगों को पीड़ा और निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे ऐसे गुण और क्षमताएं भी प्राप्त कर सकते हैं जो संरक्षक और जीवन पुष्टि कर रहे हैं। बाधाओं से किसी के विकास और परिपक्व होने की प्रबल संभावना संभव है।

3) **हम विकास और परिवर्तन और व्यक्ति, समूह और सामुदायिक आकांक्षाओं को गंभीरता से ले जाने की क्षमता की सीमा को नहीं जानते।**

प्रत्येक व्यक्ति में, सहज ज्ञान और बुद्धिमता और भावनाओं को चालित करने की क्षमता होती है, जो यदि परिस्थितिवश छिप भी गई, तो उसे शिक्षा, समर्थन और प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च सीमा तक पहुंचा जा सकता है। हर किसी में ज्ञान और प्रतिभा होती है, उनकी आशाओं और सपनों की ओर जीवन दिशा में परिभाषित, उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी जरुरतों के लिए औपचारिक रूप से बातचीत के लिए मिलना, और उनके जीवन की गुणवत्ता की खोज–व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनके जीवन की गुणवत्ता की खोज में, कौशल और संसाधन जिनका विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।

4) मुवक्किल के साथ सहयोग करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान की जाए।

एक सहयोगी या परामर्शदाता को सहायक के रूप में सर्वश्रेष्ठ परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में सहायक प्रक्रिया में संबधों की सहायता करने की गुणवत्ता के साथ सहयोग के महत्त्व को जोड़ते हैं। उनके लिए सहयोग का लक्ष्य, योजनाओं को चरम सीमा तक विकसित करना है, व्यक्ति के लिए नहीं। जहाँ उपभोक्ता और कार्यकर्त्ता कार्यकलापों के लिए सह–जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। वहाँ पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। लोग और कार्यकर्त्ता स्वयं को एक समान समझते हैं। वे अभ्यासपरक लक्ष्य, उद्देश्यों और चुनौतियों को सह बनाते हैं।

5) सभी परिस्थितियाँ संसाधनों से परिपूर्ण हैं।

सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण, मुश्किल तथा निम्न परिस्थितियों के बीच भी संसाधनों की प्रचुरता होती है– जैसे व्यक्ति, परिवार, संस्थाएँ, उपलब्ध संगठन आदि। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने निवासियों का परीक्षण क्यों न करे, उसे संसाधनों और संभावनाओं के एक संभावित प्रचुर और सरस स्थलाकृति के रूप में भी समझा जा सकता है। अतः यह महत्त्वपूर्ण

नहीं है कि प्रतिकूल वातावरण ही हो। जबकि कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक प्रचुर हैं, सभी पड़ोसियों तक पहुंच स्थापित की गई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, संघ, समूह, और संस्थाएं हैं, जो अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रदान कर सकती हैं, जिसकी किसी अन्य को अत्यंत आवश्यकता हो सकती है। समुदाय के पास अपनी सहायता स्वयं करने के लिए आवश्यक इच्छा तथा संसाधन होते हैं।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) शक्ति आधारित अभ्यास की मूलभूत मान्यताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) शक्ति आधारित अभ्यास की किन्हीं दो प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 शक्ति आधारित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं

1) **लक्ष्य अभिविन्यास :** शक्ति आधारित दृष्टिकोण लक्ष्य अभिविन्यास होता है। किसी दृष्टिकोण का केन्द्र और सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व वह सीमा है, जिन तक व्यक्ति स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो वे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं।

2) **शक्ति मूल्यांकन :** प्राथमिकता का केन्द्रिकरण समस्याओं या हानि पर ही नहीं है, और व्यक्ति को अपनी समस्या सुलझाने पर अंतर्निहित संसाधनों को पहचानने के लिए समर्थ किया जाता है, जिससे वे कठिनाई या स्थिति का सामना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

3) **पर्यावरण/परिस्थिति से संसाधन :** शक्ति समर्थक मानते हैं कि प्रत्येक पर्यावरण में व्यक्तियों, संघ, समूह और संस्थाएं सभी कुछ न कुछ हस्तांतरित अवश्य करती है, जिससे कि अन्य सभी महत्त्वपूर्ण तथ्य खोज सकते हैं, और हो सकता है कि खोज किए गए संसाधनों से अन्य कुछ प्राप्त हो जाए जो व्यवसाय की भूमिका निभाते हो।

4) **सुस्पष्ट प्रक्रिया का उपयोग मुवक्किल के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के विषय में पर्यावरणीय शक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है :** यह प्रक्रिया सभी शक्ति आधारित दृष्टिकोण से भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, समाधान में, मुवक्किल केन्द्रित उपचार की शक्तियों की पहचान से पहले लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी, जबकि गुणात्मक आधारित प्रबंध के संदर्भ में, व्यक्ति को विशिष्ट 'शक्ति मूल्यांकन' के माध्यम से गुजरना होगा।

5) **संबंध, आशा उत्पन्न करने वाला है:** एक शक्ति आधारित दृष्टिकोण का लक्ष्य मुवक्किल के विश्वास को विकास देना है। अग्रसर है कि, व्यक्ति, समुदाय आर साथ समृद्ध संबंधों के माध्यम से आशा की जा सकती है।

6) **सार्थक विकल्प :** शक्ति समर्थक एक सहयोगी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं, जिसमें लोग अपने जीवन में माहिर हैं विशेषकर चिकित्सा व्यवसाय की भूमिका में वृद्धि करना है और विकल्पों की व्याख्या करना है और व्यक्तियों को अपने स्वयं के निर्णय लेने और सूचित विकल्पों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है।

4.7 शक्ति आधारित दष्टिकोण की मुख्य अवधारणाएं

शक्ति आधारित दृष्टिकोण की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

अतिशीघ्र उबर पाने की सामर्थ्य : अतिशीघ्र उबर पाने की सामर्थ्य से तात्पर्य है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए जोखिम भरे कारकों के बावजूद जीवित रहता है और विकास करता है। जॉर्ज वेलेंट, शीघ्र उबर पाने की सामर्थ्य को, एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार करने की प्रवत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं ''दोनों अर्थात् बिना टूटे, झुक जाने की क्षमता तथा एक बार झुककर दोबारा उठने की क्षमता।''

सशक्तिकरण : सशक्तिकरण निष्ठा श्रेणियों के बजाए, सेवा वितरण में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में व्यक्ति के शक्ति रूपरेखा के दृष्टिकोण को अधिरोपित करती है।

आशा : आशा वांछित लक्ष्यों के प्रति मार्ग में अग्रसर के लिए कथित क्षमता के रूप में परिभाषित की गई है।

भागीदारी : सांझेदारी और सहायता प्रक्रिया में सहयोग का अर्थ व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण की भावना के विकास से है।

पारिस्थितिक दृष्टिकोण : पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य व्यापक सामाजिक सहयोग घनिष्टता से जुड़े हुए वर्णन को स्वीकार करता है, साथ ही समर्थन के औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों संसाधनों के विश्लेषण के लिए व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय के लिए उपयोगी हो सकता है।

4.8 शक्ति/सामर्थ्य का आंकलन

सामर्थ्य मूल्यांकन को समझने से पहले हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि सामर्थ्य के रूप में क्या माना जाता है। लगभग कुछ तथ्यों को कुछ अर्ध्यताओं के तहत् समार्थ्य माना जा सकता है।

- क्या व्यक्ति स्वयं के विषय में क्या अधिगम करता है, और दूसरों के बारे में, उनकी दुनिया, उनके संघर्ष, तुलना, आघात, का अनुभव, बीमारी, भ्रम, उत्पीड़न और यहाँ तक कि अपने स्वयं की भ्रमशीलता के बारे में भी सीखता है।
- व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं, गुणों अथवा क्षमताओं के बारे में क्या उसके आस–पास के लोग जानते हैं।
- वे योग्यताएँ, जिनसे मुवक्किल कार्यकर्त्ता को आश्चर्यचति कर सकता है, वे सालों से दबे उसके गुण हो सकते हैं, जैसे संगीत यंत्र बजाना, कहानियाँ

सुनाना, पाक कला, घर की मरम्मत, लेखन, बढ़ईगिरी इत्यादि, ये सब वह अतिरिक्त उपकरण एवं संसाधन है, जिनकी कार्यकर्त्ता द्वारा खोज की जानी चाहिए।

- सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कहानियाँ अधिकांश शक्ति, मार्गदर्शन, स्थिरता, भौतिक सुख और परिवर्तन के गहन स्रोत हैं।
- उनकी सफलता पर गर्व : जिन व्यक्ति की बाधाओं में अचानक वृद्धि हो जाती है, वह अपने दुर्भाग्य और कठिनाईयों से लड़कर पुनः सफल हो जाते हैं, जिसे 'उत्तर जीविका गौरव' कहा जाता है (वोलिन एवं वोलिन, 1994)

सामर्थ्य आधारित अभ्यास में शक्तियों का आंकलन करने का एक व्यवस्थित साधन होता है (रैप एट अल, 2005)। मूल्यांकन के लिए, जिस तरह समस्याओं, विकृति या हानि पर प्राथमिक ध्यान केंद्रिकरण को अनदेखा किया जाता है, उसी तरह तार्किकता के लिए मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण एक पद्धति के तहत् होता है (जैसे रैप एवं गोरचा, 2006) जिन प्रश्नों का उपयोग शक्ति की खोज के लिए पूछ सकते हैं, उन्हें जीवन रक्षा प्रश्न, समर्थन प्रश्नों, अपवाद प्रश्नों संभावना प्रश्नों और सम्मान के सवालों में वगीकृत किया जाता है।

जीवन रक्षा प्रश्न :

- आप जीवन यापन करने में किस तरह कामयाब रहे हैं (या बचे रहने में)?
- आपको किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा है?
- आप अपने सम्मुख आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे कर पाए हैं?
- इन कठिनाईयों का सामना करते समय आपकी मनः स्थिति क्या थी?
- आपने अपने संघर्ष के दौरान अपने बारे में और संसार के बारे में क्या सीखा है?
- इनमें से किस कठिनाईयों ने आपको विशेष गुण, अंर्तदृष्टि या कौशल दिया है?

- क्या विशेष गुण हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं?

समर्थन प्रश्न :

- क्या लोगों ने आपको विशेष समझ, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है?
- कौन से विशेष लोग हैं जिन पर आप निर्भर रह सकते हैं?
- वे व्यक्ति क्या हैं जिन्होंने आप पर विचार किया या अपवाद–स्वरूप हैं?
- आप उन्हें कैसे मिले या वे आपके पास कैसे आए?
- उन्होंने आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया दर्शाई?
- क्या संस्थाएं, संगठन या समूह विशेष रूप से आपकी सहायता कर चुके हैं?

अपवाद प्रश्न :

- जब जीवन में सब कुछ सुचारु रूप से चल रहा था तो क्या अलग था?
- अतीत में आपको कब लगता था कि आपका जीवन अत्यधिक बेहतर, और भी अधिक रोचक और अधिक स्थिर था?
- आपके जीवन में कौन सी विशेष भूमिका रही और क्या आप फिर से उसे जीना चाहते हैं? एक नए अंदाज में? या फिर निर्वाह करना चाहते हो?
- आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण या घटना थी, जिसने आपको विशेष समझ, परिवर्तनशील और मार्गदर्शित किया?

संभावना प्रश्न :

- अब आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं?
- आपकी आशाएं, दृष्टिकोण और आकांक्षाएं क्या हैं?
- आप इन सबको प्राप्त करने के लिए किस सीमा तक पहुंचे हैं?
- व्यक्ति या व्यक्तिगत गुण क्या आपको इन दिशा–निर्देशों में अग्रसर होने में सहायता कर रहे हैं?

- आप क्या करना चाहते हैं?
- आपकी विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं क्या हैं?
- क्या कल्पनाएं और सपने आपको विशेष आशा और मार्गदर्शन देते हैं?
- मैं आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं या उन विशेष क्षमताओं और समय को ठीक कर सकता हूँ जो आपके साथ पहले घटित हुआ था?

सम्मानित प्रश्न :

- जब आपके सहयोगी आपके बारे में कुछ अच्छा कहते हैं तो वह क्या कहना चाहते हैं?
- आपके जीवन के बारे में क्या ऐसी बात है जो आपको गर्व का अहसास करवाती है?
- जो चल रहा है आपके जीवन में अच्छा चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? उसमें क्या व्यक्ति, घटनाएं, विचार शामिल थे?
- इन प्रश्नों से तात्पर्य, प्रोटोकॉल की बजाय संभावनाएं हैं। समाज कार्यकर्त्ता इन प्रश्नों को सामर्थ्य के बारे में सोचने, सामर्थ्य की पहचान करने में सहायता करने के लिए उद्दीपक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिनके बारे में पहले नहीं सोचा गया था और जो केस योजना के बारे में वह आधार प्रदान करते हैं, जो मुवक्किल की अक्षमता के स्थान पर, उसकी दक्षता एवं योग्यता पर आधारित है।

शक्ति का आंकलन करने के लिए रोप्स मॉडल

रोप्स ग्रेबील (2001) प्रदर्शित करते हैं कि रोजमर्रा के कार्य में, कई समाज कार्यकर्त्ता विरोधाभासी मानदंडों के बीच तनाव का अनुभव करते हैं। वह दर्शाते हैं कि समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए शक्ति परिप्रेक्ष्य को शामिल करना चुनौती से भरा है, यहाँ तक कि जहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, वहाँ प्रासंगिक रूप में इसे

सहमति या स्वीकृति हो वहाँ उसे स्थिर बना देते हैं। ऐसा करने के लिए वह उन्हें समर्थन देने के लिए, वह रोप मॉडल का प्रस्ताव करते हैं, इसके लिए तालिका–2 देखें:

रोप्स	सामग्री क्षेत्र
संसाधन	• व्यक्तिगत • परिवार • सामाजिक वातावरण • संगठनात्मक • समुदाय
विकल्प	• वर्तमान दृष्टिकोण • अवधारणा का विकल्प • क्या अब पहुंचा जा सकता है? • क्या उपलब्ध है और इसका अनुभव या उपयोग किया जा चुका है?
संभावनाएं	• भावी एकाग्रता • कल्पना • रचनात्मकता • भविष्य के प्रति दृष्टिकोण • अभी तक प्रयत्न नहीं किया गया परंतु आपने जो विचार किया क्या उस पर प्रयत्न किया?
अपवाद	• जब समस्या नहीं हो रही है? • जब समस्या अलग है? • जब काल्पनिकता भविष्य का अंश है, तो समाधान क्या है? • आपने अपने अस्तित्व, समृद्धि, धैर्य से सहनशीलता को कैसे संरक्षण दिया?

समाधान	• समाधान गठन पर केन्द्रित होना चाहिए न कि समस्या समाधान पर • अब क्या कार्य किया जा रहा है? • आपकी क्या सफलताएं हैं? • आप क्या कर रहे हैं? • आप क्या कर रहे हैं जो कि आप उसे निरंतर जारी रखना चाहते हैं? • संयोग से उल्लेखनीय घटना क्या है? • अब आप प्रत्येक वर्ग के लिए उल्लेखनीय घटना का सृजन कैसे करेंगे?

4.9 सामर्थ्य आधारित अभ्यास–उपयोगकर्त्ता में अपेक्षित परिणाम

- विशिष्ट अनुभव और सराहना
- अभिलाषाएं और आशावादिता के मजबूत भाव
- यथार्थवादी लक्ष्यों और स्वयं की उम्मीदों को रखना और सीखना
- उत्पादक तुलनात्मक रणनीतियों पर विश्वास करते हैं जो आत्म–विश्वासघात के बजाय विकास को बढ़ावा देते हैं।
- सामने आने वाली बाधाओं को चुनौतियों के रूप में देखें।
- दोषों और कमजोरियों के बारे में जागरुक हों लेकिन गुणात्मकता का उद्देश्य रूप में निर्माण करें।
- पारस्परिक कौशल प्रभावी होना चाहिए, जिससे सहायता प्राप्त कर सकते है, दूसरों से औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों के लिए विकसित करना।
- वे जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) कैसे शक्ति आधारित अभ्यास पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) मुवक्किल की शक्ति और क्षमताओं की खोज कैसे कर सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) शक्ति आधारित दृष्टिकोण के मुवक्किल के संभावित परिणाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.10 सारांश

समाज कार्य अभ्यास के दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य समाज कार्य मूल्यों से उत्पन्न होता है, स्व निर्णय (मुवक्किल को अपने जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक तरह से स्थापित लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए उन्हें सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं), सशक्तिकरण (आत्मनिर्णय के आधार पर सूचित करना), मूल्य और गरिमा में निहित (व्यवसाय का मूल मूल्य हर व्यक्ति के लिए समन है) (कुमिन्स, सेवेल एवं पेडरिक, 2006)।

- शक्ति आधारित दृष्टिकोण व्यक्तियों और समुदायों में क्षमता, कौशल ज्ञान, संपर्कता और क्षमता को महत्त्व देते हैं।
- शक्ति आधारित दृष्टिकोण के सिद्धांतों में से कुछ मुवक्किल की धारणा है कि वह उसमें पूर्णतः निपुण है।
- शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से तात्पर्य चुनौतियों को अनदेखा करना या शक्ति में संघर्ष से नहीं है।
- चिकित्सक सहभागिता के मार्ग में कार्यरत हैं–व्यक्तियों को स्वयं के लिए आवश्यक तथ्यों को चुनने में मदद करना।
- अभ्यास के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण कई प्रथाओं की स्थापना और एक विस्तृत श्रृंखला में प्रयोज्यता को स्थापित कर चुका है।

- कुछ सुझाव दृष्टव्य हैं कि शक्ति आधारित दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के लिए, जो तथ्यों का दुरूपयोग करते हैं, उपचार कार्यक्रमों में प्रतिधारण में सुधार कर सकते हैं।
- यह भी दृष्टव्य है कि शक्ति आधारित दृष्टिकोण का उपयोग सामाजिक नेटवर्क को बेहतर बना सकता है और अच्छी तरह से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शक्ति आधारित दृष्टिकोण व्यक्ति के संदर्भ में सोचने का भिन्न मार्ग प्रदर्शित करता है और इसकी जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए व्याख्या करता है। एक गुणात्मक आधारित मनः स्थिति द्वारा शक्ति आधारित मानसिकता के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं कि मूल्यों और व्यवहारों के स्पष्ट संग्रह पर आधारित एक अनोखा अन्वेषण आमंत्रित करता है। सामर्थ्य दृष्टिकोण प्रथाओं की प्रक्रियाओं को अभ्यास से जोड़ती है, तकनीकि और ज्ञान का विस्तार करने के लिए शब्दकोष के रूप में उपयोगी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, परिवार समूह और समुदाय अपने स्वयं के परिवर्तन और सार्थक परिवर्तन प्रकिया का सरल साधन

4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

सेलबे, डी. (1992), 'द सट्रेन्थस परस्पैक्टिव इन सोशल वर्क प्रैक्टिस' न्यू यॉर्कः लोंगमैन।

सेलबे, डी. (1996), 'द सट्रेन्थस परस्पैक्टिव इन सोशल वर्क प्रैक्टिस' एक्सटेंशन एंड कुशन. सोशल वर्क, 41 (3), 297।

डेनिस डी लोंग, कॉरलन, जे टिस, जॉन द मोरिसन (2006) मैकरो सोशल वर्क प्रैक्टिस – एक सट्रेन्थस परस्पैक्टिव थॉमस।

कॉक्स, ई.ओ. एंड परसन, आर.जे. (1994) एम्पावरमैंट–ओरियंटिड सोशल वर्क प्रैक्टिस विथ द एल्डर्ली, पैसिफिक ग्रोव, सी.ए.ब्रूक्स कोल आतज टी., एंड रिटची, एच. (2000) गांधियन प्रिन्सीपल्स इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, एथिस वैनसटिड, सोशल वर्क।

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) शक्ति आधारित अभ्यास की मूलभूत मान्यताएं हैं:

- सभी व्यक्तियों में शक्ति और क्षमता होती है।
- व्यक्ति बदल सकता है।
- स्पष्ट परिस्थितियों और संसाधनों को देखते हुए, सीखने और विकसित करने के लिए व्यक्ति की क्षमता को पोषित और महसूस किया जा सकता है।
- व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता के माध्यम से परिवर्तित और उन्नति करता है।
- समस्या ही समस्या है, व्यक्ति नहीं।
- समस्या के कारण व्यक्ति, अर्थपूर्ण सुधार के लिए आवश्यक अपनी शक्ति तथा क्षमता को देख नहीं पाता।
- सभी व्यक्ति स्वयं के लिए अच्छी वस्तुएं चाहते हैं और अच्छे इरादें रखते हैं।
- व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहे हैं वे अपने अनुभवों को वर्तमान में दोहरा सकते हैं।
- बदलने की क्षमता हमारे अन्दर व्याप्त है– यह हमारी कहानी है।

2) लक्ष्य अभिविन्यासः शक्ति आधारित दृष्टिकोण लक्ष्योन्मुखी होता है, किसी दृष्टिकोण को सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व वह है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के लिए वह लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो वे पाना चाहते हैं।

शक्ति मूल्यांकनः प्राथमिकता का केन्द्रीकरण समस्याओं या हानि पर नहीं है, और व्यक्ति को अपनी समस्या सुलझाने के लिए अंर्तनिहित संसाधनों को पहचानने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। जिसे वे कठिनाई या स्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।

बोध प्रश्न II

1) पारंपरिक दृष्टिकोणः

- व्यक्ति को एक अद्वितीय रूप से परिभाषित करता है।
- प्रतिभा, संसाधन से शक्ति में वृद्धि होती है।
- उपचार समस्या पर केन्द्रित है।
- श्रेणी/वर्गीकरण पर जोर
- समस्या को सुलझाने के लिए समाधान पर जोर देना
- विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्त्ता
- कार्यकर्त्ता का ज्ञान तथा दक्षता, कार्य हेतु आवश्यक संसाधन है।
- अच्छा/बुरा/काला/सफेद
- अन्तःक्षेप
- प्रश्नः समस्या क्या है

शक्ति आधारित दृष्टिकोणः

- व्यक्ति को अद्वितीय रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रतिभा, संसाधन से शक्ति में वृद्धि होती है।
- उपचार संभावना पर केन्द्रित है।

- मुवक्किल के इच्छित परिणाम पर बल
- पिछली सफलताओं द्वारा अपवादों पर जोर
- विशेषज्ञ के रूप में मुवक्किल
- मुवक्किल की क्षमता तथा दक्षता कार्य हेतु आवश्यक संसाधन है।
- विविध विकल्प
- सहयोग
- प्रश्नः मुवक्किल किस स्थिति में है?

2) शक्ति आधारित अभ्यास में शक्तियों का आंकलन करने का एक व्यवस्थित साधन होता है। मूल्यांकन के लिए जिस तरह समस्याओं, विकृति या हानि पर प्राथमिक ध्यान केन्द्रीकरण को अनदेखा किया जाता है, उसी तरह तार्किकता के लिए मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण एक पद्धति के तहत् होता है। जिन प्रश्नों को शक्ति के अन्वेषण हेतु पूछ सकते हैं, वे निम्नवत् हैंः

- जीवनरक्षा प्रश्न
- समर्थन प्रश्न
- अपवाद प्रश्न
- संभावना प्रश्न
- सम्मानित प्रश्न

3) शक्ति आधारित अभ्यास से उपयोगकर्त्ता में अपेक्षित परिणाम

- विशिष्ट अनुभव तथा सराहना
- अभिलाषाएं और आशावादिता के मज़बूत भाव
- यथार्थवादी और स्वयं की उम्मीदों को रखना एवं सीखना
- उत्पादक तुलनात्मक रणनीतियों पर विश्वास करते हैं, जो आत्म–विश्वासघात के बाजय विकास को बढ़ावा देती है।
- सामने आने वाली बाधाओं को चुनौतियों के रूप में देखें।

- दोषों और कमजोरियों के बारे में जागरूक हो लेकिन शक्ति का उद्देश्यपूर्ण रूप में निर्माण करें।
- पारस्परिक कौशल प्रभावी होना चाहिए, जिससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों से औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बन्ध विकसित करना।
- वे जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 जनहित याचिका (पीआईएल)*

*डॉ. एन. राम्या

रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 जनहित याचिका का अर्थ

5.3 जनहित याचिका की उत्पत्ति

5.4 जनहित याचिका की प्रकृति

5.5 संवैधानिक प्रावधान

5.6 जनहित याचिका से संबंधित मुद्दे

5.7 जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया

5.8 जनहित याचिका और समाज कार्य

5.9 जनहित याचिका और समाज कार्य के अन्य तरीकों के साथ संबंध

5.10 सारांश

5.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

* डॉ. एन राम्या, समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली।

भारत का संविधान सभी भारतीयों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यदि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति न्याय के लिए कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है। आर्थिक सहायता के अभाव में, निर्धन व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय नहीं पहुँच पाते। इसके अतिरिक्त भारतीय कानून प्रणाली के तहत, केवल पीड़ित लोग अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन, गरीब लोगों की ओर से उनके मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इस समस्या को महसूस करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधारणा को विकसित किया कि समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वह सीधे तौर पर इससे शामिल न हो, परन्तु इसमें गहन रूचि रखता हो, नियम 226 के तहत् जनहित याचिका के माध्यम से, उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय जा सकता है जो गरीबी, असहायता अथवा विकलांगता अथवा सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में होने के कारण अदालत तक नहीं जा सकते। इस प्रकार न्याय प्रणाली में जनहित याचिका की शुरूआत एक महत्त्वपूर्ण विकास है। भारत में जनहित याचिका का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान न्यायालयों को निर्धनों में सर्वाधिक निर्धन, समाज के वंचित तथा हाशिये पर रह रहे तबकों जैसे कैदियों, बेसहारा बच्चों अथवा बंधुओं मजदूरों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों तक पहुँचाना है। इस प्रकार यह सामान्य रूप में जनहित के लिए न्यायालय का उपयोग करने में समाज कार्यकर्त्ता की सहायता करता है, साथ ही समाज के वंचित एवं दवे–कुचले वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायक है।

समाज कार्य जैसे केस वर्क, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक प्रशासन कार्य विकसित होने में समय लगा। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समाज में सामाजिक समस्याएं जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शिक्षा के अधिकार कार्यस्थल पर यौन शोषण, उद्योगों का स्थानांतरण, कानूनी नियम, द्वारा अच्छी सरकार जैसी जटिल

सामाजिक समस्याएं हैं। ये जटिल समस्याएं बड़े पैमाने पर सीधे या परोक्ष रूप से व्यक्ति और समाज को प्रभावित करती है। इन्हें परंपरागत समाज कार्य विधियों के माध्यम से प्रभावी रूप से सुलझाया नहीं जा सकता। समकालीन समस्याओं के समाधान के रूप में जिसमें जागरुकता अभियान, संसाधन जुटाना, नेटवर्किंग, शक्ति आधारित अभ्यास हैं, जनहित याचिका एवं वकालत हैं, जनहित याचिका एवं वकालत सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आशा की एक नई सोच को दिशा निर्देश देते हैं। इस प्रकार, जनहित याचिका और समाज कार्य के बीच संबंध को समझना अनिवार्य है।

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप निम्न को समझने योग्य होना चाहिए:

- जनहित याचिका का उद्देश्य और प्रकृति
- इसकी लोकस स्टेंडी की अवधारणा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए पर्याप्त बदलाव और जनहित याचिका दायर करने के लिए सरल प्रक्रियाएं अपनाना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए सार्वजनिक स्तर पर जागरुक व्यक्तियों या संगठनों के एक समूह को बनाया जाए।
- जनहित याचिका और समाज कार्य के अन्य पारंपरिक और समकालीन तरीकों के संबंध को समझना।

5.1 प्रस्तावना

नागरिक न्याय प्रणाली मे जनहित याचिका महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता के हितों को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और सामूहिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसका कार्य समाज के वंचित, उत्पीड़ित और हाशिए वाले वर्गों को न्याय प्रदान करता है। यह सामूहिक रूप से अधिकारों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह सिविल सोसयटी को न केवल मानव अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने की अनुमति देता है बल्कि सरकार की निर्णय लेने की

प्रक्रिया में भी भाग लेता है। यह सरकार को जवाबदेही के साथ अच्छे शासन में योगदान देता है।

पांरपरिक तौर पर जनहित याचिका के उद्भव से पहले, अशिक्षित, वंचित और शोषित जनता के लिए न्याय एक दूरदराज की वास्तविकता थी, एक व्यक्ति जिसे अदालत के माध्यम से कानूनी उपाय भुगतना पड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 'लोकस स्टेंडी' की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया और न्याय के लिए न्यायालयों में एक बड़ी बाधा को हटा दिया।

नयी स्थिति यह है कि यदि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक वर्ग के साथ कानूनी रूप से कुछ गलत हुआ है और वे गरीबी अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते तो उनकी ओर से किसी जनहित में रूचि रखने वाले व्यक्ति अथवा एक समाज कार्य समूह के लिए अदालत में न्याय पाने के लिए याचिका दायर करने का रास्ता खुला है। इस नये दृष्टिकोण ने निर्धन तथा शोषित व्यक्तियों तक न्याय पहुँचाया है और इस प्रकार सभी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्यों के दायरे का विस्तार करने में वृद्धि हुई है।

5.2 जनहित याचिका का अर्थ

जनहित याचिका से तात्पर्य है सार्वजनिक हित या सामान्य हित में, प्रारंभ की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई जिसकी समुदाय के एक समूह के हित में रुचि हो, जिससे उसके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी प्रभावित होती है। जनहित याचिका एक कार्रवाई है, जिसमें एक व्यक्ति या समूह जनता के लिए में राहत मांगता है ना कि अपने लिए।

वैश्वीकरण के इस युग में भी विशेषतः समाज के शोषित वर्ग अदालत के माध्यम से अपने कानूनी अधिकारों को पाने में अनेक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। ये परिवर्तन न्याय प्रशासन में धीरे–धीरे हो रहा है जनहित याचिका एक कानूनी

साधन के रूप में है, जो कि इस परिवर्तन को लाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। समाज कार्यकर्त्ता जोकि एक परिवर्तन एजेंट है, के लिए इस नयी शताब्दी में जनहित याचिका समाज कार्य को विभिन्न प्रमुख विधियों में से एक के रूप में उभरी है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) जनहित याचिका दायर होने से पहले गरीबों के लिए न्याय की वास्तविकता क्या थी?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्यों शोषण के शिकार गरीब लोगों को आम लोगों की तरह न्याय मिल सकता अतीत में अदालतों के माध्यम से न्याय की पुष्टि करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) क्या उच्चतम न्यायालय ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अदालतों तक पहुंच की बाधा का हटा दिया?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 जनहित याचिका की उत्पत्ति

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के मध्य में जनहित याचिका का प्रारंभ माना जाता है। उन्नीसवीं सदी में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न कानूनी सहायता आदोलनों के माध्यम से सार्वजनिक हितों के लिए कानून बनाने के लिए योगदान दिया था। 1960 के दशक में जनहित याचिका आंदोलन ने गति प्रदान की। वकीलों और उत्साहित व्यक्तियों को विशेषाधिकार देने हुए इन मामलों को गति दी और पर्यावरण से संबंधित मामलों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शोषण, उपभोक्ताओं का शोषण और कमजोर वर्गों के प्रति अन्याय जैसे मामलों से लड़ने

के लिए प्रोत्साहित किया। 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनहित याचिका को लागू किया और 1970 के अंत में भारत में भी जनहित याचिका का प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया।

भारत में गरीब लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल दस्तावेजों में मौजूद थे। गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए भिन्न प्रक्रियाओं और उच्च लागत के कारण वे न्यायालयों से न्यायिक राहत पाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि, भारत में जनहित याचिका के आने से, गरीबों के लिए न्यायिक राहत और संवैधानिक न्याय के अधिकार बढ़ चुके थे। जनहित याचिका के उदभव में जस्टिस वी.आर.कृष्णा अय्यर और न्यायमूति पी.एन. भगवती को अग्रदूत माना जाता था। समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए जनहित याचिका को प्रोत्साहित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह सरकारों, अराजकता, प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता जैसी दमनकारी प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली दुर्बलताओं के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व को प्रोत्साहित किया। न्यायाधीश सामाजिक न्याय के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं और सत्ता में संतुलन बनाए रखते हैं।

5.4 जनहित याचिका की प्रकृति

जनहित याचिका का उद्देश्य गरीब लोगों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ न्यायालय से कानूनी रूप से निवारण करने के लिए न्याय दिलाना है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के अनुसार, 'जनहित याचिका एक प्रक्रिया है, जो लोगों की शिकायतों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने को व्यक्त करता है। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने कहा कि, 'सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो हमारे संविधान के हस्ताक्षर का प्रतीक है जनता के हितों का विरोध विरोधी मुकदमें की प्रकृति में नहीं है, लेकिन यह एक चुनौती है और सरकार तथा अधिकारियों को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक, बुनियादी मानवाधिकार बनाने और उन्हें आश्वस्त करने का एक मौका देना है। इस प्रकार, जनहित

याचिका में, पारंपरिक विवाद के समाधान तंत्र के विपरीत, कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता है, या व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला नहीं किया जाता, लेकिन यह लोगों के मूल अधिकारों के प्रति अन्याय या उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है।

5.5 संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में जनहित याचिका के भाग 3 में निहित मूलभूत अधिकारों की नई और उदार व्याख्या और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किसी भी नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को याचिका स्थानांतरित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 (1) के द्वारा मूलभूत अधिकारों की उचित कार्रवाई हेतु और लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 32 (2) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के पास निर्देशों, आदेशों या उन्हे रद्द करने का अधिकार होता है, जिसमें उपस्थिति–पत्र, परमादेश, मनाही, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण की प्रमाणिकता की प्रकृति हो।

अनुच्छेद 226 के अनुसार, और अनुच्छेद 32 के बावजूद समस्त उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि वह उपस्थिति–पत्र, परमादेश, मनाही, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण को लागू कर सकें जो मौलिक अधिकारों के भाग 3 द्वारा अधिकृत थे।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के तहत् रिट ऑर्डर और इन्हें लागू करने के लिए समान अधिकार हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार के अर्थ को और अधिक विस्तार दिया है, और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 32 के भी अर्थ और क्षेत्र को भी संशोधन द्वारा विस्तृत किया

है। जीवन के अधिकार को रोजगार के अधिकार के रूप में व्याख्यित किया है। अपने निर्णय में उन्होंने समानता के अधिकार को जो अनुच्छेद 14 द्वारा जो स्थापित है उसे कार्यकारी और प्रशासनिक मनमानी को निरस्त करने से जोड़ दिया है।

5.6 जनहित याचिका से संबधित मुद्दे

जनहित याचिका में निम्नलिखित मुद्दों को लिया जा सकता हैः

1) बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, दवाईयां, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बस सेवा आदि।

2) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास

3) बंधुआ और बाल मजदूरों की पहचान और उनके लिए पुनर्वास

4) अवैध नजरबंदी और गिरफ्तारी

5) पुलिस हिरासत में लोगों को यातनाएं

6) कैदखानों में मौत

7) कैदियों के अधिकारों को संरक्षण

8) जेल सुधार

9) परीक्षण के दौरान शीघ्र परीक्षण

10) अनुसूचित जाति/जनजाति के खिलाफ अत्याचार

11) कैदियों की सरकारी कल्याण गृहों में उपेक्षा

12) कैद में बच्चे

13) बच्चों को गोद लेना

14) सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

15) कानून और व्यवस्था का पालन

16) न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

17) गरीबों के लिए कानूनी व्यवस्था

18) भूख से मौतें

19) अभद्र दूरदर्शन कार्यक्रम

20) पर्यावरण प्रदूषण

21) गरीब लोगों का मलिन बस्तियों से अनाधिकृत निष्कासन

22) कानूनों के प्रति कल्याणकारी कार्यान्वयन

23) कमजोर वर्गों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन ।

5.7. जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया

जनहित याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत् रिट की सभी निर्धारित प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का उदार व्याख्या के रूप में पालन करना आवश्यक नहीं है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जनहित याचिका कार्रवाई निम्नलिखित तरीकों से की जाती है:

- पंजीकृत पत्र तथा याचिकाओं के साथ तथ्यों और दस्तावेजों को अदालत के मुख्य न्यायाधीय को भेजना।

- सार्वजनिक जनहित याचिका को निःशुल्क कानूनी सेवा समिति के माध्यम से सीधे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- किसी भी वकील की मदद से सीधे ही मामले को दाखिल कर सकते हैं।
- गैर सरकारी संगठन या जनहित याचिका संघ के माध्यम से मामलों को दाखिल करना।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) जनहित याचिका की प्रकृति क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनहित याचिका को अपनाने के पीछे मुख्य धारणा क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) जब भी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 जनहित याचिका और समाज कार्यकर्त्ता

जनहित याचिका का उपयोग समाज कार्यकर्त्ताओं के द्वारा प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में समाज कार्यकर्त्ता न्याय प्रदान करने में विशेषतौर पर कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज कार्यकर्त्ता कानूनी प्रणाली विधि के साथ संपर्क कर सकते हैं और किशोरों, कैदियों के पुनर्वास, वेश्याओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और गरीबों के लिए सामाजिक न्याय को कार्यान्वयन करने में सहायता कर सकते हैं

और जिन जरुरतमंद लोगों को कानूनी सहायता की आवश्यकता है उनकी सहायता कर सकते हैं। वास्तव में, समाज कार्यकर्त्ता जनहित याचिका के द्वारा स्वयं के लिए एक सार्थक और रचनात्मक भूमिका तैयार कर सकते हैं।

क्या जनहित याचिका (पीआईएल) सामाजिक परिवर्तन का साधन है?

कुछ समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि कानून/तंत्र परिवर्तन का नेतृत्व नहीं कर सकती है, वह केवल उसका अनुसरण कर सकती है। इस प्रकार, यह मूल्यों और व्यवहारों के मूल परिवर्तन का एक साधन नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ, वे विशेषज्ञ हैं जिनका मत है कि जनहित याचिका (पीआईएल) सामाजिक परिवर्तन लाने का एक महत्त्वपूर्ण सक्षम तरीका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कानून/तंत्र अकेले, प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक जनता के विचार और प्रशासनिक सुधारों के द्वारा पूरक और समर्थित नहीं होता।

इसकी सीमाओं के बावजूद जनहित याचिका पेशेवर समाज कार्यकर्त्ताओं के हाथों में समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शक्तिशाली और प्रभावी साधन हो सकता है।

चूंकि समाज कार्य का उद्देश्य सरंचनात्मक असमानताओं, सामूहिक गरीबी, सामाजिक–आर्थिक अन्याय और अभाव से संबंधित समस्याएं और मुद्दों को हल करना है। वर्तमान समय के दौरान समाज कार्यकर्त्ताओं के प्रमुख कार्यों में से एक लोगों को सशक्तिकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा। वर्तमान समय के संदर्भ में समाज कार्य के दर्शन पर ध्यान देने के लिए, हमें पेशेवर समाज कार्य को फिर से परिभाषित करना चाहिए, ''एक ओर समाज कार्य अभ्यास व्यवसाय है, जो प्रभावकारी लोगों के साथ राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परिवर्तन और विकास लाने के द्वारा उन्हें सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं से मुक्त करा कर, उन्हें सशक्त करने का कार्य करता है। जबकि दूसरी तरफ यह

दुर्लभ और गैर–अनुवांशिक पर्यावरण के तहत् वंचित और गरीब लोगों की दुर्दशा को कम करने में समान रूप से जुड़ा हुआ है।

समाज कार्यकर्त्ता कठिनाई और पीड़ा को दूर करने और रोकने का प्रयास करते हैं, उनका दायित्व होता है कि वे व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उचित नेताओं के प्रावधान और संचालन के माध्यम से और सामाजिक नियोजन के योगदान के द्वारा सहायता करें।

वे व्यक्तिगत और सामाजिक कठिनाई से निपटने और आवश्यक संसाधनों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उन लोगों के हितों के साथ या उनकी ओर से और उनके साथ कार्य करते हैं। इनका कार्य व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य, सामाजिक विकास, सामाजिक क्रिया, नीति विकास, अनसंधान, समाज कार्य शिक्षा और पर्यवेक्षी और प्रबंधन कार्य इन क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं परंतु ये सीमित नहीं हैं। पेशेवर समाज कार्यकर्त्ता द्वारा जनहित याचिका का उपयोग सामाजिक वकालत के लिए साधन के रूप में, बुनियादी मानव अधिकार, गरिमा और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सशक्तिकरण के रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, समाज कार्य का समग्र जोर गैर–अभिजात्यवादी दृष्टिकोण के साथ विकासात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास के आयाम पर होगा। इस प्रकार जनहित याचिका सामाजिक सुधार, सामाजिक कल्याण विकास और परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। साथ ही इसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, जो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उपेक्षित और शक्तिहीन होते हैं।

5.9 जनहित याचिका और समाज कार्य की अन्य विधियों के साथ इसका संबंध

पारंपरिक समाज कार्य के तरीके जैसे मामला कार्य, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक अनुसंधान और समाज कार्य एक

दीर्घावधि में ाविकसित किए गए थे। इन सभी तरीकों/विधियों को व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और समाज की समस्याओं को बड़े पैमाने पर निपटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। किन्तु फिर भी आधुनिक समाज में, सामाजिक समस्याएं–जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, कैदियों के अधिकार पर्यावरण की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शिक्षा का अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उद्योगों का स्थानांतरण कानून के नियम, सुशासन इत्यादि जटिल है। ये जटिल समस्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत और समाज बड़े–बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, या पारंपरिक समाज कार्य पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं हो सकती है। जनहित याचिका और समर्थकों ने समकालीन सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए आशा की एक नई पहल की है। यह अध्याय जनहित याचिका और समाज कार्य के अन्य ग्यारह तरीकों के बीच संबंधों का पता लगाता है/की खोज करता है।

समूह कार्य

समाज समूह कार्य एक ऐसी विधि है, जो व्यक्तियों को अपने समूह के अनुभवों के माध्यम से अपने सामाजिक कार्यों को बढ़ाने और उनके व्यक्तिगत, समूह या समूदाय की समस्याओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायता करता है (मारजोरई मुरफी, 1959)। समाज कार्यकर्त्ता इस तरीके से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज कार्यकर्त्ता समस्याओं का पता लगाते हैं, और प्रभावित व्यक्तियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी सहायता करने के लिए व्यवस्थित करता है। ब्राउन के अनुसार (1994), सामूहिक कार्य एक संदर्भ प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं, यह समूहों की सहायता करने के साथ–साथ व्यक्तियों की सहायता करने का एक तरीका है, और यह व्यक्तियों और समूहों को व्यक्तिगत आचरण, समूह प्रेरणा और गतिशीलता, संगठनात्मक और सामुदायिक समस्याओं को प्रभावित करने और बदलने के लिए सक्षम कर सकता है। कभी–कभी समूह कार्य समाज कार्यकर्त्ता को उन समस्याओं

की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें कानूनी उपाय से सुलझाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अदालत में जनहित याचिका दायर पीड़ित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए एक आशाजनक समाधान है। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के गुडालूर किसानों पर जंगल के अधिकारियों और पुलिस द्वारा जबरन निष्कासन और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ गरीब किसानों की ओर से दायर याचिका दायर की गई थी। अदालत ने हस्तक्षेप किया और फसलों के विनाश और किसानों को बलपूर्वक निष्कासन रोक दिया। जनहित याचिका के रतलम और वर्दिचंद मामले की एक जनहित याचिका में, पीड़ित नागरिकों के एक समूह थे, जो बदबू और बीमारियों का कारण बना। नागरिकों के समूह के अधिकार को पहचानने वाले न्यायालय ने जोर देकर कहा कि न्याय के गुरुत्व का केंद्र, लोकस स्टैंडी के पारंपरिक व्यक्तिवाद से, सार्वजनिक अभिरुचि मुकदमें के सामुदायिक उन्मुखीकरण में बदलाव करना है। इस प्रकार, समाज समूह कार्य की विधि बड़े कानूनी मुद्दों की पहचान करने में सहायता करती है, जो जनहित याचिका के माध्यम से हल हो सकते हैं। ये दोनों तरीके एक दूसरे से पूरक हैं।

सामुदायिक संगठन

सामुदायिक संगठन पद्धति अन्य तरीकों से अंतः संबधित हैं जो अनुपूरक और पूरक प्रभाव लाते हैं। मरी.जी.रॉस (1967) समुदाय संगठन को परिभाषित करते हैं, 'एक प्रक्रिया जिसके कारण एक समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पहचानता है, उन्हें प्राथमिकता देता है, आत्मविश्वास विकसित करता है और जो उस पर कार्य करने के इच्छुक हैं उनसे लेन–देन करने के लिए (आंतरिक और बाहरी) संसाधन पाता है, और ऐसा करने से समुदाय में सहकारी और सहयोगी व्यवहार और प्रथाएं विकसित होती हैं। क्रेमर और स्पैच (1975) ने कहा है कि सामुदायिक संगठन हस्तक्षेप के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करता है जिससे एक व्यवसायिक बदलाव एजेंट व्यक्ति, समूहों या संगठनों से मिलकर एक सामूहिक

कार्रवाई प्रणाली में सहायता करता है, जो मूल्यों की लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ विशेष समस्याओं से निपटाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने में संलग्न है। इस विधि के लिए सबसे अच्छे उदाहरणों में से नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है। आधुनिक भारत में यह सबसे लोकप्रिय आंदोलन है। यह आंदोलन नर्मदा नदी घाटी परियोजना के विरुद्ध वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ था। आंदोलन में कई परिवर्तन हुए। प्रारंभिक चरण में, डा. मेधा एक पेशेवर समाज कार्यकर्त्ता के रूप में समुदाय संगठन द्वारा विस्थापित लोगों के समुचित पुनर्वास के लिए काम करते थे। योजनाबद्ध सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक संगठन के माध्यम से कई जनहित याचिका फिर से आवास और पर्यावरणीय मुद्दों पर दायर की गई। एक अन्य श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज (खाद्य और उर्वरक उद्योग) की जनहित याचिका मामले में प्रख्यात वकील एम. सी. मेहता ने एक नुकसान का दावा करने के लिए जनहित याचिका दायर की। खतरनाक गैसों के निकलने के कारण औद्योगिक समूह के आस–पास कई लोग मारे गए। अदालत ने उन उद्योगों की विनिर्माण गतिविधियों को बंद करने और खतरनाक और घातक रसायनों के प्रसंस्करण के निर्देश दिए। इस प्रकार यह पाया गया कि सामुदायिक संगठन और योजनावद्ध सामूहिक कार्रवाई जनहित याचिका के माध्यम से बड़े कानूनी मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। ।

समाज कार्य

सामाजिक कार्रवाई को बड़े पैमाने पर समस्याओं के द्रव्यमान माधान से संबंधित एक विधि के रूप में वर्णित किया गया है। समाज कार्य में कई ऐसे व्यक्तियों को राहत मिलती है जिनके साथ संभवतः जितनी संभव हो उतनी ही बड़ी दुर्घटनाएं होती है। सामाजिक न्याय और सामाजिक कानून, सामाजिक न्याय, कल्याण और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक कार्रवाई नए कानूनों के लिए एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप भूमिका निभाती है, पुराने को बदलती या संशोधित करती है और मौजूदा लोगों को एक ईमानदारी से कार्यान्वयन करती

है। हिल के अनुसार (1951) समाज कार्य, बुनियादी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों या प्रथाओं को प्रभावित करने का प्रयास करके सामूहिक सामाजिक समस्याओं को हल करने या सामाजिक रूप से वांछनीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित समूह प्रयास है। बाल्डविन (1966) ने समाज कार्य या सामाजिक सेवा से अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थानों को बदलने के लिए एक संगठित प्रयास के रूप में सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया, जिनके क्षेत्र स्थापित संस्थानों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को विशेष रूप से शामिल नहीं करते हैं। जनहित याचिका के साथ इस पद्धति का संबंध भारत के मामलों 'परमानंद कटारा बनाम संघ के माध्यम से समझाया जा सकता है। इस मामले में, अदालत ने यह माना कि यह किसी–चिकित्सक व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य का सबसे अधिक उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से इंतजार किए बिना जितना शीघ्र हो सके, चिकित्सा सहायता प्रदान करें। इस मामले में, जनहित याचिका के जरिए जन समस्या के लिए जन समाधान वास्तविकता में आया है। दूसरे मामले में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जन समाज कार्य, जनहित याचिका के माध्यम से विस्थापित जनजातीय आबादी के उचित पुनर्वास के लिए अदालत से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

समाज कल्याण प्रशासन

यह मूल रूप से परोपकारी, धार्मिक और धमार्थ संगठनों द्वारा सामाजिक नीतियों, समाज कार्यक्रमों और सामाजिक कानूनों को निष्पादन है, जो सामान्य जनसंख्या की आवश्यकता के लिए सेवाएं और लाभ प्रदान करते हैं। बी.एल. वाडेरे और एमिसतरा पटेल ने जनहित याचिका के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से कहा कि झुग्गी इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा सार्वजनिक भूमि का बड़ा क्षेत्र शामिल किया गया था। जैसा कि झुग्गी बस्ती के विकास में वृद्धि हुई, अदालत ने संबंधित विभागों को झुग्गी बस्तियों के विकास की जांच करने और पर्यावरण के मूल्यों को जीवित बनाने के लिए उचित कार्रवाई

का निर्देश दिए। इसी तरह जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को प्रर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में संकुचित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) का उपयोग करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली बसों को परिवर्तित करने का आदेश दिया। इसके बाद, दिल्ली के प्रदूषण की समस्याओं को संबोधित करने के लिए ऑटो रिक्शा को बढ़ा दिया गया था। हाल के वर्षों में जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत में वन संरक्षण उपायों की निगरानी के लिए कदम उठाया है और एक विशेष 'ग्रीन वैद्य' का गठन किया गया है ताकि संबंधित सरकारी एजेंसियों को जंगल की रक्षा के लिए न्यायिक पर्यवेक्षण बनाए रखने का निर्देश दिया जा सके। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता के विरुद्ध जनहित याचिका के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत में पारित किया गया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21–ए के तहत् अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

समाज कार्य अनुसंधान

यह समाज कार्य में शोध पद्धति के आवेदन के माध्यम से है जो समाज कार्यकर्त्ताओं को समाज कार्य के अभ्यास में सामना करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अतिरिक्त ज्ञान और कौशल संपन्न बनाता है। समाज कार्य में अनुसंधान कार्य का उद्देश्य समाज कार्य अभ्यास में हस्तक्षेप या उपचार प्रभावशीलता के बारे में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए है। यह ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है कि कौन से हस्तक्षेप या उपचार वास्तव में सहायता करते हैं, या समाज कार्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। इस प्रकार समाज कार्य शोध, समाज कार्य प्रथाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामाजिक समस्याओं और समाज कार्य अभ्यास की व्यवस्थित और व्यवसायिक जांच है। समाज कार्य व्यवसायिकों को विभिन्न कानूनी मुद्दों पर एक गहराई से अध्ययन करने और जनहित याचिका के माध्यम से कानूनी अधिकारों को पुर्नस्थापित करने,

कानून के माध्यम से मामले को उठाने के लिए किसी भी मौलिक मानवाधिकार के उल्लंघन की पहचान करनी चाहिए। कई जनहित याचिका मामलों में समाज कार्यकर्त्ताओं ने सामाजिक समस्याओं के कारण को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न आंकड़ों के मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण जैसे अनुसंधान विधियों का कार्य किया है। उदाहरण के लिए, श्री राम खाद्य पदार्थों और उर्वरक मामले में, एकत्र मात्रात्मक आंकड़ों ने प्रमाणित कर दिया कि उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैस और रसायन प्रत्यक्ष बीमारी और मौत का कारण बनी जिसने बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया और पीड़ितों के लिए राहत की मांग की। समाज कार्य व्यवसायिकों, एनजीओ कार्यकर्त्ता और कानूनी विशेषज्ञों ने जनहित याचिका दाखिल करने के लिए समाज कार्य अनुसंधान के परिणामों का व्यापक रूप से उपयोग किया।

संसाधन जुटाना

संसाधन जुटाना, समाज कार्य के समकालीन तरीकों के रूप में प्रचारित किए जाने वाले नए तरीकों मे से एक है। यह सामाजिक आंदोलन, कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के महत्त्व और आवश्यकता पर बल देता है। संसाधनों में ज्ञान, वित्त, मीडिया, श्रम, एकता और विभिन्न सेवाओं से आंतरिक और बाह्य समर्थन शामिल है। संसाधन जुटाने का कारण संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसमें धनी और दयालु समर्थन दोनों शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामुदायिक संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत, एक व्यवसायिक समुदाय को उनकी लगातार बैठकों के लिए कुछ बुनियादी ढांचा बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। ये संसाधन मानव शक्ति, धन सामग्री और समय के मामले में हो सकते हैं। इस विधि का उपयोग करके समाज कार्यकर्त्ता समुदाय के भीतर या समुदाय के बाहर के संसाधनों को उपयोग करने के तरीकों से अवगत कराता है और दूसरी तरफ लोगों को संसाधनों के साधन की पहचान कराता है और इस तरह

के संसाधनों का उपयोग करने के तरीके बताता है। वास्तव में जनहित याचिका दायर करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। यह कानूनी व्यवसायों को आर्कषक बनाने के लिए और सामाजिक समस्याओं के कारणों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए मानव शक्ति के मामले में दोनों रूप से हैं। वंचित लोगों के लिए समाज कार्यकर्त्ता बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उनके अधिकारों को लागू करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है इसलिए जनहित याचिका के माध्यम से कानूनी अधिकारों को लागू करने में न्यायालय सहित अधिकारियों के पास आने के संसाधन जुटाना पूर्वापेक्षा है। कुछ विशष परिस्थितियों में, जनहित याचिका के चैनल को सबसे कमजोर और वंचितों की जरूरतों का पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है, जिसमें कठिन परिस्थितियों में शामिल व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

नेटवर्किंग

नेटवर्किंग को 'व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों के बीच जानकारी या सेवाओं का आदान–प्रदान के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से रोजगार या व्यवसाय के लिए उत्पादिक संबंधों की खेती (मेरियम–वेबस्टर शब्दकोष 2012)। यह समाज कार्य व्यवसायिकों द्वारा अपनाया जाने वाला एक नया तरीका है। यह विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से सूचनाओं और सेवाओं के आदान–प्रदान की अवधारणा है। नेटवर्किंग का लाभ दीर्घकालिक और निरंतर एक है। नेटवर्किंग एक उपकरण है चाहे सामाजिक मीडिया कंपनियों या बैठकों के सामने आकर, विचारों का आदान–प्रदान करने, लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता हैं और इससे ज्ञान अर्जित होता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य कीकुडनकुलम परमाणु उर्जा परियोजना (के.एन.पी.पी.) के विरुद्ध काम कर रहे गैर सरकारी संगठन के एन.पी.पी./के.एन.पी.पी. के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने के लिए दक्षिण भारत के लोगों, संगठनों और दाता एजेंसियों के विभिन्न

समूहों के साथ नेटवर्क बनाना पड़ा। अतः के.एन.पी.पी. के आसपास और उसमें कार्यरत लोगों के लिए सरकार को एक विकास पैकेज लागू करने के लिए विवश किया गया था।

किसी भी कारण से संस्था या सरकार के विरुद्ध जनहित याचिका शुरु करने पर प्रभावित सेवार्थी, उनके समर्थकों, निर्णय निर्माताओं कानूनी विशेषज्ञों और प्रभावित समुदाय के साथ ही एक व्यापक नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क उन विभिन्न स्त्रोतों से संसाधनों को एकत्रित करने में सहायता करेगा, जिनमें प्रचार मीडिया शोध निविष्टियां और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, जिन्हें समान स्थितियों का सामना करना पड़ता था।

शक्ति आधारित तरीका/दृष्टिकोण

शक्ति आधारित दृष्टिकोण को एक विधि/दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है, जो घाटे उन्मुख दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की संभावनाओं या किस काम पर ध्यान केंद्रित करना है, का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। एक घाटे के दृष्टिकोण के विपरीत ताकत – आधारित परिप्रेक्ष्य बच्चों और युवाओं के मूल्यांकन के लिए उन्हें सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने का एक तरीका प्रदान करता है (राको, ए., 2009)। उनकी सर्वोच्च क्षमताओं को प्राप्त करने में यह धारणा है कि लोगों के पास अपने सशक्तिकरण के लिए शक्तियां और संसाधन है। यह जानता है कि जीवन के अधिकांश भाग के लिए, लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वे होने वाले परिवर्तनों से संभलने में समर्थ हो जाते हैं और साधन संपन्न बन जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए नई रणनीतियां सीखते है। इस प्रकार शक्ति आधारित दृष्टिकोण ग्राहक/सेवार्थी की व्यक्तिगत ताकत/शक्ति का उपयोग कर रहा है और सेवार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वातावरण के संसाधनों की खोत करता है और सेवार्थी के लचीलेपन को बढ़ाता है (नोरमैन, 2000)। यह परंपरागत तरीकों का एक विकल्प है। जनहित याचिका शक्ति आधारित दृष्टिकोण/तरीकों के लिए एक पूरक भूमिका

निभा सकता है। पर्यावरण सरंक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शिक्षा का अधिकार, कानून का शासन, सुशासन और लेखापालन की सुरक्षा के क्षेत्र में दायर जनहित याचिका लचीलेपन को बढ़ाने की कोशिश के लिए है। शक्ति आधारित तरीका/दृष्टिकोण वास्तव में सकारात्मक पहलुओं की पहचान करने में सहायता करता है, जिनके पास लचीलेपन को बढ़ाने की क्षमता है। इस तरह के सकारात्मक पहलू को लागू करना, जनहित याचिका के माध्यम से ही संभव है।

जनहित याचिका ग्राहकों की अपनी छिपी क्षमताओं और ऊर्जा की शक्तियों को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। समाज कार्य व्यवसायिक, सेवार्थियों को समर्थन और राहत के प्रति जागरुक होने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिनसे व्यक्ति जनहित याचिका के माध्यम से कानून के पास पहुंच सकता है। यह सेवार्थियों द्वारा विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अपनी पहुंच के भीतर उपलब्ध ताकत के बारे में उन्हें शिक्षित करने का एक अन्य तरीका है।

जागरुकता अभियान

जागरुकता अभियान, समाज कार्य के तरीकों के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इसका समाज कार्य अभ्यास के पारंपरिक और समकालीन तरीकों से घनिष्ठ संबंध है। जागरुकता अभियान विभिन्न संचार मीडिया के द्वारा एक संगठित, व्यवस्थित प्रयास है, जो किसी विशेष क्षेत्र की सामान्य आबादी को उनकी महत्त्वपूर्ण अभिरुचि के प्रति सचेत करता है। इस तरीके का भी जनहित याचिका पर पूरक प्रभाव है। समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में लगे समाज कार्यकर्त्ता विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रभावित लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं। कई बार, सामाजिक रूप से संवेदनशील वकील जनहित याचिका के माध्यम से नीति अंतर को संबोधित करने के लिए इन मामलों को उठा सकते हैं, कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हुस्नारा खातून बनाम बिहार के राज्य (1979) को एक वकील ने दायर किया था जिसमें भारतीय एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार पत्र

पर आधारित बिहार जेलों के मुकदमें कैदियों की मुश्किलों के संबंध में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स बनाम केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के मामले में, एक अखबार के लेख पर कानून के द्वारा शिकायत के रूप में लिया गया था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से योजनाबद्ध जागरुकता अभियान का पालन किया। जागरुकता अभियान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

जागरुकता अभियान पद्धति निश्चित रूप से लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को जनहित याचिका के द्वारा कानून के उपचारात्मक उपायों की तलाश से आसान बना सकती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तथा घरों में लगभग 1.25 अरब लोग, गरीबी में सबसे गरीब लोगों के सामने आने वाली समस्याएं और मामले लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने में दूर है। जब लोगों के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है तो जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय से निर्देश मांगने के लिए समाज कार्य हस्तक्षेप सबसे अधिक आशाजनक साधनों या तरीकों में से एक है। जागरूकता अभियान का तरीका जनहित याचिका के माध्यम से शोषित और पीड़ित लोगों को बेहतर और संतोषजनक उत्तर देने में बेहतर सहायता कर सकती है।

वकालत

शब्दकोष में वकालत का अर्थ है, 'वकालत का कार्य करना/गंभीरतापूर्ण निश्चय करना, समर्थन या सिफारिश करना। यह मुद्दों पर प्रभावित लोगों की भलाई के लिए विभिन्न स्तरों पर सत्ता प्रणालियों और संरचनाओं में लोगों को प्रभावित करके दृष्टिकोण, क्रिया, नीतियों और कानूनों को बदलने के लिए एक सतत् प्रक्रिया है। वकालत को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है, 'ग्राहकों के लिए सेवाओं या संसाधनों को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की ओर से और साथ काम करने की प्रक्रिया है, जो कि अन्यथा नहीं प्रदान किए जाएंगे, तकनीकियों, प्रक्रियाओं या

अभ्यास को संशोधित करने के लिए जो ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या नए कानून या नीतियों को बढ़ावा देते हैं आवश्यक संसाधन या सेवा के प्रावधान में परिणाम होंगे (हेपवर्थ और लार्सन 1986) वकालत के लिए समय की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए अच्छी तरह से नियोजित और एक दूसरे से जुड़े क्षेत्रों की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। यह दोनों स्तरों और प्रणालीगत स्तरों पर परिवर्तन और चुनौतीपूर्ण अन्याय को बढ़ावा देने के बारे में है। जनहित याचिका वकालत के साथ ही सामाजिक परिवर्तन और चुनौतीपूर्ण अन्याय को बढ़ावा देने के साथ संबंधित है। दोनों में एकमात्र अंतर यह है कि जनहित याचिका का उपयोग किया जा सकता है, जब मौलिक और लागू करने योग्य अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन वकालत के मामले में, इसे अन्य सामाजिक समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों समाज कार्य के संदर्भ में एक दूसरे के पूरक हैं।

व्यापक अर्थ में, जनहित याचिका ने वकालत की सुविधा दी है। जनहित याचिका नीतिगत परिवर्तन के साथ सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में नीति निर्माण को बढ़ावा दे सकता है। विशेषकर उन गरीबों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक दुर्घटना, भोजन में मिलावट, नदी के प्रदूषण और उद्योगों के कारण जल प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा, दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की सहायता करने के लिए एसिड हमलों में राहत, बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, कर्मचारीगण, विकलांग आदि की सहायता करने पर समाज कार्य व्यवसायिकों को अदालत में स्थानांतरित कर सकते हैं। कई मामलों में, अदालतों ने न केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की है, बल्कि सरकारों को कानूनों के संशोधनों के लिए या मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए न्याय प्रदान करने के लिए नए कानूनों को लागू करने का भी निर्देश दिया है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) क्या जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाज कार्यकत्ताओं द्वारा जनहित याचिका का प्रयोग कैसे किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) समाज कार्य के समकालीन तरीके क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) जनहित याचिका और समाज कार्य के बीच संबंधों की चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.10 सारांश

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों का लागू करने के लिए राज्य का दायित्व है कि जब कोई भी राज्य और एजेंसियों के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो, लोगों के अधिकारों में प्रवर्तन के लिए संवैधानिक न्यायालयों में लेने का अधिकार है। लेकिन

अतीत में, समाज के वंचित वर्ग कानूनी अधिकारों की अनभिज्ञता और साधनों की कमी के कारण न्याय पाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर सकता।

पश्चिमी देशों में जनहित याचिका (पीआईएल) का आगमन, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 'लोकस स्टैंडी' की अवधारणा को बढ़ाने के लिए जनसामान्य व्यक्तियों और संगठनों को कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए संवैधानिक न्यायालयों तक पहुंचने के लिए सक्षम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को न्यायसंगत तरीके से विस्तरित किया है, और उनकी कार्रवाई का सरल बनाया है। जनहित याचिका को विकसित करने के पीछे मुख्य धारणा यह है कि गरीब लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता है तो न्यायालयों के माध्यम से समाज में कट्टरपंथी तरीके से बदलाव लाए जा सकते हैं।

आज जनसामान्य, मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत् अनुच्छेद 32 या उच्च न्यायालयों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास, महिलाओं और बच्चों के साथ अवैध कार्य का विरोध, जेलों में मृत्यु, पर्यावरण प्रदूषण, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की अनाधिकृत निकासी, नकली दवाईयां आदि न्याय प्राप्त करने के लिए मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की मदद की है। यह कार्य अब समाज कार्यकर्त्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों के लिए छोड दिया गया है जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों के विकास में मदद रखते हैं। हाल ही में भारत के संविधान द्वारा न्यायिक प्रणाली का उपयोग कर मूलभूत अधिकारों को लागू करने और परिवर्तन करके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि जनहित याचिका में सामाजिक परिवर्तन और न्यायिक सुधार कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनसमुदाय द्वारा समाज कार्य को विभिन्न प्रकारों में से एक माना जाता है। जनहित याचिका को बड़े पैमाने पर

न्याय प्रदान करने के लिए 'अप्रत्यक्ष समाज कार्य अभ्यास का एक आदर्श रूप है। इसके अलावा, जनहित याचिका का प्रयोग तब किया जाता है जब अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या कुछ मानवाधिकारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं होते हैं। जनहित याचिका समाज कार्य के अन्य तरीकों की पूरक और अनुपूरक भूमिका निभाता है। हालांकि, यह सामाजिक समस्याओं को संवैधानिक और कानूनी तरीकों से निपटाने में एक प्रतिक्षित क्षेत्र है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, न्यायालय विधायी और प्रशासनिक अधिकारों को सक्रिय रूप से रक्षा करती है, खासतौर पर वंचित और गरीब लोगों के लिए। इसलिए जनहित याचिका का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर उभरती हुई जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह देखा जाता है कि सभी समाज कार्य विधियां परस्पर एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक हैं।

5.11 कुछ उपयोगी पुस्तके

पियरिस, जी.एल. (1991), भारतीय उप–सम्मेलन में सार्वजनिक रूचियों के मुकदमेः वर्तमान आयाम, 'अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक कानून त्रैमासिक, जनवरी 1991।

जनहित याचिका : पीढ़ी और संभावनाएं'. भारतीय सामाजिक संस्थान, पीयूसीएल (दिल्ली अध्याय) एवं जनहित याचिका संस्थान, 1994।

सुस्मैन, सुसन डी, (1995), 'जनहित याचिका में सार्वजनिक मुकदमेबाजी में स्थायी परिवर्तन, कानूनी लेख और विचार, नवम्बर 1995।

गैंगराड, के.डी. 1978, भारत में सामाजिक कानून, कॉन्सेपट प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।

सामाजिक कानून की योजनाः सामाजिक आयोग कल्याण (1956) भारत सरकार, दिल्ली।

दासी अर्चना (2010).भारतीय संदर्भ में समाज कार्य अभ्यास।

प्रो. जी. थॉमस (ईडी)केस कार्य एवं परामर्शः वर्क विद इंडीविजूअल, इग्नू नई दिल्ली।

जॉन, रोबर्ट (2014)। समाज कार्य में कानून का प्रयोग (6वां एसी) सेज पब्लिकेश। नई दिल्ली।

मिश्रा, पी डी (1994) समाज कार्य, दर्शन एवं विधियां। नई दिल्ली। इंटर इलिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

नीरा अगनीमित्रा (2010)। सामुदायिक संगठनः अवधारणा, मूल्य अभिविन्यास। प्रो. जी थॉमस (ईडी), सामुदायिक संगठन प्रबंधन, नई दिल्ली. इग्नू।

वर्गीस जोसेफ (2010) समाज कार्य की एक विधि के रूप में सामाजिक समूह कार्य।

प्रो. जी. थॉमस (ईडी), समाज समूह कार्यः समूह में कार्य, नई दिल्ली, इग्नू।

वेब संदर्भ

दिवा सूर्या (2009) भारत में जनहित याचिका : एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा, सीजेओ वॉल्यूम 28 (1)

एनएएसडब्ल्यू. जुलाई 2012 कैरियर। समाज कार्यकर्त्ता। http://ssm.com/abstract=1424236 से पुनः प्राप्त।

पूला, वी (2012) क्या आप शक्ति आधारित अभ्यास कर रहे हैं? पूला द्वारा वी चौनोवेथो, एल, फासिस, ए, बकाज, एस,ईडी, शक्ति आधारित पेपर प्रेक्टिस, नई दिल्लीः एलाइड पब्लिशर्स।

जनहित याचिका। कानूनी शिक्षक http:www.lawteacher.net/litigation-law/essays/public से पुनः प्राप्त।

राको, ए. (2009) क्या बच्चे और युवाओं की देखभाल की शक्ति है? सायकोलाइन 127 के द्वारा http:www.cye-net.org/cyc-ontesycyconline-racca.html पुनः प्राप्त।

शर्मा, कुसुम भारत में जनहित याचिका का विकास, व्याख्यान 5 फरवरी अमेटी विश्वविद्यालय, नोएडा, यू.पी.।

सिंह अराधना, जनहित याचिका, पीआईएल, एनजीओ भारत http:www.ng.osindia.comèresources/pilèphy on 18th December 2014 द्वारा पुनः प्राप्त।

सूद मेहता अवनी (2009) लेख भाग 2 महिलाओं के अधिकार और सामाजिक बहिष्कारः न्यायपालिका के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का निवारण।

श्रीवास्तवा, अंजली (2013) भारतः जनहित याचिकाः ए न्यू होरिजन http:www.mondaq.comèindia/x/273102ètrails+appeals+compensatione public+interest+litigation+A+Horizon on 18th December 2014 http:www.fundsforngos.orgefree&resources&forngosèresourcemobiliz ation re-trieved on 26th December 2014 द्वारा पुनः प्राप्त

http:www//SW741 advocacy. Tripod.com.retrievedon 23rd December 2014

http:www.campaignstrategy.org/articles/12basicguidelines.pdf.retrieved 24th December 2014

http//humangightsindia.blogspot.in/2012/09/human-rights-advocacy-for -social.html.retrieved on 23rd December 2014

क्रमशः लेख 32 लेख 226

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) अ) अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव।

आ) अपनी निम्न आर्थिक–सामाजिक स्थिति के कारण आग्रहिता का अभाव।

2) बेचारे शोषित अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे। यदि वे जागरूक भी होते तो उनके पास अदालतों में महँगे न्याय हेतु जाने के लिए न तो साधन और न ही इच्छा होती।

3) 'लोकस स्टेन्डी' की परंपरागत अवधारणा की बाधा, जो किसी सार्वजनिक हित साधक को समाज के कमजोर तबकों की ओर से याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं देती।

बोध प्रश्न II

1) जनहित याचिका से तात्पर्य है सार्वजनिक हित या सामान्य हित में दायर की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई, जब राज्य प्राधिकरण अथवा एजेन्टों द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है।

2) न्यायालयों के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन आएगा, यदि गरीब तथा कमजोर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी तरीकों से लागू किया जाए।

3) अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के संदर्भनुसार।

बोध प्रश्न III

1) सीमाओं के बावजूद, जनहित याचिका व्यवसायिक समाज कार्यकत्ताओं के हाथों में, समाज के निर्धन तथा हाशिए पर रहने वाले तबकों के प्रति

प्रतिबद्धता को पूरा करने का एक शक्तिशाली तथा प्रभावी उपकरण हो सकती है।

2) समाज कार्यकर्त्ता किशोरों, कैदी पुनर्वास, वेश्याओं, एस.सी./एस.टी. तथा गरीबों एवं जरूरतमंदों जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है, हेतु जरूरतमंदों जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है, हेतु सामाजिक न्याय को लागू करने में कानूनी व्यवस्था के साथ नेटवर्क कर सकता है तथा उसकी मदद कर सकता है।

3) समकालीन विधियाँ हैं– नेटवर्किंग, शक्ति आधारित विधि, जागरूकता अभियान, वकालत तथा जनहित याचिका।

4) सामाजिक कार्यवाही से जन समस्या का जन समाधान होता है, जो जनहित याचिका के माध्यम से संभव है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 जागरुकता अभियान*

*डॉ. अर्चना कौशिक

रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 जागरुकता अभियानः अर्थ, अवधारणा, क्षेत्र

6.3 दृष्टिकोण और आदर्श/प्रतिमान

6.4 जागरुकता अभियान के सिद्धांत

6.5 प्रक्रिया, साधन, और तकनीक

6.6 समाज कार्य की अन्य प्रणालियों के साथ संबंध

6.7 सारांश

6.8 संकेत शब्द

6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको समाज कार्य प्रक्रिया के समकालीन तरीकों में से एक के बारे में अवधारणात्मक समझ प्रदान करना है–जागरुकता अभियान। इस इकाई में आप जागरुकता अभियान के अर्थ, परिभाषाओं और मूल तत्त्वों की ओर अभिमुख होंगे। आप जागरुकता अभियान के नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त

* डॉ. अर्चना कौशिक, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

करेंगे। आप रूपांकित जागरुकता अभियानों के कुछ प्रमुख साधनों और तकनीकों तथा विधि की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप यह जानने में सक्षम होंगेः

- जागरुकता अभियान की परिभाषा;
- जागरुकता अभियान की प्रक्रिया और प्रासंगिकता को जानना/समझना;
- जागरुकता अभियान के नियमों के बारे में जानना;
- जागरुकता अभियान में प्रयोग होने वाले साधनों और तकनीकों की व्याख्या करने; और
- जागरुकता अभियान और समाज कार्य के अन्य पारंपरिक तरीकों के बीच संबंध को समझना।

6.1 परिचय

आपने अपने क्षेत्र में या प्रकाशित और संचार केन्द्रों में बहुत से जागरुकता अभियान देखें होंगे। पोलियो, एक खतरनाक बीमारी, हाल ही में भारत से, 'दो बूंद जिंदगी की', 'पोलियो रविवार' आदि की तरह अभियान रणनीतियों के शुभारंभ के जरिए सरकार के ठोस और जोरदार प्रयासों से समाप्त हो गई थी। 1999 में, उड़ीसा में सुपर चक्रवात ने दस हजार से अधिक जीवों को मृत्यु दी थी। 2013 में, लगभग समान तीव्रता के साथ, फैलिन चक्रवात, 100 की भी जिंदगी का दावा नहीं कर सका और श्रेय जागरुकता अभियान को चला जाता है। भारत एक संकट अद्योमुख देश है और प्रायः कहा जाता है कि पूरी तरह से अवगत, अच्छी तरह से सूचित और ठीक से प्रशिक्षित आबादी किसी भी आपदा की सुरक्षा और सफल प्रतिक्रिया की सर्वोत्तम गारंटी है। जागरुकता अभियान समुदाय से बाहर तक पहुंचने और इसे आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करने में महत्त्वूपर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे विनाशकारी प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चाहे वह एक आपदा प्रबंधन या सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (जैसे कि सार्वभैमिकरण प्रतिरक्षण, आई.एम.आर.ए. एम.एम.आर., को कम करना) शैक्षिक

पहल (शिक्षा अभियान, लड़की–बाल शिक्षा) और चुनाव में सुधार हो, जागरुकता अभियान ने व्यवहार को प्रभावित करने और स्थायी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण पहला कदम उठाया है। जागरुकता उन स्तम्भों में से एक है, जिस पर सार्वजनिक भागीदारी का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह सही विकल्प लेने और उचित निर्णय लेने का आधार है। सार्वजनिक जागरुकता का उद्देश्य सूचना और शिक्षा के प्रसार द्वारा ज्ञान, समझ और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करने और व्यवहार के लिए कौशलों का विकास करना है और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना है।

6.2 जागरुकता अभियानः अर्थ, अवधारणा, क्षेत्र

जागरुकता अभियान एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव को सक्षम करने के लिए आवश्यक दक्षताओं और कौशल को समझने और विकसित करने के लिए जानकारी एकत्र करने के अवसर प्रदान करता है। सेयरस ने 2006 में सटीक रूप में कहा था कि किसी चीज की जागरुकता को बढ़ाना अच्छी, बुरी या साधारण समाज या समुदाय के भीतर विश्वसनीयता और अपनी स्पष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए होती है। यह लोगों को एक विषय या विषय के बारे में सूचित करना और उन्हें शिक्षित करना है ताकि उनके दृष्टिकोण, व्यवहार और विश्वासों को प्रभावित उद्देश्य या लक्ष्य की उपलब्धि के प्रति प्रभावित किया जा सके। यह एक रचनात्मक और उत्प्रेरक बल है, जो लक्षित लोगों के व्यवहार और कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के इरादे से है। यह लक्षित लोग व्यक्तिगत, समूह, संगठन समुदाय या समाज भी हो सकते हैं।

जबकि जागरुकता बढ़ाना एक तरफ किसी विषय पर लक्षित लोगों के बीच सूचना या ज्ञान के स्तर को बढ़ा रहा है, जागरुकता अभियान एक विधि है जिसके अपेक्षाकृत बड़े दर्शकों के बीच जागरुकता पैदा करने या बढाने का निर्देश है। यह

एक सामाजिक कारण के लिए एक विचार/ मनोवृति/ व्यवहार/ कार्रवाई को प्रोत्साहित कर रहा है। जागरुकता अभियान प्रायः श्रोताओं को नई सेवाएं, कार्यक्रमों, सुविधाओं या कार्यों से अवगत करने का पहला कदम होता है। इसका उद्देश्य वांछनीय व्यवहार को परिचित बनाने, कहने, टीकाकरण को बढ़ावा देने या सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इस प्रकार जागरुकता बढ़ाने का उद्देश्य एक समुदाय के दृष्टिकोण, व्यवहार और विश्वासों को एक परिभाषित उद्देश्य है। (सेयरस 2006)।

जागरुकता बढ़ाना वैसा नहीं है जैसे कि जनता को कहना कि क्या करना है–यह लोगों के लिए ज्ञान का प्रसार और मामलों की व्याख्या करना है। ताकि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें, फिर भी मुद्दे पर जागरुकता पैदा करना और सूचना प्रदान करना स्वचालित रूप से व्यवहार परिवर्तन का नेतृत्व नहीं करता। मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन बेहद कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए मानव व्यवहार की समझ आवश्यक है और फिर लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए लगातार चरणों से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ नए व्यवहार को बनाकर रखा जा सके। जनता में जागरुकता को बढ़ाने के विभिन्न तरीके हैं। जागरुकता अभियानों को विशिष्ट योजनाबद्ध घटनाओं, पोस्टर अभियान, वेबसाइट, वृत्तचित्र, समाचारपत्रों के लेख आदि द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जागरुकता अभियान की रणनीतियों को लक्ष्य समूह की सामाजिक–जनसांख्यिकीय रूपरेखा और क्षेत्र के सांस्कृतिक और राजनीतिक सदर्भ को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक चुना जाता है। मास मीडिया ने जागरुकता अभियान का प्रचार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि परंपरागत रूप से सूचना एक से दूसरे के पास तक जाती है, जैसे चिकित्सक से रोगी तक बड़े पैमाने पर मास मीडिया के आगमन ने जागरुकता अभियानों की पहुंच गुंजाइश ने कई गुना विस्तार किया है। यहाँ तक कि 'सीमित पहुंच' प्रिंट मीडिया जैसे ब्रोशर, पर्चे, पोस्टर और समाचारपत्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालित रणनीतियों जैसे टेलीविजन, वीडियो–कान्फ्रेंसिंग, ब्लॉग स्पॉट, वेब परिसंचरण, एस.

एम.एस. इत्यादि को रास्ते दिए हैं। वास्तव में, इन जागरुकता अभियानों के द्वारा मीडिया समाज में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक परिवर्तनों के लिए वकालत करते हुए एक साधन बन गया है।

समाज कार्य का क्षेत्र सर्वव्यापी है ताकि अभियान के बारे में जागरुक हों समाज कार्य के हस्तक्षेप निवारक, रोगग्रस्त, सुधार, पुनर्वास, प्रबंधन और प्रबंधन के स्तर हैं और जागरुकता अभियान भी कुछ हानिकारक व्यवहारों को रोकने, स्वस्थ व्यवहारों को बढ़ावा देने, हानि कटौती के लिए अभिनय कार्यों का प्रबंधन करने वाले नकारात्मक कृत्यों को रोकने के लिए निर्देश देते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास, सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन–दुर्व्यवहार, असमानता, शोषण और सीमांतता से निपटने के क्षेत्र में समाज कार्य के हस्तक्षेप और जागरुकता अभियानों को आम तौर पर देखा जाता है। दोनों समाज कार्य और जागरुकता अभियानों का लक्ष्य लक्षित व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में वांछनीय और सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) अपने शब्दों में जागरुकता अभियान को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 दृष्टिकोण और आदर्श/प्रतिमान

जागरुकता अभियान में आमतौर पर उपयोग होने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। इन्हें पांच विशाल वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1) व्यक्तिगत संप्रेषण/संचार

2) सार्वजनिक संप्रेषण/संचार

3) शिक्षा

4) जन संपर्क

5) वकालत

व्यक्तिगत संप्रेषण/संचार

एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण आमतौर पर एक अच्छी योजना का प्रचार करने का सर्वोत्तम प्रभावपूर्ण साधन है, विशेष रूप से यदि संदेश भेजने वाले ने विश्वसनीयता/मान्यता प्राप्त की है। व्यक्तिगत संचार अभियान के संदेश से दर्शकों को और अधिक जूडने में सहायता करता है और अपने जीवन के संबंध में उस संदेश के महत्त्व को समझते हैं।

व्यक्तिगत सप्रेषण/संचार के उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

– मुंह से शब्द : वह है, व्यक्ति से व्यक्ति, ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता इस विधि द्वारा समुदाय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जागरुकता पैदा करते हैं।

- समुदाय और हितधारकों की बैठकें: विस्तार कार्यकर्त्ता किसानों को कृषि में अभिनव तकनीकों के बारे में बताते हैं जो इसका एक उदाहरण है।

- सार्वजनिक मंच, प्रस्तुतीकरण और कार्यशालाएं: गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सामुदायिक लोगों के लिए आयोजित लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।

- सामाजिक कार्यक्रम: बहुत से एन.जी.ओ., एच.आई.वी./एड्स की जागरुकता और रोकथाम पर कार्य कर रहे हैं. दंपत्तियों के लिए 'कंडोम पार्टी' कंडोम प्रयोग और सुरक्षित यौन प्रक्रियाओं को जनसंप्रदाय में प्रसारित करते हैं।

- जन साधन: कुछ विशेष समाजों में, जहाँ मौखिक परंपराएं शासन करती हैं, समूह स्थितियों में विशेष मुद्दों पर भूमिका निभाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है, नृत्य करते हैं और नाटक तथा कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बड़े–बड़े शोषण पर जागरुकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक और मंच का इस्तेमाल मीडिया के रूप में करते हैं।

सार्वजनिक संप्रेषण/संचार

यद्यपि व्यक्तिगत संचार को छोटे समूहों और समुदायों के मामलों पर जागरुकता पैदा करने का सबसे प्रभावपूर्ण साधन माना जाता है, परंतु यह सन्देश को विस्तृत रूप से संचारित करने के लिए हमेशा सबसे कुशल रणनीति नहीं है। सूचना के विस्तृत प्रसार के लिए, जन संचार जन साधन का उपयोग करते हैं जो उपयुक्त है। यह दृष्टिकोण मुद्रित पदार्थों के उपयोग में जागरुकता सर्जन को व्यक्त करता है (जैसे बिल बोर्ड, कार्टून, विवरण–पुस्तिका, पैम्फलेट, पोस्टर, संसाधन किताबें, समाचार पत्र, पत्रिका आदि), दृश्य–श्रव्य संसाधन (जैसे कि पूर्व रिकार्ड की हुई कैसेट, वीडियो, सी.डी. और डी.वी.डी.). और इलैक्ट्रानिक साधन (रेडियो,

टेलीविजन सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने में प्रसिद्ध साधन है)। इंटरनेट हाल ही का है परंतु जागरुकता पैदा करने का सबसे शक्तिशाली और लागत प्रभावी माध्यम है, जैसे वेबसाइट के माध्यम से ईमेल पर विचार–विमर्श, वेब–लॉग आदि। ये अपेक्षाकृत अभी का नवाचार है परंतु जहाँ इंटरनेट उपलब्ध है इन समुदायों और क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने वाले अभियानों की बहुत सहायता करने की क्षमता है। मोबाइल भी नए युग के सर्वव्यापी साधन की तकनीक है। सामाजिक कारणों सहित मोबाइल टेलीफोन पर एस.एम.एस. भेजना और व्यक्तिगत डिजीटल सहायक संदेश फैलाने में प्रभावकारी उपकरणों की तरह ख्याति प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षा

यह दोहराया जा सकता है कि किसी मुद्दे/सामाजिक कारणों पर जागरुकता बढ़ाने से आवश्यक नहीं कि दष्टिकोण/विश्वासों और व्यवहार में स्थायी बदलाव लाए जाए। दीर्घ–कालीन लाभों को प्राप्त करने के लिए, जागरुकता अभियानों को इस प्रकार आयोजित करना चाहिए कि ग्राहकों को अपनी आदतें/व्यवहारों को बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि और दक्षताएं प्रदान की जा सकें। शिक्षा जागरुकता पैदा करने में पूर्णतया प्रभावशाली दृष्टिकोण हो सकता है यदि प्रवृत्तियों और अनुकूल व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन लाता है।

जागरुकता पैदा करने वाले अभियानों के लिए दो प्रकार की शिक्षा उचित हैः

1) **औपचारिक शिक्षा :** विषय–वस्तु और दक्षताएं जो स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हों और स्थानीय आवश्यकताओं और मामलों के प्रसंग में सिखाया जाए।

2) **अनौपचारिक शिक्षा :** कार्यशालाएं. प्रस्तुतीकरण और अन्य दृष्टिकोण, वयस्कों को जानकारी और कौशलताएं देने के लिए मुख्य रूप से बनाई जाएं।

जागरुकता अभियान नीतियों में शिक्षा का दृष्टिकोण इस प्रकार होता है– प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों की स्थानीय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यस्क शिक्षा केन्द्रों और पुस्तकालयों, स्थिर और चल–प्रदर्शनी और प्रदर्शन में प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और कौशलताओं के साधनों का प्रशिक्षण हो और वहाँ पर पुस्तकालय सग्रह और अस्थिर/परिवर्तनशील पुस्तकालय हों।

जन–संपर्क

जागरुकता अभियानों की विश्वसनीयता की स्थापना और उसे बनाए रखने के लिए जो गतिविधियां बनाई जाती हैं उसका मोटे तौर पर संबंध जन संपर्क से होता है। ब्रिटेन में जन संपर्को की चाटर्ड संस्था ने पी.आर.की व्याख्या इस प्रकार की है, 'एक संगठन और उसकी जनता (ग्राहक और पणधारी) के बीच सद्भावना और आपसी समझ स्थापित करने और बनाए रखने के लिए नियोजित और निरंतर प्रयास का विकास करना है। पी. आर, में जनता की अभिरुचियों के साथ सामंजस्य में संगठन की नीति/कार्यक्रमों की रूपरेखा को प्रस्तुत करना/रूपांतरित करना, जनता के प्रत्यक्ष ज्ञान का विश्लेषण सम्मिलित होता है और फिर जनता के साथ संचार/संप्रेषण के लिए कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है/कार्यान्वित किया जाता है। संगठन जनसंपर्क के लिए विभिन्न साधनों को उपयोग में लाती है जैसे प्रैस, टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर, विवरण पुस्तिका, जमाखोरी, फिल्में कठपुतली का नाच, नुक्कड़ नाटक आदि। व्यक्तिगत संपर्क, दृष्टि–साधन, मुद्रित या लिखित शब्द और मौखिक शब्द भी पी.आर. के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

वकालत

वकालत और लॉबी करना (किसी राजनेता या सरकार को किसी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में सहमत कराने का प्रयत्न करना) कई बार इनकी उपेक्षा की जाती है जब

योजना जागरुकता अभियान की हो। परंतु सरकारों और सभ्य सामाजिक संगठनों से सहायता के समर्थन को सुनिश्चित करना अनिवार्य हो सकता है। वकालत विभिन्न स्तरों पर की जा सकती है – व्यक्तिगत स्तर पर (दैनिक जीवन से संबंधित मामलों पर), पारिवारिक स्तर पर (लिंग भेदभाव, आयु संबंधी मुद्दे जैसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार पर आदि) सामुदायिक स्तर पर (समुदाय के किसी भी भाग में जाति आधार, धर्म, गैर जातीय के कारण उत्पन्न भेदभाव के विरुद्ध न्याय न प्राप्त करने पर) राष्ट्र (नीति हस्तक्षेप, मानव अधिकारों को प्रभावित करना) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (विश्व व्यापार समझौते, अंतर्राष्ट्रीय ऋण, ग्लोबल वार्मिग, गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि आदि)।

जागरुकता अभियान के आदर्श/प्रतिमान

इस भाग में हम जागरुकता अभियान के तीन मुख्य आदर्शों का मूल्यांकन करते हैं–जागरुकता पैदा करना, सामाजिक विपणन और व्यवहारिक परिवर्तन।

जागरुकता पैदा करना : इस आदर्श में, अभियान का प्रमुख संदेश, विभिन्न दृष्टिकोणों और तकनीकों का उपयोग करते हुए चुनिन्दा लक्षित श्रोताओं के साथ संचार/संप्रेषण करना है। मिश्रित संचार/संप्रेषणसंदेश की बेहतर ग्रहणशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। अभियान में जागरुकता पैदा करने के चार प्रभावशाली घटक हैंः संदेश, श्रोता, रणनीति और समय।

व्यवहारिक परिवर्तन संचार/संप्रेषण

व्यवहार परिवर्तन संचार प्रभावपूर्ण संचार रणनीतियों के उपयोग द्वारा लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और रहने की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संचार का सामरिक उपयोग है। नील मक्की ने बी.सी.सी. की संक्षिप्त परिभाषा/ठोस परिभाषा प्रस्तुत की है–समूह और मास–मीडिया चौनल, सहभागिता के तरीकों सहित पारस्परिक के उपयुक्त मिश्रण

का उपयोग करते हुए यह एक शोध आधारित, कार्यक्रमों में दर्शकों और प्रतिभागियों को पहचानने, उनका विश्लेषण करने और विभाजित करने और अच्छी तरह से परिभाषित. रणनीतियों के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी और प्रेरणा प्रदान करने की प्रक्रिया है।

बी.सी.सी. (व्यवहार परिवर्तन संचार) की अवधारणा से पूर्व, सूचना शिखा संचार (आई.ई.सी.) संचार का विकास करने की प्रसिद्ध रणनीति थी। हम इन दोनों शब्दों को अलग करते हैं। आई.ई.सी. व्यक्तियों और समुदायों के बीच सकारात्मक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए आवेदन संचार रणनीतियां और विकास हैं तो दूसरी तरफ, बी.सी.सी. व्यवहार परिवर्तन में बाधाओं को पहचानने और उसी पर काबू पाने के बारे में अधिक है। जिसमें व्यवहार होता है, उस पर्यावरण, संदर्भो और समुदायों को समझने के विषय में है। साक्ष्य दिखाते हैं कि केवल लोगों को सूचित करना कि कौन सा व्यवहार उचित है और उसे अपनाया जाना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन को लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सामाजिक बाजारीकरणः यह व्यावसायिक विपणन की अवधारणाओं और सिद्धांतों के उपयोग से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की योजना कार्यान्वयन है। विश्व भर में सामाजिक बाजारीकरण के नियमों का उपयोग समुदाय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विशाल रूप से रहा है। कोटलर (1975) ने सामाजिक बाजारीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है, 'लक्षित समूहों में एक सामाजिक विचार या अभ्यास की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कार्य की तैयारी, कार्यान्वयन और नियंत्रण है। यह बाजार विभाजन, उपभोक्ता अनुसंधान, विवचार विन्यास, संचार, सरलीकरण, सुगमता, प्रोत्साहन और लक्ष्य समह प्रतिक्रिया को अधिकतम करने के लिए विनिमय सिद्धात जसा अवधारणाओं का प्रयोग/उपयोग करते हैं। एनडरेसन के अनुसार (1995), 'सामाजिक बाजारीकरण विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, योजना, निष्पादन और कार्य विश्लेषण, योजना, निष्पादन और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए लक्षित दर्शकों के

स्वैच्छिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए है, ताकि उनका व्यक्तिगत कल्याण हो सके और उनके समाज में सुधार हो सके।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सामाजिक बाजारीकरण सामाजिक विज्ञापन नहीं है; यह केवल प्रचार या पदोन्नति या मीडिया की पहुंच से बाहर से भी बहुत अधिक है। यह बहुआयामी और गतिशील दृष्टिकोण है, जिससे सकारात्मक, व्यवहार में उन्नति हो रही है और समाज में अच्छी तरह से बढ़ रहा है। 'विनिमय' सामाजिक बाजारीकरण का मुख्य कारक है, जहाँ वांछित व्यवहार/उत्पाद को अपनाने के लाभों को उजागर किया गया है और बाधाओं को महत्त्व नहीं दिया गया है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी नए व्यवहार/उत्पाद को अपनाने से पहले मानव मस्तिष्क विनिमय के मामले में पेशेवरों और विपक्षों की गणना या वजन करती है। उदाहरण के लिए, खरीदी गई पेप्सी की लागत 15 रुपये होगी (एक प्यास बुझाने वाला + अच्छा स्वाद + मनारंजन + युवा अनुभव + दुःसाहस)। कंडोम खरीदने का दूसरा उदाहरण लेते हैं – कंडोम की लागत (5 रुपये + खरीदने के समय शर्मिदगी + खुशी का नुकसान) और लाभ (गर्भाधारण से सुरक्षा + एस.टी. + एच.आई.वी. + नियंत्रण की भावना + मन की शांति)। लोग 'कीमत – लाभ' द्वारा मूल्यांकन करते हैं, जब वे एक नया उत्पाद/व्यवहार खरीदने के समय एक विकल्प बनाते हैं। जब कथित लाभ कथित कीमत/लागत से अधिक होता है, तो ग्राहकों को वांछित/व्यवहार उत्पाद अपनाते हैं।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) व्यवहारिक परिवर्तन संचार की आधरभूत विशेषताओं की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 जागरुकता अभियान के सिद्धांत

जागरुकता अभियान कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है जो निम्नलिखित हैं:

1) **समाज कार्य मूल्यों के सिद्धांत**

समाज कार्य मूल्य जैसे समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जागरुकता अभियानों की नींव बनाते हैं।

2) **समुदाय और ग्राहक आवश्यकताओं के सिद्धांत**

जागरूकता अभियान समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं (बल्कि आवश्यकताओं को अनुभव किया जाना) पर आधारित होते हैं यह अभियानों को स्वीकार्यता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

3) **सांस्कृतिक संदर्भो के सिद्धांत**

समाज कार्यकर्त्ताओं को समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक स्थापना को समझने को आवश्यकता है क्योंकि यह सेवा स्वीकृति को बहुत प्रभावित

करता है और वास्तव में अभियानों की सफलता या असफलता को भी प्रभावित करता है।

4) ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण का सिद्धांत

जागरुकता अभियान को आंतरिक रूपरेखा ग्राहक या लक्षित श्रोता के इर्द–गिर्द घूमती है। ग्राहकों के मनोवैज्ञानिक स्वभाव और सामाजिक–सांस्कृतिक के बारे में ज्ञान, एक तरफ उनके दृष्टिकोण और मुद्दों पर विश्वास प्रणाली अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपेक्षित गुणध्पूर्व आवश्यक गुण अनिवार्य हैं।

5) लक्ष्य स्पष्टता का सिद्धांत

अभियान की सफलता या असफलता लक्ष्यों को स्पष्टता पर निर्भर होती हैं कार्रवाई और जागरुकता लक्षित दर्शकों को विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए।

6) योजना के सिद्धांत

एक तकनीकी घटक के रूप में, सतत योजना की प्रक्रिया सार्थक अभियान के विकास का आधार है। समाज कार्य के संदर्भ में, योजना उपयोगकर्त्ताओं को शामिल करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो, सेवा उपयोगकर्त्ताओं को भी शामिल करना चाहिए।

7) संदेश विशिष्टता के सिद्धांत

संदेश विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह वांछित परिवर्तन या परिणाम लाता है और लक्षित दर्शकों के लिए निवेदन करता है।

8) भाग लेने के सिद्धांत

लोगों की सक्रिय भागीदारी जागरुकता अभियान की जड़ है उन्हें सूचना के निष्क्रिय अभिग्राहकों के रूप में माना जाना चाहिए।

9) संचार के सिद्धांत

सांस्कृतिक अति संवेदनशील, औरदो–तरफा संचार प्रभावपूर्ण जागरुकता अभियानों के लिए आवश्यक है। दृश्य–श्रव्य और प्रैक्टिकल प्रस्तुति प्रभावपूर्ण संचार के दो साधन हैं।

10) स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन के सिद्धांत

'सकारात्मक दिशा में सामाजिक परिवर्तन' का मार्गदर्शक जागरुकता अभियान का लक्ष्य है। अभियानों को समाज के सभी विभागों में सकारात्मक परिवर्तन और संपूर्णता के लिए नेतृत्व करते हुए तैयार करना चाहिए। अभियान को तदर्थ आधार पर नहीं होना चाहिए या कुछ चुनिंदा लोगों की भलाई के लिए सीमित नहीं होना चाहिए।

11) सैद्धांतिक ढांचे का सिद्धांत

जो अभियान सैद्धांतिक ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं वह उन सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं जो सिद्धांत या अभ्यास पर आधारित होते हैं।

12) लागत–प्रभावशीलता के सिद्धांत

सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ और संसाधन उपलब्धता के आधार पर, माध्यम चौनलों को ध्यान से सबसे अधिक दक्षता और लागत–प्रभावशीलता के साथ चुना जाना चाहिए। कई वितरण चैनलों का उपयोग करने वाले अभियान अधिक सफल होते हैं।

13) प्रतिक्रिया के सिद्धांत

सफल अभियान के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए योजनाएं बनाना महत्त्वपूर्ण है।

6.5 प्रक्रिया, साधन, और तकनीक

जागरुकता अभियान की रूपरेखा प्रस्तत करने की प्रक्रिया के लिए बहुत से चरणों की आवश्यकता है। जिसे निम्न रूप में चित्रित किया गया है:

योजना चरण

इस चरण में, पहला कदम, स्थिति विश्लेषण है। जो आधार रेखा आंकड़ों के संकलन से किया जाता है। प्रभावपूर्ण अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 'लक्षित श्रोताओं' का ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक समस्याएं बहुत तरह की होती हैं उदाहरण के लिए–बाल विवाह और विविध परिणामों के विभिन्न कारण होते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के उपयोग से, स्थिति के पूर्णतावादी विश्लेषण के लिए सभी कारणों का अध्ययन किया गया है। पृष्ठभूमि–संबंधी अध्ययन किए जाते है ताकि प्रासंगिक और यथार्थवादी जानकारी एकत्रित हो सके, आवरक आयाम जैसे राजनीतिक परिदृश्य, नीतियों कानूनों और कार्यक्रमों, वित्तीय और अन्य संसाधनों के पास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक स्थिति अभाव या प्रर्याप्त बुनियादी ढांचे और परिष्कृत की उपस्थिति आदि।

जागरुकता अभियान के विषय पर अगला कदम 'सूचना/समस्या का विश्लेषण है। विभिन्न साधन जैसे समस्या उत्पत्ति स्थान, समस्या वृक्ष विश्लेषण आदि इसके लिए आवेदित किए जा सकते हैं।

रूपांकन चरण

पिछले चरण में एकत्रित जानकारी और विश्लेषण के आधार पर, जागरुकता अभियान के ठोस, मापनीय उद्देश्यों को तैयार किया गया है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या जागरुकता अभियान केवल सूचना प्रसारित करने तक ही

सीमित होगा या व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य है। इस प्रकार निर्धारित उद्देश्य, अभियान के दृष्टिकोण और आदर्शों का निर्णय करेंगे। आधार रेखा आंकड़ा संकलन के चरण में किए गए समदाय की विस्तृत रूपरेखा को देखते हुए, आयामों जैसे उनकी आयु–समूह, शिक्षा स्तर, व्यवसायिक स्थिति आदि को सम्मिलित करके लक्षित समूहध श्रोता को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों को स्थापित करने और लक्षित दर्शकों की संख्या तय करने के पश्चात, अगल चरण कुंजी संदेश को संरचित कर रहा है। उपर्युक्त संदेशों को प्रत्येक लक्षित समूह, सामाजिक संस्कृतिक परिवेश के सामाजिक–जनसांख्यकीय रूपरेखा के आधार पर परिभाषित किया गया है; मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए और व्यवहार/आदतों को बदलना होगा, 'स्वस्थ्य–व्यवहार' और उपलब्ध मानवीय और वित्तीय संसाधनों को अपनाने में बड़ी बाधाएं आती हैं, उन्हें समाप्त करना होगा।

जागरुकता अभियान की सफलता के लिए सही संदेशों का संचार करना और पहचानना कठिन है। आमतौर पर, एक अभियान का या तो एक केन्द्रीय संदेश होता है या निकट संबधित सहायक संदेश का एक समूह होता है जो एक साधारण विषय से जुड़ा होता है, जैसे–परिवार नियोजन, मां और बाल स्वास्थ्य । प्रायः नारों के साथ संदा या छोटे वाक्यांश (10 शब्दों से कम) योजित किए जाते है ताकि लक्षित श्रोतागण आसानी से याद रख सकें। संदेश भी संक्षिप्त होने चाहिए और गलतफहमी के लिए न्यूनतम गुंजाइश हो। इसके अतिरिक्त, उन्हें झूठी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। श्रोताओं, को शामिल होने का महसूस कराने के लिए, संदेश में कुछ वैयक्तिकरण होना चाहिए। अधिक बार, संदेश में सकारात्मक स्वर होने चाहिए। सेयर और रिचार्ड ने 2006 में दो तरह के संदेशों को स्थापित किया है – जागरुकता संदेश (जानकारी देना ताकि व्यावहारिक परिवर्तन (कार्य) और सूचित कार्य के महत्त्व को सुदृढ़ करके उपयोग किया जा सके) और व्यवहार

संदेश (व्यवहारों/कार्यों की विस्तृत व्याख्या की जाए ताकि विशेष व्यवहारों को अपनाया जाए)।

अगला चरण संदेश के संचार के लिए चैनल का चुनाव करना है। उपलब्ध संसाधनों, लक्षित श्रोताओं की रूपरेखा, लक्ष्य पर पहुंचना और जागरुकता अभियान के विस्तार आदि पर निर्भर होकर ही चौनलों को निश्चित किया जाता है। जागरुकता अभियान में कुछ साधारण रणनीतियों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है मास मीडिया (जन साधन)– टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र और पत्रिकाएं। आजकल, बहुत से कार्यक्रम और वृत्तचित्र, विशेष रूप से लेख और चर्चाएं व्यापक जागरुकता अभियान को पूरा करते हैं। समुदाय रेडियो हाल ही की नई खोज है जिसका उपयोग समुदाय के विशेष मामलों पर जागरुकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है।

दृश्य–श्रव्य साधन

सूचना पत्र, किताबें और पैम्फलेट, विवरण पुस्तिका, पोस्टर चार्ट, आंकड़ों का चार्ट, सी. डी., वी.सी.डी., डी.वी.डी. आदि साधारणतया जागरुकता अभियान में उपयोग होते हैं। वे लागत प्रभावी होते हैं परंतु इनकी सीमित पहुंच होती है।

प्रदर्शनियों, रैलियों, मोबाइल लाइब्रेरी, साईकिल थियेटर, सामुदायिक सभाओं आदि का उपयोग

एक से एक आधार पर जागरुकता पैदा करने के लिए किया जाता है। ये बहुत अधिक प्रभावशाली रणनीतियां हैं परंतु इनका विस्तार सीमित होता है।

बिक्री उत्पाद : जैसे कैलेंडर, एजेंडा, मुद्रित कपड़े, बैग, बिल्ला आदि का उपयोग आजकल जन संपर्क पदार्थों के रूप में होता है, इसके अतिरिक्त यह जागरुकता अभियान के लिए प्रभावपूर्ण रणनीतियां हैं।

जागरुकता अभियान की रूपरेखा बनाने में निगरानी एक महत्त्वपूर्ण चरण है। यद्यपि यह अभियान के शुभारंभ होने के पश्चात आरंभ होती है परंतु निगरानी और मूल्याकन के संकेतक नियोजन चरण में ही तैयार किए जाते हैं। उद्देश्यों पर आधारित, संकेतक की सफलता या अभियान के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। कई बार, अभियान से पहले और बाद में लक्षित समूहों के जागरुकता स्तरों की मामलों पर सोच–विचार आर तुलना की जाती है। अधिकतर गण वाचक और परिणाम वाचक आंकड़े संकलन तकनीका का उपयोग जागरुकता अभियान के मूल्यांकन में किया जाता है।

संदेश की पूर्व जांच करना आवश्यक कार्य है और जांच–पड़ताल होने पर, याद आवश्यकता हो तो संदेश अवश्य ही बदलना चाहिए इससे पहले कि उसका बड़े स्तर पर शुभारंभ किया जाए। प्रणालियों को लक्षित सदस्यों सहित विभिन्न पणधारिया का प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जागरुकता अभियान को दृढ़ बनाना चाहिए।

बोध प्रश्न I

टिप्पणीः अ) उत्तर हेतु नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

आ) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) जागरुकता अभियान के सिद्धांतों को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 समाज कार्य की अन्य प्रणालियों के साथ संबंध

अधिकतर सभी समाज कार्य हस्तक्षेपों में, समाज कार्यकर्त्ताओं का प्रमुख कार्य जागरुकता उत्पन्न करना है। यद्यपि पारंपरिक रूप से समाज कार्य हस्तक्षेप छः 22 विधियों में वर्गीकृत है। तीन प्रमुख हैं– केस वर्क (मुकदमा कार्य), समूह कार्य और . समुदाय संगठन और तीन गौण हैं–सहायक, सामाजिक कल्याण प्रशासन, समाज कार्य अनुसंधान और समाज कार्य। जागरुकता अभियान इन सभी छः प्रणालियों के साथ आन्तरिक रूप से संबंधित है। व्यवहार परिवर्तन संचार जो जागरुकता अभियान का आदर्श है, विस्तृत रूप से केस कार्य और समूह–कार्य स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, व्यवहार परिवर्तन संचार एक से एक और एक से समूह स्थितियों में एच.आई.वी. रोकथाम और प्रबंधन के लिए लक्षित हस्तक्षेपों में कार्य करता है। समुदाय संगठन व्यापक रूप से शिक्षा दृष्टिकोणों और सूचना संचार शिक्षा में प्रयोग होता है। समुदाय में जागरुकता उत्पन्न होने से वह सामाजिक बाजार की रणनीतियों को प्रायः अपना लेते हैं। सरकार से सहायता लेना और वैधानिक, वकालत, जागरुकता अभियान के अन्य दृष्टिकोण नीति स्तर परिवर्तनों के लिए सामाजिक व्यवहारों द्वारा नियोजित किए जाते हैं। आधार रेखा आंकड़ा संकलन और मूल्यांकन शोध समाज कार्य शोध का हिस्सा बनते हैं जैसे समाज कल्याण प्रशासन, जागरुकता अभियान योजना, संगठन, कर्मचारियों निर्देशक, सहसंबंध, संवाददाता, और बजट सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जागरुकता अभियान सहित समाज कार्य की सभी प्रणालियां, समाज कार्य के मूल्यों, नैतिकताओं और सिद्धांतों पर निर्भर करती है और इसका लक्ष्य बेहतर, न्यायवादी और समानतावादी समाज की स्थापना करना होता है।

6.7 सारांश

इस इकाई में, समाज कार्य प्रक्रिया की प्रणाली के रूप में आप जागरुकता अभियान को समझ पाए हैं। जागरुकता अभियान के अर्थ और धारणा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जागरुकता अभियान के सिद्धांतों और रूपरेखा को बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जागरुकता अभियान के कुछ मुख्य आदर्शों और दृष्टिकोणों की व्याख्या की गई है।

6.8 संकेत शब्द

जागरुकता अभियान – यह एक प्रकार का हस्तक्षेप है जहाँ पर जनता की भलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक कारणों के मामलों पर जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए उपयुक्त मीडिया/साधन का प्रयोग किया जाता है।

व्यवहार परिवर्तन संचार – यह प्रमाणित सिद्धांतों और व्यवहार परिवर्तन के आदर्शों के आधार पर स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए संचार के रणनीतिक उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

जन संपर्क – यह संगठनों और जनता के बीच पारस्परिक लाभदायक संबंधों को बनाने के लिए रणनीतिक संचार प्रक्रिया है।

वकालत – यह व्यक्तिगत या समूह की गतिविधि है जिसका लक्ष्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं के भीतर निर्णयों को प्रभावित करना है।

6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

क्लिफट ई. (2001) सूचना, शिक्षा और संचारः भूतपूर्व से पाठ, वर्तमान से परिप्रेक्ष्य. जिनिवा; विश्व स्वास्थ्य संगठन।

संचार के नेटवर्क का विकास (2001) नाइजीरिया में पुनः उत्पादन स्वास्थ्य प्रोत्साहन के लिए मास मीडिया संचार रणनीतियां।

दोनोवन, आर.जे. एंड कारटर, ओबीजे (2003) मीडिया आधारित सार्वजनिक शिक्षा अभियानों से व्यवहार परिवर्तन के मामले. कूरटिंन विश्वविद्यालयः सीबीआरसीसी रिपोर्ट 031106।

किनकेड डीएल, जारा जे आर, कोलीमेन पीएल, सेगुरा एफ. (1988) संदेश प्राप्त करनाः युवा लोगों के लिए विशेष परियोजना नं. 56 वाशिंगटन, डीसीःयू.एस. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान।

सेयरस, रिचार्ड (2006) सूचना/जानकारी लिटरेसी के लिए जागरुकता पैदा करने के सिद्धांत, मुकद्मा अध्ययन, थाईलैंड; सूचना संचार. यूनेस्को।

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) जागरुकता अभियान को ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव को सक्षम करने के लिए आवश्यक दक्षताओं और कौशल को समझने और विकसित करने के लिए जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करता है।

बोध प्रश्न II

1) व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) प्रभावपूर्ण संचार रणनीतियों के उपयोग द्वारा लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला रहा है। बी.सी.सी., व्यवहार परिवर्तन में बाधाओं को पहचानने और उसी पर काबू पाने के बारे में अधिक है, जिसमें व्यवहार होता है, उस पर्यापरण, संदर्भों और समुदाय को समझते के विषय में है।

बोध प्रश्न III

1) जागरुकता अभियान के सिद्धांत

- समाज कार्य मूल्यों के सिद्धांत
- समुदाय और ग्राहक आवश्यकताओं के सिद्धांत
- सांस्कृतिक सन्दर्भों के सिद्धांत
- ग्राहक–केन्द्रित दृष्टिकोण का सिद्धांत
- लक्ष्य–स्पष्टता का सिद्धांत
- योजना के सिद्धांत
- सन्देश विशिष्टता के सिद्धांत
- भाग लेने के सिद्धांत
- संचार के सिद्धांत
- स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन के सिद्धांत
- सैद्धांतिक ढाँचे का सिद्धांत
- लागत–प्रभावशीलता के सिद्धांत
- प्रतिक्रिया के सिद्धांत

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY